शोधशौर्यम्

ISSN - 2581-6306

Peer Reviewed and Refereed
International
Scientific Research Journal

website : www.shisrrj.com

SHODHSHAURYAM
INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED RESEARCH JOURNAL

Volume 6, Issue 3, May-June-2023

Email: editor@shisrrj.com, shisrrj@gmail.com

शोधशौर्यम्

Shodhshauryam

International Scientific Refereed Research Journal

[Frequency: Bimonthly]

ISSN : 2581-6306

Volume 6, Issue 3, May-June-2023

International Peer Reviewed, Open Access Journal
Bimonthly Publication

Published By
Technoscience Academy

Website URL : www.technoscienceacademy.com

Advisory / Editorial Board

Advisory Board

- **Prof. Radhavallabh Tripathi**
  Ex-Vice Chancellor, Central Sanskrit University, New Delhi, India
- **Prof. B. K. Dalai**
  Director and Head. (Ex) Centre of Advanced Study in Sanskrit. S P Pune University, Pune, Maharashtra, India
- **Prof. Divakar Mohanty**
  Professor in Sanskrit, Centre of Advanced Study in Sanskrit (C. A. S. S.), Savitribai Phule Pune University, Ganeshkhind, Pune, Maharashtra, India
- **Prof. Ramakant Pandey**
  Director, Central Sanskrit University,Bhopal Campus.Madhya Pradesh, India
- **Prof. Parag B Joshi**
  Professor & OsD to VC, Department of Sanskrit Language & Literature, HoD, Modern Language Department, Coordinator, IQAC, Director, School of Shastric Learning, Coordinator, research Course, KKSU, Ramtek, Nagpur, India
- **Prof. Sukanta Kumar Senapati**
  Director, C.S.U., Eklavya Campus, Agartala, Central Sanskrit University,Janakpuri, New Delhi, India
- **Prof. Sadashiv Kumar Dwivedi**
  Professor, Department of Sanskrit, Faculty of Arts, Coordinator, Bharat adhyayan kendra, Banaras Hindu University, Varanasi Uttar Pradesh, India
- **Prof. Dinesh P Rasal**
  Professor, Department of Sanskrit and Prakrit, Savitribai Phule Pune University, Pune, Maharashtra, India
- **Prof. Kaushalendra Pandey**
  Head of Department, Department of Sahitya, Faculty of Sanskrit Vidya Dharma Vigyan, Banaras Hindu University, Varanasi, Uttar Pradesh, India
- **Prof. Manoj Mishra**
  Professor, Head of the Department, Department of Vedas, Central Sanskrit University, Ganganath Jha Campus, Azad Park, Prayagraj, Uttar Pradesh, India

- **Prof. Ramnarayan Dwivedi**
  Head, Department of Vyakarana Faculty of Sanskrit Vidya Dharma Vigyan, BHU, Varanasi, Uttar Pradesh, India
- **Prof. Ram Kishore Tripathi**
  Head, Department of Vedanta, Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi, Uttar Pradesh, India
- **Dr. Pankaj Kumar Vyas**
  Associate Professor, Department- Vyakarana, National Sanskrit University (A central University), Tirupati, India

---

Editor-In-Chief

- **Dr. Raj Kumar**
  SST, Palamu, Jharkhand, India
  Email : editor@shisrrj.com

Associate Editor

- **Prof. Dr. H. M. Srivastava**
  Department of Mathematics and Statistics, University of Victoria, Victoria, British Columbia, Canada
- **Prof. Daya Shankar Tiwary**
  Department of Sanskrit, Delhi University, Delhi, India
- **Prof. Satyapal Singh**
  Department of Sanskrit, Delhi University, Delhi, India
- **Dr. Ashok Kumar Mishra**
  Assistant Professor (Vyakaran), S. D. Aadarsh Sanskrit College Ambala Cantt Haryana, India
- **Dr. Somanath Dash**
  Assistant Professor, Department of Research and Publications, National Sanskrit University, Tirupati, Andhra Pradesh, India

- **Dr. Raj Kumar Mishra**
  Assistant Professor, Department of Sahitya, Central Sanskrit University Vedavyas Campus Balahar Kangara Himachal Pradesh, India

---

Executive Editor

- **Dr. Sheshang D. Degadwala**
  Associate Professor & Head of Department, Department of Computer Engineering, Sigma University, Vadodara, Gujarat

---

Editors

- **Dr. Ekkurti Venkateswarlu**
  Assistant Professor in Education, Sri Lal bahadur Sashtri National Sanskrit University, (Central University), New Delhi, India
- **Rajesh Mondal**
  Department of Vyakarana, National Sanskrit University, Tirupati, Andhra Pradesh, India

---

Assistant Editors

- **Dr. Virendra Kumar Maurya**
  Assistant Professor- Sanskrit, Government P.G. College Alapur, Ambedkarnagar, Uttar Pradesh, India

---

International Editorial Board

- **Dr. Agus Purwanto, ST, MT**
  Assistant Professor, Pelita Harapan University Indonesia, Pelita Harapan University, Indonesia

- **Dr. Morve Roshan K**
  Lecturer, Teacher, Tutor, Volunteer, Haiku Poetess, Editor, Writer, and Translator
  Honorary Research Associate, Bangor University, United Kingdom

- **Vaibhav Sundriyal**
  Research Scientist, Old Dominion University Research Foundation, USA

- **Dr. Elsadig Gamaleldeen**
  Assistant Professor, Omdurman Ahlia University, Sudan

- **Frank Angelo Pacala**
  Samar State University, Samahang Pisika ng Pilipinas

- **Thabani Nyoni**
  Department of Economics Employers Confederation of Zimbabwe (EMCOZ) ,
  University of Zimbabwe, Zimbabwe

- **Md. Amir Hossain**
  IBAIS University/Uttara University, Dhaka, Bangladesh

- **Mahasin Gad Alla Mohamed**
  Assistant Professor, Kingdom Saudi Arabia, Jazan University, Faculty of Education - Female Section, Sabya

CONTENT

SR. NO	ARTICLE/PAPER	PAGE NO
1	**वर्तमान परिपेक्ष्य में व्यक्तित्व के पुनरुत्थान में अष्टांगिक मार्ग की भूमिका** दीपा आर्या	01-11
2	**Review Essay Small Island Developing States and International Climate Change Negotiations** Kumar Gaurav	12-19
3	**बिहार में महिलाओं के आर्थिक उन्नयन में मनरेगा की भूमिकाः नवादा जिला के विषेष संदर्भ में।** संजीव कुमार	20-24
4	**महिला उद्यमिता - समस्याएं और संभावनाएं** Rajesh Kumar	25-37
5	**Indian Short Stories and Their Development** Dr. Sonam Narayan	38-46
6	**भारतीयसंस्कृतौ शब्दप्रयोगवैशिष्ट्यम्** Dr. Ganeshwar NathJha	47-51
7	**प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन** नीरज कुमार मौर्य, डॉ. कुसुमलता पटेल	52-59
8	**बाल श्रम - एक सामाजिक अपराध** कविता कनौजिया	60-63
9	**अध्यापक शिक्षा : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में** डॉ कैलाश चन्द मीणा	64-68

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2023 SHISRRJ | Volume 6 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

वर्तमान परिपेक्ष्य में व्यक्तित्व के पुनरुत्थान में अष्टांगिक मार्ग की भूमिका

दीपा आर्या
शोधार्थी, योग विंज्ञान विभाग, निर्वाण विश्वविद्यालय, जयपुर

Article Info

Publication Issue :
May-June-2023
Volume 6, Issue 3

Page Number : 01-11

Article History
Received : 07 May 2023
Published : 01 June 2023

सांराश

वर्तमान समय वैज्ञानिक युग है। मनुष्य ने जितना विकास किया उतना ही वह अपनी स्वास्थ्य के स्तर को गिरता गया है। आज की युग में व्यक्ति ने उन्नत तो बहुत प्राप्त की परंतु व शारीरिक मानसिक चारित्रिक एवं आध्यात्मिक पक्षों के स्तर को न्यूनता की ओर ले जा रहा है। व्यक्तित्व का अर्थ मनुष्य के लिए केवल वेशभूषा एवं उसका खानपान इसकी शान शौकत के इस स्तर से लगाया जाता हैं परंतु व्यक्तित्व का अर्थ इन सबसे से परे मनुष्य का भाव विचार एवं व्यवहार का सम्मिलित रूप है और जब यह मनोभाव, विचार एवं व्यवहार शुद्ध एवं स्वास्थ बनते हैं तो तभी मनुष्य का व्यक्तित्व भी उत्तम बनता है। मानव अनेक प्रकार के दोषों वाला रोगों वाला एवं निम्न मानसिकता वाला बन चूका है,जिससे उसका व्यक्तित्व मलिन हो चूका है. आध्यात्म विद्या पद्धतियों का ज्ञान एवं विज्ञान दो भागों में विभाजित करते हैं, ज्ञान पक्ष में मनुष्य एवं पशु के शिक्षा ही जाती है. इसके लिये क्या सोचना कैसे सोचना क्या करना कैसे करना और उच्च स्तरीय स्तर पर जीवन जीना यह सब सिखाते हैं, तथा विज्ञान पक्ष वह है जिसमें कुछ शारीरिक मानसिक क्रियाओं के द्वारा चरम अवस्था तक बढ़ का प्रयास किया जाता है। व्यक्तित्व विकास के लिए योग साधना में अष्टांग योग द्वारा व्यक्तित्व का विकास होता है।आज का मानव कई जटिलताओं से घिरा हुआ हैं उसके जीवन में अनेक उलझने और कठिनाई हैं, मनुष्य कितने तनाव में हैं मनुष्य में निराशा भय तथा बेचौनी है इसलिए आवश्यक है की हमारा हर कदम प्रसन्नता का प्रतीक बन जाये, उसमें पीड़ा का अंश तक न रहे। अष्टांग योग द्वारा व्यक्तित्व के विकास के रहस्य को उजागर करना हमारा उद्देश्य है, अष्टांग योग से मनुष्य के व्यक्तित्व को भाव विचार व्यवहार और शरीर सभी उत्तम रूप में प्राप्त होता है, व्यक्तित्व पुनरूत्थान से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है, जिसमें चिंतन चरित्र एवं व्यवहार का समय रूपांतरण हो सके और यदि हमें अपने व्यक्तित्व का विकास करना है तो सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध एवं पवित्र करना होगा

योग दर्शन में वर्णित राजयोग अर्थात अष्टांग योग बहुत ही महत्वपूर्ण व सभी के लिए परम उपयोगी है महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के रूप में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तथा समाधि इन को आठ अंगों में बाँट दिया गया है। इन आठ अंगों का पालन करने से व्यक्ति शरीरिक, मानसिक, समाजिक व आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ्य रहता हुआ अन्त में मोक्ष को प्राप्त करता है। मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन एवं मानव समाज में सुख शान्ति की परिस्थितियों किस आधार पर बनेगी, यदि इस प्रश्न का संक्षिप्त सा उत्तर दिया जाए तो वह होगा, मनुष्य में मनुष्यता के विकास से इसी को प्रकाशंतर से व्यक्तित्व का सर्वागींण विकास भी कह सकते है। व्यक्तित्व के सर्वागीण विकास का तात्पर्य मात्र शारीरिक स्वस्थ्यता एवं बौद्धिक प्रखरता के युग्म को मानना भूल होगी, इसका सही व स्वस्थ्य स्वरूप सामाजिक नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को व्यक्तित्व में विकसित करने से प्रकट होता है।

प्रस्तुत अनुशीलन "वर्तमान परिपेक्ष्य में व्यक्तित्व के पुनरुत्थान में अष्टांगिक मार्ग की भूमिका" प्राचीन ग्रन्थों तथा मनोवैज्ञानिक तथ्यों के विश्लेषणों द्वारा किया गया है, व्यक्तित्व और अष्टांगिक मार्ग परस्पर एक दूसरे से जुड़े हैं, शोध अध्ययन में अष्टांगिक योग मार्ग का व्यक्तित्व पर समारात्मक प्रभाव प्राप्त किया गया हैं योग के आठ अंगो में प्रथम दो अंगों यम एवं नियम द्वारा

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

व्यक्ति का चारित्रिक अर्थात व्यवहारिक पुनरुत्थान होता हैं तथा आसन एवं प्राणायाम द्वारा व्यक्ति का शारीरिक व्यक्तित्व उत्तम बनता हैं और धारणा, ध्यान, और समाधि एवं आध्यात्मिक पक्ष का विकास होता हैं मनुष्य व्यक्तित्व उसके चरित्र शरीर मस्तिष्क आदि के स्वस्थ रहने पर स्वास्थ्य बनता हैं। अतः व्यक्तित्व के पुनरुत्थान में अष्टांगिक मार्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है,

शब्द कुंजी – अष्टांगिक, मनुष्य, योग, पुनरुत्थान, व्यक्तित्व।

व्यक्तित्व(Personality) का अर्थ

व्यक्तित्व(Personality) व्यक्तित्व के अनेक दृष्टिकोण हो सकता है जिसके अन्तर्गत विशिष्ट गुणों, व्यवहारों आदि का समायोजन है। मनोवैज्ञानिक की उक्ति है कि मानव का व्यक्तित्व एक समूह है, जिसके अन्तर्गत व्यक्तित्व क्षमताएँ स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ तथा मान्यताओं को रखा जाता है जिसके द्वारा वह अन्य व्यक्तियो से भिन्न माना जाना जाता है, व्यक्तित्व विकास का एक व्यवस्थित रुप दैहिक मानसिक, आध्यात्मिक तथा दैविक गुणों का समन्वय है। शाब्दिक भाषा में personality अग्रेजी भाषा का हिन्दी रूपान्तरण रूप "व्यक्तित्व" है, Personality जो लैटिन शब्द persona (परसोना) से उत्पन्न हुआ है। जिसे नायक या नायिका करते समय अपने चेहरे पर लगाते है। इस शाब्दिक अर्थ को ध्यान में रखते हुए तब व्यक्तित्व को तब बाहरी वेशभूषा तथा बाहरी दिखावे के आधार पर परिभाषित किया गया, नाटक दूसरे शब्दों में व्यक्तित्व से तात्पर्य वह जो दूसरों को दिखाई देता है, उस से है। जिस व्यक्ति का बाहरी दिखावा भडकीला एवं आकर्षक होता था, उसे अच्छे व्यक्तित्त का तथा जिसका बाहरी दिखावा साधारण एवं अनाकर्षक होता था उसे कम अच्छे व्यक्तित्व का समझा जाता था। लेकिन इस शाब्दिक अर्थ की लोकप्रियता तुरन्त समाप्त हो गई, और बाद में व्यक्तित्व को विभिन्न सैध्दांतिक दृष्टिकोण से मनोवैज्ञानिकों द्वारा परिभाषित किया गया है। जो कि आगे वर्णित है। जिस माध्यम द्वारा एक व्यक्यि को दूसरे से अलग–अलग जाना जाता है, उसे व्यक्तित्व कहते हैं। व्यक्तित्व के अन्तर्गत व्यक्ति के चरित्र प्रतिभा, सदगुण, सदाचार बौद्धिक, विकास, प्रभावशी चरित्र, मधुर तथा ओजपूर्ण वाणी का समावेश है। इन सब गुणों या विशेषओं के समूह को किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कहा जाता है। यदि केवल शारीरिक लक्षणों को ले कर व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाये, तो वह अपूर्ण ही रहेगा ।यदि हम किसी व्यक्ति को दूसरे पर अपना प्रभाव डालता हुआ देखते हैं, तो यही कहते हैं कि अमुक व्यक्ति का व्यक्तित्व तेजस्वी और आकर्षक है। पूर्ण सिद्ध योगी तथा पूर्ण प्रतिष्ठत ज्ञानी इस संसार में सबसे महान व्यक्तित्व है। ऐसे व्यक्तित्व का शारीरिक गठन साधारण पुरूषों के समान भी हो सकता है। उसकी आकृति असुन्दर भी हो सकती है। उसके वस्त्र फटे–पुराने हों किन्तु इतना सब कुछ होने पर भी वह महान व्यक्तित्व सम्पन्न होता है। वह एक महात्मा है।यम और नियम के अभ्यास से जिस व्यक्ति ने नैतिक उन्नति कर ली है, उसका व्यक्तित्व तेजस्वी हो जाता है। वह लाखों को प्रभावित कर सकता है। धनी व्यक्तित्व का व्यक्तित्व भी प्रभावुक होता है । उनके व्यक्तित्व में प्रभावशालिता का कारण धन की शक्ति है। रही चरित्र की बात। चरित्र से जिस व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है, वह व्यक्तित्व ठोस और शक्तिशाली होता है। चरित्रवान व्यक्ति जहाँ–कहीं रहे सम्मान–पात्र बन दूसरों को शीघ्र ही प्रभावित करता और दूसरों के आदर का पात्र भी जल्दी ही बन जाता है। सात्विक गुण होने से मनुष्य दिव्य व्यक्तित्वशाली हो जाता है। जो व्यक्ति सत्यवादी और ब्रह्मचारी हो समाज में उसकी देवतुल्य प्रतिष्ठा होती है।ऐसा व्यक्ति एक ही शब्द क्यों न मुँह से निकाले, उसका अपना अलग, विशिष्ट और महान प्रभाव तथा आकर्षण होता है। यहाँ पर यह याद रखिए–यदि आप अपने व्यक्तित्व को उच्च, तेजस्वी,प्रभावशाली, आकर्षक बनाना चाहते है तो सर्वप्रथम चरित्र का निर्माण कीजिए।चरित्र निर्माण में सबसे पहले और सबसे आवश्यक है ब्रह्मचर्य। इसे मूल ही क्यों न मान लिया जाये। इसके बिना कुछ भी सम्भव नही हो सकता। व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है। इसके लिए दिव्य गुणों का अभ्यास अनिवार्य है। प्रभाहीन और चिन्तित व्यक्ति किसी को भी प्रभावित नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति जो निराशावादी, उदास और प्रभाहीन है, समाज के लिए रोग संक्रामक के समान है। दूसरे के साथ कैसे मिलना और कैसे व्यवहार करना चाहिए–इसका ज्ञान होना आवश्यक है। धीरे से बोलना चाहिए, मन को प्रियकर ही बोलना चाहिए। सज्जनता, मिलनसार स्वभाव और नेक आदत का विकास करना चाहिए तथा दूसरों के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। नम्रता वह सद्गुण है जो दूसरों के ह्रदय को अपने वश में कर लेता है। इसके साथ यदि सुन्दर आकृति हो, मधुर वाणी हो, कला और विज्ञान का अच्छा ज्ञान हो तो व्यक्तित्व में चार चाँद लग जाते है।जब किसी व्यक्ति से मिलना हो तो मिलने का ढंग जान लेना चाहिए। किस प्रकार बातें की जाती हैं। और कैसा व्यवहार किया जाता है। यह अच्छी तरह जान लेना चाहिए। व्यवहारकुशलता एक अनिवार्य सद्गुण है। दम्भी, हठी, आत्मन्य व्यक्ति का व्यक्तित्व कभी भी तेजस्वी तथा आकर्षक नहीं हो सकता। स्वभाव सदा खुशदिल होना चाहिए। चेहरे पर मुस्कान और आनन्द खिला रहना चाहिए। इससे व्यक्ति का विकास होता है। सदा प्रसन्न चित्त रहना चाहिए । किन्तु प्रसन्न चित्त और सतत मुस्कान के

साथ–साथ मिलनसारिता तथा विनीत स्वभाव भी होना चाहिए। यदि यह गुण हुए, तो मिलने वाले व्यक्ति को प्रभावित किया जा सकता है। उस व्यक्ति से जो कुछ कहना है, धीरे–धीरे अच्छी तरह सोच–विचार कहना चाहिए। कहते समय जल्दबाजी और अव्यवस्थित होने के कारण व्यक्तित्व में नकारात्मकता आती है। कहने का तात्पर्य यह है कि बातें करते समय हाव–भाव इस प्रकार से व्यवस्थित होने चाहिए कि सुनने वाले का हृदय आपके व्यक्तित्व से मोहित हो जाये। यदि व्यक्तित्व प्रभावुक है तो समझ लीजिए कि वह आपकी स्थायी सम्पत्ति हैं यदि आप इसे पाने के लिए कृतकर्म जायें तो सफलता के यशभागी बनेंगे ।

मनोवैज्ञानिकों व शिक्षाशास्त्रीयो के दृष्टिकोण से हम व्यक्तित्व शब्द को समझ सकते हैं

- **आलपोर्ट के अनुसार** – व्यक्तित्व व्यक्ति के अन्दर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका एक अनूठा समायोजन स्थापित करते हैं।
- **ड्रेवर के शब्दों में** – व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों के उस एकीकृ त तथा गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है। जिसे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में व्यक्त करता है।
- **बुडबर्थ के विचार में** –व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता
- **स्वामी विवेकानन्द के अनुसार** – मनुष्य में जो शक्ति विद्यमान है, उसका एक भाग वह अपनी देह की सुरक्षा में व्यय करता है। शक्ति के शेष भाग से वह दिन रात दूसरों को प्रभावित करता है। हमारे शरीर गुण, प्रज्ञा, आध्यात्मिकता से निरन्तर दूसरों को प्रभावित कर रहे हैं। वही दूसरों से भी प्रभावित हो रहे हैं। दूसरों को प्रभावित करने वाली यह शक्ति ही व्यक्तित्व है। सकते है
- **बेरोन के अनुसार –** व्यक्तियों के संवेगों, चिन्तनों तथा व्यवहारों के अनूठे एवं सादेपन रूप से स्थिर पैटर्न के रूप में व्यक्तित्व को सामान्यतः परिभाषित किया है।
- **चाइल्ड के अनुसार** – व्यक्तित्व से तात्पर्य कामोवेश स्थाई आन्तरिक कारकों से होता है जो व्यक्ति के व्यवहार को एक समय से दूसरे समय में संगत बनता है, व्यवहार कहलाता है।
- **गिलफोर्ड के अनुसार** – व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार गुणों का समन्वित रूप है।
- **आइजेक के अनुसार** – व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, चित्त, प्रक्रति, ज्ञान, शाक्ति तथा शरीर गठन का करीब–करीब एक स्थाई एवं टिकऊ संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है।

मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्तित्व की अवधारणा

व्यक्तित्व शब्द अत्यंत व्यापक है। अनेक विद्वावानों व्यक्तित्व को अपने अपने ढंग से स्पष्ट करने का प्रयास किया है, किन्तु इसकी कोई एक सर्वसम्मत परिभाषा नहीं दी जा सकती है। किसी विद्वान ने व्यक्तित्व के किसी एक पहलू की व्याख्या की है, तो किसी ने व्यक्तित्व के दूसरे पहलू की, किन्तु व्यक्तित्व की समग्र व्याख्या को प्रस्तुत नहीं कर पाए। मनोविज्ञान में वर्णित व्यक्तित्व की अवधारणा आधी अधूरी एवं एकांकी है, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने केवल शारीरिक ढाँचे को व्यक्तित्व की संज्ञा दी है, व्यवहार ही उसका व्यक्तित्व है। कुछ के प्राणी का

कार्लयुंग ने बहिर्मुखी एवं अन्तर्मुखी प्रवृतियों के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया है। इस प्रकार व्यक्तित्व के सम्बन्ध में सभी मनोवैज्ञानिकों की मान्यताएँ अलग है पश्चिमी मनोविज्ञान केवल इन्द्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही सत्य मानता है, और इस आधार पर केवल स्थूल शरीर को ही व्यक्तित्व की संज्ञा देता है, साथ ही स्थूल शरीर के नष्ट होने पर व्यक्तित्व को भी समाप्त मान लेता है। किन्तु मनोविज्ञान की व्यक्तित्व सम्बन्धी यह अवधारणा अधूरी है क्योंकि व्यक्तित्व स्थूल शरीर से भी कुछ अधिक है, और इस के नष्ट हो जाने पर भी व्यक्तित्व बना रहता है। इस बात को वर्तमान में परामनोविज्ञान के क्षेत्र में होने वाले अनुसंधानों ने भी स्पष्ट कर दिया है।

व्यक्तित्व के सैद्धांतिक उपागम

व्यक्तित्व के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए विभिन्न उपागमों के अन्तर्गत कई सिधान्तों का प्रतिपादन किया गया है, ऐसे प्रमुख उपागमों का वर्णन इस प्रकार है।

- Psychoanalytic approach (मनोविश्लेषणात्मक उपागम)–(व्यक्तित्व का अध्ययन करने का सबसे पहला उपागम मनोविश्लेषणात्मक उपागम है, जिसका प्रतिपादन सिगमण्ड फ्रायड द्वारा किया गया है, इस उपागम में मानव प्रकृति के दो पक्षों निराशावादी छवि और निश्चयवादी छवि पर बल डाला गया है, इस उपागम के अन्तर्गत फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व सिद्धान्त का वर्णन आता है
- Neoposychoanalytic approach (नव मनोविश्लेषणात्मक उपागम) – इस उपागम का विकास दो श्रेणी में वे मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया गया जिसमें एक श्रेणी में वे मनोवैज्ञानिक थे जो फ्रायड के सिद्धान्त में कुछ निष्ठा थी। परन्तु फ्रायड द्वारा अपने सिद्धान्त में कुछ विशेष पहलुओं पर अधिक जोर दिए जाने के कारण उन्होंने व्यक्तित्व के स्वरूप कि स्वतंत्र व्याख्या की, इस श्रेणी में एडलर तथा युग का सिद्धान्त प्रमुख है। द्वितीय श्रेणी में उन मनोवैज्ञानिकों का वर्णन आता है जिनके फ्रायड से कभी व्यक्तिगत सम्बन्ध नहीं थे, परन्तु फिर भी उनके विचर फ्रायड के विचारों से काफी मेल खाते थे। इन मनोवैज्ञानिकों में सुलिभान, करेनहार्ने, मर्ने तथा इरिक फ्रोम के सिद्धान्त मुख्य रूप से आते हैं।
- Constitutional approach(शरीर गठनात्मक उपागम) – इस उपागम के अन्तर्गत शरीर गठन को व्यक्तित्व के लिये उत्तरदायी माना गया है। इसके अन्तर्गत क्रेश्मर और शेल्डर द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों का वर्णन आता है।
- Life-Spsanapproch(जीवन अवधि उपागम) –इसके अन्तर्गत जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तन शील कहा गया है। तथा जन्म से मृत्यु तक कि आठ अवस्थाओं में उत्पन्न संकट तथा उत्पन्न समस्याओं के समाधान के रूप में व्यक्तित्व सिद्धान्त कि व्याख्या कि गयी है। इसके तहत इरिक्सन का सिद्धान्त मुख्य रूप से आता है।
- Trait approach(शीलगुण उपागम)– यह सबसे सरल है, जिसमें व्यक्तित्व की व्याख्या की गई. शीलगुण के आधार के पर की गयी। शीलगुण सरल भाषा में स्वभाव से अथवा स्वभाव में सम्मिलित गुणों से समझा जा सकता है। इसके तहत आल्पोर्ट तथा क्रेटेल का सिद्धान्त आता है।
- Dimensional approach (विमीय उपागम) – यहाँ पर व्यक्तित्व को एक दिशा में न रखते हुए बहुआयामी दिशाओं का वर्णन किया गया। तात्पर्य यह है। कि व्यक्तित्व का निर्धारण एक पक्ष से नहीं हो सकता, अपितु व्यक्तित्व बहुआयामी हो जाता है।
- Cognitive approach(संज्ञानात्मक उपागम)–इस उपागम के अर्न्तगत व्यक्तित्व का निर्धारण इस रूप में किया गया कि व्यक्ति किन किन तरिकों से स्वयं को तथा अपने पर्यावरण को जानना हैं।वह कैसे सीखता हैं,कैसे सोचता हैं, कैसे निर्णय लेता हैं तथा कैसे समस्या का समाधान करता हैं इस आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्धारण होता हैं इस उपागम के अन्तर्गत केलि द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त आता हैं।

योग का परिचय

योग भारत का परम्परागत् दर्शनशास्त्र है। यह भारतीय तत्व, ज्ञान व संस्कृति का मुख्य आधार है। वस्तुतः योग जीवन की उस पद्धति या शैली का नाम है, जो स्वाभाविकतः प्रत्येक मनुष्य की होनी चाहिए।

योग समयातीत व्यवहारिक एवं परिणामवादी विज्ञान हैं जिसका विकास मानव के शारीरिक, नैतिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक कल्याण की सामाजिक चिंता करते हुए हजारों वर्षों के अंतराल में हुआ है। स्वयं के अंतःकरण को शुद्ध करके अपनी आन्तरिक गक्तियों का नियोजन कर उन्हें दिशा देकर जन्म–मरण के चक्र से दूर होना ही योग है।

योग कोई मत, संप्रदाय नहीं है। ऋग्वेद से लेकर महर्षि पंतजलि की परम्परा से चला योग एक सम्पूर्ण चिकित्सा विज्ञान हैं अभ्यास को प्रणालीबद्ध करने के लिए पतंजलि का योग सूत्र एक श्रेष्ठ प्रबन्ध के रूप में उभरा हैं।

महर्षि पतंजलि ने पुरातन काल से अस्तित्व में रहे योग को अनुशासनबद्ध करते हुए उसकी सार्थक व्याख्या की। पतंजलि ने योग सूत्र नामक रचना के माध्यम से इस बात की पुष्टि कि अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाने से चित्त शान्त हो जाता है और शान्त चित्त अर्थात चित्त की वृत्तियों के (रोकना)निरोध को ही योग कहा गया हैं या मन की एक ऐसी अवस्था जिसमें मन में उठने वाले समस्त विचार एवं वृत्तियाँ शांत हो जाय या रूक जाय, वह अवस्था योग कहलाती है।[1]

वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शरीर की विभिन्न क्रियाएं असन्तुलित होकर रोग को जन्म देती हैं। इस पर पंतजलि का स्पष्ट मत है कि चित्त में वृत्तियों का निरोध ना होने से शरीर की विभिन्न क्रियाएं प्रभावित होती हैं।

योग की परिभाषा

योग को साधने के विभिन्न उपाय भी उक्त ग्रंथों में प्राप्त होते हैं।

- **श्रीमद्भगवद्गीता में योग को परिभाषित करते हुए श्रीकृष्ण कहते हैं** – कर्मों में कुशलता ही योग है।[1]
- **महर्षि पतञ्जलि योग को परिभाषित करते हुए लिखते हैं–** चित्त की वृतियों का निरोध हो जाना ही योग है।[2] स्थापना होकर पुरुष द्वारा स्वयं के वास्तविक स्वरूप अर्थात शुद्ध चौतन्य में अवस्थित हो जाना ही योग है।
- **योग को परिभाषित करते हुए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि** – योग में स्थिर से पराक्रम का त्याग कर सिद्ध और असिद्ध अर्थात जय और पराजय दोनों ही स्थितियों में मन को एक समान भाव में एक्त करना ही योग हैं।[3]
- **योगशिखोपनिषद में योग को निम्नवत परिभाषित किया गया हैं–** प्राण और अप्राण एकता कर लेना शरीर रूपी महाकुण्डलिनी को आत्म तत्वों के साथ प्रयुक्त कर देना अथवा सूर्यस्वर अर्थात (पिंगलानाडी.) एवं चन्द्र स्वर (इडानाडी.) का संयोग करना एवं जीवात्मा का परमात्मा के साथ मिलन योग है।
- **कठोपनिषद् में कहा गया है कि** – पाँच इन्द्रियों, मन एवं बुद्धि की स्थिर अवस्था योग कहलाती है।
- **मैत्रायान्युपनिषद् में योग के लिए कहा हैं–** योग वह अवस्था है जिससे मन इन्द्रियों एवं प्राणों की एकता हो जाती है।

यद्यपि भिन्न–भिन्न रूपों में योग को परिभाषित किया गया है उन सभी का अर्थ महर्षि पतंजलि कृत योग सूत्र में वर्णित योग की परिभाषा –योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः इस सूक्ति के अन्तर्गत आ जाता है। इन सभी परिभाषाओं में चित्त की वृत्तियों को रोककर परमात्मा के साथ साक्षात्कार करने की बात की गई है।आधुनिक समय को देखते हुए योग की जो नई परिभाषा उभकर आई वो इस प्रकार हैं"योग एक ऐसी शुद्ध सात्विक जीवन जीने की कला है जिसे जो मनुष्य जीवन मेंअपनाता है वह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास को प्राप्त करताहुआ सुख शांति तथा आन्नद के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है एवं देहावसान होनेपर सद्गति को प्राप्त करता हुआ मानव जीवन के मुख्य लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करता हैं"

अष्टांगयोग

महर्षि पतंजलि जी के द्वारा योग सूत्रों का संकलन किया गया हैं और इनके द्वारा योग के विभिन्न अंगों का वर्णन अष्टांग योग में मिलता है। पंतजलि अनुसार योग की आठ श्रेणियां या अंग हैं महर्षि पतंजलि योग दर्शन के दूसरे तथा तीसरे पाद में अष्टांग योग का वर्णन किया है। यह अष्टांग योग जीवन जीने की सम्पूर्ण पद्धति है, यदि संसार के लोग इस बात को लेकर गंभीर है कि विश्व में शांति एवं स्वास्थ्य की स्थापना होनी चाहिए, तो इसका एकमात्र साधन अष्टांग योग का पालन है।वर्तमान समय में योग साधना का प्रचार–प्रसार पर्याप्त मात्रा में हुआ परन्तु बहुत से लोग केवल यौगिक आसन एवं प्राणायाम पर बल देते है, ध्यान और समाधि की ओर नहीं, परन्तु योग साधना के लिए योग के आठों का पूर्णतया अभ्यास करना होगा तभी योग सिद्धि प्राप्त होगी अन्यथा नहीं । योग के यह आठ अंग आठ सीढियों के समान है। यम, नियम का जीवन को प्रत्येक क्षेत्र के साथ सम्बन्ध है, आसन का सीधा सम्बन्ध अगले सभी अंगों के साथ है, तथा आसन के दृढभूमि हुए बिना योग की सिद्धि नहीं सकती । प्राणायाम प्रकाश पर पडे तम के आवरण को नष्ट करके मन की एकाग्रता का सम्पादन करने में अति सहायक होता है। पाँचवा अंग प्रत्याहार है, प्रत्याहार का सम्बन्ध विशेष रूप से इन्द्रियों के साथ होता है धारणा मनुष्य को बल प्रदान करती है तथा ध्यान मनुष्य को मानसिक एकाग्रता एवं शांति प्रदान करता है, समाधि योग की पराकाष्ठा है।

महर्षि पंतजलि ने योग के विभिन्न अंगों का वर्णन अष्टांग योग में किया है। पंतजलि अनुसार योग की आठ श्रेणियां या अंग हैं जिनका विवरण इस प्रकार दिया जा सकता है

यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये योग के अंग हैं।[4]

योगः कर्मसु कौशलम् (गीता 2/50)[1]

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः (यो0 सू0 1/2)[2]

योगस्थः कुरु कुर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय।
सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्चते।।(गीता 2/48)[3]

"यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार
धारणा ध्यान समधयोअष्टावंगनि" ।(योग सूत्र 2/29)[4]

इन अंगो का अनुष्ठान करने से चित्त का समस्थ मल दूर होकर साधक को विवेक ख्याति पर्यन्त ज्ञान होता हैं। इस सूत्र में योग के आठ अंग बताये गए हैं जिसके क्रमिक अनुष्ठान से ही अविद्या जनित चित्त के सभी दोष (मल)दूर होकर चित्त निर्मल होता हैं।यह चित्त एक दर्पण के समान हैं जिसके स्वच्छ होने पर ही आत्मा का बिम्ब साफ दिखाई देता है किन्तु इस चित्त पर विकारों की धूलि जम गई है जिसे पोंछे बिना आत्म दर्शन नहीं होता। अथवा यों कहा जा सकता है कि चित्त की वासना कारण वृत्तियों की तरंगें निरन्तर उठ रही हैं जिनके शान्त हुए बिना आत्मा का बिम्ब नहीं दिखाई देता। इस धूलि को साफ करने के लिए चित्त के सभी अंगों के स्वच्छ करना है। इन्हें स्वच्छ करने के लिए ही योग के ये आठ अंग हैं जिनका अनुष्ठान करना आवश्यक है।

ये अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और समाधि। इन्हें क्रस से साधने पर चित्त भी शुद्ध होता जाता है तथा प्रत्येक के साथ उपलब्धि होती जाती है। यम के सामने से बाह्रा आचरण सम्बन्धी सुधार होता है, शनियमोश से भीतर का सुधार होता है, आसनों से शरीर की शुद्धि होती है, प्राणायाम से श्वांस की शुद्धि होता है. प्रत्याहार से इन्द्रियाँ शुद्ध होती है, धारणा से मन शुद्ध से मन शुद्ध होता है, ध्यान से अस्मिता में सुधार होता है तथा समाधि में बुद्धि चित्त का सुधार होता है। इन सबकी शुद्धि से चित्त निर्मल होकर सत्य स्वरूप आत्मा का ज्ञान होता है। ये आठ सीढियाँ हैं जिन पर चलकर ही योग लाभ प्राप्त होता है। दुनिया में जितने भी योग मार्ग हैं वे सब इन्हीं के अन्तर्गत आ जाते हैं।

1–यम –यह अष्टांग योग का प्रथम अंग हैं जिसका अर्थ हैं कायिक, मानसिक व वाचिक रूप से संयमित होना दर्शन में इस प्रकार के संयम के लिए पांच नियमों का कथन किया गया हैं।

- **अहिंसा** – अंहिसा अन्याय व न्याय की आधार शिला पर खड़ी है। न्यायपूवर्क दण्ड देना भी अंहिसा है तथा अन्यायपूर्वक पुरस्कार देना हिंसा है। अहिसा से तात्पार्य है प्राणियों के प्रति मन, वचन व कर्म से क्रूर व्यवहार न करना ।
- **सत्य** – हर प्रकार के मिथ्यावचन का पूर्ण परित्याग ही सत्य है।

  शास्त्रानुसार

  सत्य को बोलना चाहिए और प्यारा बोलना चाहिए । कभी भी दूसरे को बुरा लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए लेकिन अच्छा लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए।[5]
- **अस्तेय**– इसका अर्थ है कि किसी अन्य व्यक्ति की धन सम्पत्ति को अनुचित ढंग से ग्रहण न करना अर्थात चोरी, हेरा फेरी न करना।

  "परद्रव्याहरणं त्यागोअस्तेयम्।"

  अर्थात् बिना किसी के पूछे,बिना अनुमति के दूसरे की किसी वस्तु का लेने की इच्छा का परित्याग कर देना ही अस्तेय हैं।

- **ब्रह्मचर्य**– ब्रह्मचर्य का अर्थ है विषय वासनाओं में लिप्त ना होना। कामेच्छा तथा यौन इन्द्रियों को नियमित रखना ।
-
- **अपरिग्रह**– अपरिग्रह का अर्थ है केवल लोभवश अनावश्यक वस्तुओं कों संचित न करना ।

सत्यम् ब्रूयात प्रियं, ब्रूयात न ब्रूयात सत्यप्रियं।
प्रियं च नानृत ब्रूयात, एष धर्म सनातनः ।। (मनुस्मृति 4/138)[5]

2–नियम – यम की तरह नियम भी दुःखों से छुटकारा दिलाने वाला है। यम का समबन्ध दूसरों के साथ है जबकि नियम का समबन्ध मुख्य रूप से वैयक्तिक जीवन के साथ है। इससे तात्पर्य सदाचार के पालन से है।

महर्षि पतंजलि लिखते हैं– शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान ये 5 विभाग नियम पालन में आते हैं।[6]

- **शौच**– शरीर व मन की शुद्धि को शौच कहते हैं। शारीरिक शुद्धि के लिए नियमित स्नान, शुद्ध आहार तथा स्वच्छता आवश्यक है। आन्तरिक व मानसिक शुद्धि के लिए मैत्री, करूणा, सहानुभूति, प्रसन्नता तथा कृतज्ञता आवश्यक है।

- **संतोष–** अपनी योग्यता व अधिकार के अनुरूप अपनी शक्ति, सामर्थ, ज्ञान विज्ञान तथा उपलब्ध साधनों द्वारा पूर्ण पुरुषार्थ करने से प्राप्त फल में प्रसन्न रहने को संतोष कहते हैं।
- तप – जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए लाभ–हानि, सुख–दुःख भूख–प्यास, सर्दी–गर्मी, मान–अपमान, आदि इन्द्रियों की शांति व धैर्य से सहन करने को तप कहते हैं।
- स्वाध्यायः– भौतिक विद्या व आध्यात्म दोनों का अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। केवल भौतिक विद्या या आध्यात्म विद्या के अध्ययन से लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता है।
- ईश्वर प्रणिधानः– इसका अर्थ है समर्पण करना। इसके अनुसार व्यक्ति को ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए तथा अपने को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए।

3–आसन– आसन से आशय है अनकूल शारीरिक मुद्रायें अर्थात उठने बैठने चलने फिरने के ऐसे ढंगों को अपनाना जो योग में सहायक हों।

4–प्राणायाम– आसन के सिद्ध हो जाने पर श्वास–प्रश्वास की गति को यथाशक्ति नियंत्रित करना प्राणायाम कहलाता है। योगदर्शन के अनुसार प्राणायाम के चार प्रकार हैं – 1. बाहयवृत्ति 2. आभ्यन्तरवृत्ति 3. स्तम्भवृत्ति 4. बाहाभ्यन्तर विषयाक्षेपी।

पहला– फेफड़ो में स्थित प्राण को बाहर निकाल कर बाहर ही यथा साम्थर्य रोकना और घवराहाट होने पर बाहर के प्राण को अन्दर (फेफड़ो में) लेना ।

दूसरा– बाहर के प्राण को अन्दर (फेफड़ो में) लेकर अन्दर ही रोके रखना और घबराहट होने पर रोके हुए प्राण को बाहार निकाल देना ।

तीसरा– प्राण को जहाँ का तहाँ रोक देना और घबराहाट होने पर प्राणों को सामान्य चलने देना ।

चौथा– यह प्राणायाम पहले व दूसरे प्राणायम को जोड़ करके किया जाता है।

प्राणायम के तीन अंग हैं– पूरक (गहरी श्वास लेना), कुम्भक (श्वास को रोकना) तथा रेचक (वायु को बाहार निकलना) होते हैं।

5–प्रत्याहार – पंतजलि के अनुसार इन्द्रियों को बाहरी विषय से विमुख करके मन के वशीभूत करना ही प्रात्याहार है।

6–धारणा – महर्षि पंतजलि ने कहा है, देशबन्धश्चित्तस्य धारणा इस स्थित में चित्त एक स्थान पर स्थिर होने का अभ्यस्त होने लगता है और साधक को अन्दर मोहक प्रकाश का संगीत रूप में आभास होता है।[7] धारणा से आन्तरिक अनुशासन बनता है।

7–ध्यान – यह अष्टांग मार्ग का अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग है। पतंजलि ने ध्यान को स्पष्ट करते हुए कहा है, तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानं । ध्यान से तात्पर्य है ध्येय विषय का निरन्तर मनन ।

8–समाधि – महर्षि पतंजलि के अनुसार इसमें चित्त की वृत्तियों का पूर्ण निरोध हो जाता है। इस अवस्था में ध्येय रह जाता है। मुनि घेरण्ड के अनुसार शरीर को भूलकर मन को आत्मा से लगा देना समाधि है। जिस प्रकार आग में पड़ा कोयला अग्नि रूप हो जाता है। उसमें अग्नि के सभी गुण आ जाते है। उसी प्रकार समाधि में जीवात्मा में ईश्वर के सभी गुण प्रतिविम्बित होने लगते हैं ।

शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः।[6]

देशबन्धश्चित्तस्य धारणा (योगसूत्र 3. 1)[7]

अष्टांग योग द्वारा व्यक्तित्व पुनरुत्थान

मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन एवं मानव समाज में सुख शान्ति की परिस्थितियों किस आधार पर बनेगी, यदि इस प्रश्न का संक्षिप्त सा उत्तर दिया जाए तो वह होगा, मनुष्य में मनुष्यता के विकास से इसी को प्रकाशंतर से व्यक्तित्व का सर्वागींण विकास भी कह सकते है। व्यक्तित्व के सर्वागीण विकास का तात्पर्य मात्र शारीरिक स्वस्थ्यता एवं बोद्धिक प्रखरता के युग्म को मानना भूल होगी, इसका सही व स्वस्थ्य स्वरूप सामाजिक नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को व्यक्तित्व में विकसित करने से प्रकट होता है।

मनोवैज्ञानिकों के अन्दर जिज्ञासा निरन्तर बनी रहती है कि परिपक्व व्यक्तित्व की पहचान क्या है, इसके सही लक्षण क्या है। इस सन्दर्भ में प्रो० जी० डब्लू0 आल्पोर्ट ने अपने मंतव्य इस प्रकार प्रकट किए हैं–

व्यक्ति की परिपक्वता अपने गुणों के विस्तार एवं कमियों को खुले दृष्टिकोण से स्वीकार कर सुधारने की प्रवृत्ति के साथ आती है।एक परिपक्व व्यक्ति के जीवन दर्शन में परिपक्वता का समावेश होता है। मूर्धन्य मनीषी अब्राहम एच0 मैसलों ने अपनी पुस्तक श्श्टुवाईस ए साइकोलाजी ऑफ बीइंगश्श् में परिपक्व व्यक्तित्व की व्याख्या करते हुए लिखा है कि–ष्हर व्यक्ति आत्म सिद्धि प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हैं, यही उसकी समस्त क्रियाओं की अभिप्रेणा है। किन्तु जब तक व्यक्ति अपने में सादगी, शालीनता, सच्चरित्रता, एवं आध्यात्मिकता जैसे गुणों का विकास नहीं कर लेता। उसके व्यक्तित्व में परिपक्वता और सर्वागीण उन्नति नहीं आती, आत्म सिद्धि उसके बाद का अगला चरण है।

मैंसलो के शब्दों में इस प्रकार का व्यक्तित्व जीवन और समाज के यथार्थ को भलीभांति ग्रहण करता है, उसके जीवन में अधिक सहजता होती हैं। वह जीवन की समस्याओं को तटस्थ होकर समझता है और उसका समाधन ढूढता है, स्वयं समस्याओं से प्रभावित नहीं होता, मैसलो के ऐसे व्यक्तित्व की परिकल्पना में और गीता के समत्व भाव से युक्त पुरुष में कोई अन्तर नहीं है।

अष्टांग योग द्वारा व्यक्तित्व पुनरुत्थान के पक्ष

अष्टांग योग मनुष्य के व्यक्तित्व परिष्कार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या ये भी कहा जा सकता है कि अष्टांग योग द्वारा ही मनुष्य का व्यक्तित्व परिष्कार सम्भव है।मनुष्य का व्यक्तित्व चार भागों में विभक्त हैं। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, एवं आध्यात्मिक । जो व्यक्ति इन चारों स्वास्थ्यों को प्राप्त कर लेता है उस मनुष्य का सर्वागीण विकास हो जाता हैं, और जब तक इन चारों पक्षों का विकास नहीं होता है मनुष्य का व्यक्तित्व अपुनरूत्थान ही रहता हैं, मनुष्य के चारों प्रकार के व्यक्तित्व का विवरण इस प्रकार है ।

(1) – शारीरिक पक्ष–

मनुष्य के शारीरिक पक्ष में उसकी रहन सहन एवं उसका शारीरिक स्वास्थ्य ये सभी आते हैं, अष्टांग योग के आसन प्राणायाम एवं प्रत्याहार से मनुष्य का शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम बनता हैं। यदि वह नित्य ही अष्टाग योग का अभ्यासी हैं तो वह आसन प्राणायाम का अभ्यास करने वाला होगा, जिसके कारण उसके शरीर की सारी गन्दगियाँ व्याधियाँ नष्ट हो जाएंगी और वह शारीरिक रूप से दृढ पुष्ट हो जाएगा। शारीरिक पक्ष के अन्तर्गत ही मनुष्य की वेशभूषा भी आती है, जिसमें यदि वह आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार का अभ्यासी नहीं हैं तो उसका स्वास्थ्य बिगडा हुआ होता हैं, जिससे वह देखने में अत्यंन कुरूप लगता हैं। मनुष्य की वेशभूषा निम्न कोटि की लगती है तथा उसके व्यक्तित्व पर भी प्रभाव पडता है, अष्टांग योग के पालन से उसके शारीरिक व्यक्तित्व में सुधार होता है। रोगी मनुष्य को लोग समाज में घृणा की दृष्टि से देखते है, शारीरिक विकार होने पर परिवार के लोग ही उस व्यक्ति से दूरी बना लेते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए की वह अष्टांग योग के अंगों आसन, प्राणायाम एवं प्रत्याहार का नियमित अभ्यास कर अपने व्यक्तित्व की एक अमिट छाप छोड, जिससे की उसका शारीरिक व्यक्तित्व एक उत्तम रूप में उभर कर आता है। जैसा की कहा जाता है कि–

(A healthy soul resides in a healthy body)स्वस्थ्य शरीर में ही स्वस्थ्य आत्मा निवास करती है।

अर्थात– यम नियम भी मनुष्य के शारीरिक व्यक्तित्व परिष्कार में महत्वपूर्ण योगदान है यदि व्यक्ति यम नियम का पालन नहीं करता है तो उसके शरीर के आन्तरिक तन्त्रों में गडबडी आ जाती है और उस के आन्तरिक तन्त्रों का श्राव अनियमित हो जाता है कारण उसे अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। अतः यम नियम के पालन से व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहता है, यम नियम के अन्तर्गत अहिंसा, सत्य, शौच, तप, आदि आते हैं, जिन्हें अपनाने से मनुष्य क्रोध, हिंसा, तनाव, आदि के भाव नष्ट हो जाते है मनुष्य का अपने शरीर पर नियन्त्रण हो जाता है। तथा जिनके प्रयोग से मनुष्य की शारीरिक शुद्धि होती है एवं उसके सभी हार्मोन्स का श्राव सही ढंग से होता है। धारणा, ध्यान, समाधि द्वारा भी मनुष्य का शारीरिक व्यक्तित्व पुनरूत्थान होता है।

(2)मानसिक पक्ष–मनुष्य का मस्तिष्क उसके सम्पूर्ण शरीर एवं क्रियाओं का संचालन करता है और जब वही रोगी हो जाता है तो सम्पूर्ण शरीर स्वयं ही रोगी हो जाता है, अष्टांग योग में मानसिक अर्थात् मनोकायिक रोगों को दूर करने का सरल उपाय आसन, प्राणायाम एवं प्रत्याहार को बताया गया है, कहा जाता है कि सामान्यतया रोग मन में उपजते है और शरीर के धरातल पर प्रकट होते है, आर्थत मनुष्य के रोग मनोकायिक होते है। मनुष्य पहले मन से रोगी होता है और बाद में उस रोग के लक्षण उसके शरीर पर प्रकट होते हैं साधारणतया देखा जाता है कि जो व्यक्ति जैसा देखता बोलता एवं सोचता है, वह वैसा ही बन जाता है । अष्टांग योग द्वारा व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम तरीके से ठीक करने का प्रयास किया जाता है। व्यक्ति के मानसिक रोगों को दूर करने के लिए प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार एवं योगनिद्रा विशेष रूप से लाभकारी है। मानसिक विकार जब बढ जाता हैं तो व्यक्ति अपना दिमाकी संतुलन खो देता है जिस कारण

व्यक्तित्व की परिभाषायें– उसे एक असामाजिक प्राणी के रूप में देखा जाता है। इससे इससे उसका व्यक्तित्व निम्न कोटि का हो जाता है। व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करने में अष्टांग योग अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अष्टाग योग के द्वारा ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के मानसिक स्तर को श्रेष्ठ बना सकता है।

मनुष्य का मन मस्तिष्क उसके सोच विचार उसके व्यक्तित्व के दर्पण होते है। यदि व्यक्ति मानसिक विकारों से ग्रस्त होकर गंदे सोच विचार मन में कुंठा एवं तनाव ग्रस्त रहता है। तो वह रोगी होता है और उसका व्यक्तित्व भी मलिन जाता है। मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व को उत्तम बनाने के लिए अष्टांग योग का अभ्यास अत्यंत लाभकारी एवं उत्तम है जो उसे श्रेष्ठ एवं तेजस्वी बनता है जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिष्कार होता है। मनुष्य के मानसिक व्यक्तित्व को उत्तम बनाने के लिए अष्टांग योग का

पालन अत्यंत आवश्यक माना जाता है यम नियम मानसिक व्यक्तित्व को सही दिशा देते है तथाआसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, आदि के पालन से मनुष्य का मानसिक स्तर उच्चकोटि का बन जाता है और उसका मानसिक व्यक्तित्व पुनरुत्थान होता है।.

(3) सामाजिक पक्ष– मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है वह समाज से हटकर और कटकर नहीं रह सकता है और अगर वह ऐसा कर रहा है तो वह सामाजिक रूप से अस्वस्थ्य है। मनुष्य की सामाजिक अस्वस्थता उसकी घृणित सोच समाज में उसके बुरे व्यवहार और निन्दित कार्यों से प्रमाणित होती है। अष्टांग योग के प्रथम दो भाग यम तथा नियम सामाजिक व्यक्तित्व को निखारने का उत्तम साधन है। मनुष्य अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य तथा शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर प्राणिधान का पालन करके अपने सामाजिक स्वास्थ्य को उन्नत बना सकता है।यम, नियम का पालन करता है यम, नियम का पालन करने से मनुष्य के व्यवहार में शुद्धि आती है। वह सब के साथ सामान्जस्य बिठाकर चलता है और समाज में उसका व्यवहार अच्छा होता है यम, नियम के पालन से ही समाज में अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। यम और नियम के पालन से व्यक्ति को उचित और अनुचित का ज्ञान मिलता है, जिससे की वह प्रत्येक कार्य को सोच समझकर करता है और जो करता है सब सही करता है।यम, नियम के पालन से व्यक्ति को ज्ञान मिलता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। मनुष्य समाज में यम तथा नियम के पालन करने से अपने व्यक्तित्व में सुधार लता है वह अपने जीवन के मूल्यों का निर्धारण करता है जिसके फलस्वरूप उसके प्रति समाज का दृ ष्टिकोण अच्छा होता है, और वह समाज में सभ्य एवं ज्ञानी माना जाता है और उसका व्यक्तित्व पुनरूत्थान होता है। मनुष्य के पुनरूत्थान व्यक्तित्व को अष्टांग योग और भी अधिक अच्छा बनाता है। जिससे की वह समाज में एक अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति बन जाता है। अष्टांग योग के नियम के पालन से व्यक्ति के व्यक्तित्व का समाजिक पहलु विकसित होकर पुनरूत्थान हो जाता है, और व्यक्ति का व्यक्तित्व पुनरूत्थान हो जाता है।

(4) आध्यात्मिक पक्ष – मानव जीवन में आध्यात्मिक पक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक जीवन उच्चकोटि का जीवन है जिससे मानवीय चेतना का विकास होकर अन्त में वह माक्ष को प्राप्त करता है। आध्यात्मिक पक्ष के विकसित होने पर मनुष्य की चेतना शक्ति का विकास हो जाता है अष्टांग योग में व्यक्ति के आध्यात्मिक स्तर पर विकास के लिये प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि को दिया है, महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के द्वारा व्यक्ति के आध्यात्मिक स्तर को विकसित करने का उपाय बनाया है।यम, नियम द्वारा भी मनुष्य का आध्यात्मिक स्वास्थ्य उत्तम होकर वह मोक्ष को प्राप्त करता है, तथा उसका व्यक्तित्व सदैव उच्चकोटि का एवं परिष्कृत रहता है। आध्यत्मिक स्तर के अन्तर्गत मनुष्य की ईश्वर के प्रति आस्था एवं विश्वास को चरम अवस्था तक ले जाया जाता है, अष्टांग योग के अभ्यास से योगी साधना करते–करते योगी संयम पर विजय प्राप्त कर लेता है, मनुष्य के समाधि में स्थित हो जाने पर उसकी समाधि सिद्ध हो जाती है, जिससे उसका व्यक्तित्व श्रेष्ठ बन जाता है, व्यक्तित्व विकास के लिए धारणा का उद्देश्य चित्त को समस्त विषयों से हटाकर स्थान विशेष में उसे लगाना है, जो की मनुष्य का उद्देश्य है, तथा इसके प्रभाव से मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास चरमोत्कर्ष तक हो जाता है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत व्यक्ति दूसरों के प्रति संवेदनशील हो जाता है, वह गुण और ज्ञान को ग्रहण करता है, जिससे उसका आत्मिक विकास होता है और वह अच्छे जीवन में तथा जीवन के बाद भी उच्चकोटि वाला हो जाता है, अतः स्पष्ट है कि अष्टांग योग के द्वारा व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है, जिससे मनुष्य का व्यक्तित्व पुनरूत्थान होता है।

उपसंहार

हमारे जीवन में बढ़ते तनाव, चिन्ता एवं अन्य प्रकार के दोष जिनके कारण मनुष्य अपने जीवन को सुख–शान्ति एवं सन्तोष से जी नहीं पाता है और उसके कारण उसके व्यक्तित्व का विकृत हो जाना है और अष्टांग योग द्वारा मनुष्य के जीवन में से तनाव, चिन्ता तथा सभी दोष नष्ट हो जाते है जिससे उसके व्यक्तित्व का परिष्कार होता है। अष्टांग योग का प्रयोजन व्यवहारिक जीवन में एक सन्तुलन स्थापित करना है जिसमें न आध्यात्मिक की उपेक्षा, न जीवन का त्याग ऐसा जीवन ही श्रेष्ठ जीवन है। सामान्य जीवन को श्रेष्ठ बनाना ही योग का प्रयोजन है।महर्षि पतंजलि ने योग को परिभाषित करते हुए कहा है कि योग के द्वारा चित्त की समस्त वृत्तियों का नाश होता है। व्यक्तित्व एक ऐसा विषय है जो जीवन भर हमारे साथ जुडा रहता है यह एक व्यवहारिक ज्ञान है जिसमें व्यक्ति के सभी तरह के गुणों के आवेग, प्रवृति तथा अनुभवों का योग है। अतः स्पष्ट रूप कहा जा सकता है कि योग द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। योग का सर्वप्रथम प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर पडता है और व्यक्ति का व्यवहार ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। व्यक्तित्व विकास हेतु अष्टांग योग उच्च स्तरीय साधना है जिसके माध्यम से व्यक्ति का व्यक्तित्व परिकृत हो जाता है यही अष्टांग योग द्वारा व्यक्तित्व पुनरूत्थान की प्रक्रिया है।आज का मानव का जटिल हैं उसमें कितनी उलझने और कठिनाई हैं, मनुष्य कितने तनाव में हैं मनुष्य में निराशा भय तथा बेचौनी है इसलिए आवश्यक है की हमारा हर कदम प्रसन्नता का प्रतीक बन जाये, उसमें पीड़ा का अंश तक न रहे। अष्टांग योग द्वारा व्यक्तित्व के विकास के रहस्य को उजागर करना हमारा उद्देश्य है, अष्टांग योग से मनुष्य के व्यक्तित्व को भाव विचार व्यवहार और शरीर सभी उत्तम रूप में प्राप्त होता है, व्यक्तित्व

पुनरूत्थान से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है, जिसमें चिंतन चरित्र एवं व्यवहार का समय रूपांतरण हो सके और यदि हमें अपने व्यक्तित्व का विकास करना है तो सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध एवं पवित्र करना होगा योग के अंगों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, एवं समाधि द्वारा मनुष्य का व्यक्तित्व पुनरूत्थान किया जाता है। क्योंकि योग के आठ अंगों में प्रथम दो अंगों यम एवं नियम द्वारा व्यक्ति का चारित्रिक अर्थात व्यवहारिक परिष्कार होता है तथा आसन एवं प्राणायाम द्वारा व्यक्ति का शारीरिक व्यक्तित्व उत्तम बनता है और धारणा, ध्यान, और समाधि एवं आध्यात्मिक पक्ष का विकास होता है।मनुष्य व्यक्तित्व उसके चरित्र शरीर मस्तिष्क आदि के स्वस्थ्य रहने पर स्वस्थ्य बनता है अतः अष्टांग योग व्यक्तित्व पुनरूत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

योग का उद्देश्य जीवन का सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण विकास का तात्पर्य है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चरित्रिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक विकास करना है और यह सब तब सम्भव है जब मनुष्य को योग द्वारा आत्म दर्शन तथा ब्रह्म साक्षात्कार होकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जहाँ शरीर रोग ग्रस्त है वहाँ सुख एवं शान्ति कहाँ है, जिसका शरीर स्वस्थ्य नहीं, मन स्वस्थ्य नहीं, मस्तिष्क में चौतन्यता नहीं, स्फूर्ति नहीं, धमनियों में शक्ति नहीं, शरीर में रक्त परिसंचरण ठीक से नहीं होता, तो रोगी व्यक्ति अगर अष्टांग योग का पालन करता है तो उसके ये सभी विकार समाप्त होते है तथा वह स्वस्थ्य एवं निरोगी बनता है और उसका व्यक्तित्व भी परिष्कृत होता है। मनुष्य रोगी तब होता है जब वह अपने जीवन की दिशा से भटक जाता है तथा अमानवीय कार्यों को करने लग जाता है उसके द्वारा किये जाने वाले अमानवीय कार्य उसे समाज में नीचे गिरा देते हैं। वह जीवन जीता तो है परन्तु उसका कोई अर्थ नहीं होता है और अगर वह समय रहते योग का पालन करता है तो वह अपने व्यक्तित्व का परिष्कार कर समाज में एक आदर्श प्रस्तुत करता है। अष्टांग योग के पालन से मनुष्य की शारीरिक व्याधियाँ दूर होती है वह स्वस्थ्य एवं शुद्ध शरीर वाला बनता है, उसका मस्तिष्क रोग ग्रस्त नहीं होता, उसे किसी प्रकार की चिन्ता नहीं सताती है तथा वह ईर्ष्या, अहंकार आदि भावनाओं से दूर रहता है मनुष्य को समाज एक आदर्श व्यक्ति का स्थान देता है, तथा वह ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित होता है जिससे उसके सर्व कार्य सिद्ध हो जाते है।

भारत के षट्दर्शनों में वेदान्त दर्शन में उस परब्रह्म की व्याख्या की गयी है जो इस सम्पूर्ण सृष्टि का एकमात्र कारण और कार्य है। उसकी प्राप्ति का जो साधन है वही योग नाम से प्रसिद्ध दर्शन है जिसका पूर्ण विवेचन पतंजलि ने अपने योग दर्शन में किया है। यह योग केवल दर्शन ही नहीं बल्कि जीवन में श्रेष्ठता लाने की एक उच्च विद्या भी है, जिसके पालन से मनुष्य की सभी सुप्त शक्तियाँ का जागरण होकर वह परमपद को प्राप्त होता है मनुष्य में ईश्वर की सभी आध्यात्मिक शक्तियाँ विद्यमान है जिन्हें जागृत करना अष्टांग योग का उद्देश्य है। बिना अष्टांग योग के मनुष्य की आत्मा चेतना का विकास नहीं हो सकता है। अतः अष्टांग योग का अभ्यास करने से व्यक्ति का व्यक्तित्व पुनरूत्थान होता है।

अष्टांग योग के द्वारा हमारे दूषित, अशुभ एवं पाप कर्म शमन होकर हम अपने वास्तविक रूप में अवस्थित होते हैं तथा हमारा व्यक्तित्व पुनरूत्थान होता है।

किसी विद्वान के अनुसार – ईश्वर की श्रेष्ठतम कृति मानव है।

परन्तु मानव सही दिशा निर्देश के अभाव में स्वयं को रोगी बना लेता है और उसके इन्ही रोगों को दूर करने का उपाय अष्टांग योग में बताया गया है। अपार कार्य क्षमता वाला व्यक्तित्व केवल अष्टांग योग के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है आध्यात्मिक उन्नति के लिए शरीर ही वह साधन है जो सभी क्रिया कलापों का माध्यम है तन को स्वस्थ्य, निरोगी, स्वच्छ और निर्मल रखते हुए अपने व्यक्तित्व का पूर्ण पुनरूत्थान करता है।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि मनुष्य चाहे तो वह अपने व्यक्तित्व का पुनरूत्थान कर के ईश्वर का प्राप्त करते हुए एक अच्छे जीवन को प्राप्त कर सकता है। यम, नियम के पालन से शरीर, मन एवं मस्तिष्क स्वस्थ्य बनते हैं और मनुष्य निरोगी होता है। आसन, एवं प्राणायाम तो स्वास्थ्य प्रदान करने का उत्तम साधन है। प्रत्याहार से मनुष्य का स्वयं पर नियंत्रण हो जाता है तथा धारणा ध्यान एवं समाधि उसे जीवन में तो सुख देती ही है और मृत्यु के बाद भी उसे मोक्ष प्रदान करती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- अरुण कुमार सिंह, (2010) व्यक्तित्व का मनोविज्ञान मोतीलाल बनारसीदास ।
- दशोरा नन्दलाल, (2006) पातंजल योग सूत्र रणधीर प्रकाशन रेलवे रोड (आरती होटल के पीछे), हरिद्वार ।
- तीर्थ ओमानन्द, (2008) पतंजलि योग प्रदीप गीता प्रेस गोरखपुर ।
- मनुस्मृति 4/138
- रामकृष्ण शर्मा (2005) अष्टांग योग रहस्य रणधिर प्रकाशन रेलवे रोड (आरती होटल के पीछे), हरिद्वार ।

- दशोरा नन्दलाल, (2007) योग रहस्य रणधीर प्रकाशन रेलवे रोड (आरती होटल के पीछे), हरिद्वार।
- विज्ञानानन्द सरस्वती (2007) योग विज्ञान योगनिकेतन ट्रस्ट ऋषिकेश।
- पं० श्रीराम शर्मा (साधना पद्धतियों का ज्ञान और विज्ञान) अखण्ड ज्योति संस्थान मथुरा।
- श्री योगेश्वरानन्द परमहंस, (बहिरंग योग) योग निकेतन ट्रस्ट पंजाबी बाग नई दिल्ली ।
- स्वामी रामदेव, (योग साधना एवं योग चिकित्सा रहस्य) दिव्य प्रकाशन पतंजलि योग पीठ हरिद्वार।
- गोयन्दका हरिकृष्णदास, (योग–दर्शन) गीता प्रेस गोरखपुर।
- स्वामी दिव्यानन्द सरस्वती, (वेदों में योगविद्या) यौगिक षोध संस्थान योगधाम आर्यनगर ज्वालापुर हरिद्वार।
- श्री राम शमा, (व्यक्तित्व विकास हेतु उच्चस्तरीय साधनाएँ) अखण्ड ज्योति संस्थान मथुरा।
- आचार्य भगवान देव, (प्राणयाम, कुण्डलिनी) डायमंड पाकेट बुक्स (प्रा०) लि० नई दिल्ली।
- स्वामी निरंजनानन्द सरस्वती, (घेरण्ड संहिता,) योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट, गंगादर्शन, मुंगेर, बिहार, भारत मुद्रक–ऑफसेट्स, मच्छोदरी, वाराणसी।
- स्वामी स्वात्माराम (हठप्रदीपिका) कैवल्यधाम श्रीमन्माधव योगमन्दिर समिति स्वामी कुवलयानन्द मार्ग, लोनावला– ४१०४०३ (पुणे)।
- चन्द्रधर शर्मा, (भारतीय दर्शन और आलोचन एवं अनुशीलन), मोतीलाल बनारसीदास पब्लिकेशन्स प्रोइवेट लि0 नई दिल्ली।

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2023 SHISRRJ | Volume 6 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

Review Essay Small Island Developing States and International Climate Change Negotiations

Kumar Gaurav
PhD candidate, School of International Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India

Article Info

Publication Issue :
May-June-2023
Volume 6, Issue 3
Page Number : 12-18
Article History
Received : 07 May 2023
Published : 12 June 2023

Abstract - de Águeda Corneloup, Inés and A. Mol (2014), "Small Island developing states and international climate change negotiations: The power of moral "leadership"", International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, 14(3): 281-297.Mead, Leila (2021), "Small Islands, Large Oceans: Voices on the Frontlines of Climate Change", International Institute for Sustainable Development.

Keywords - Review, Essay, Small, Island, Developing, States, International, Climate, Change, Negotiations.

Introduction- Since the dawn of the industrial revolution, the uneven impact of human activities has elevated the speed at which the human civilisation was growing and consuming things, having a devasting impact upon nature and ecology at large. The impact has become even more severe in the 20th Century leading to atmospheric chemist Paul J. Crutzen and limnologist Eugene F. Stormer proposing a new geological era named Anthropocene to highlight it. The devastating impact has led to what is now called climate change. It delineates the relationship between risks to human society and the planet caused due to the inadvertent pressure upon the ecosystem by human activities. Closely related and often interchangeably used with climate change is the term global warming that points out the influence of human activities on the warming of the earth system. However, the impact of climate change while being present globally has not impacted everyone equally and the precarity, risk, hazard associated with it has an intersectional dimension to it.

This essay takes into consideration the impact of climate change on small island developing states (from here on SIDS). Despite contributing <0.003% of the total greenhouse emissions, SIDS are at the forefront of the dangers caused by anthropogenic climate change. Tourism comprises more than 30% of total exports in the majority of SIDS, and in some, it can go over 50% like Maldives, Seychelles, and Bahamas (Coke-Hamilton 2020). SIDS depend highly on food imports with 50% of them

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

importing more than 80% of the required food. SIDS has a combined population of approximately 65 million out of which one-third live on land less than five metres above the sea making them more predisposed to storms and rise in sea level. Sea level rise has become a physical threat to the survival of some island developing countries. The low adaptive capacity along with other factors make climate change an existential threat for SIDS.

SIDS, while not being homogenous in terms of geographical and socio-economic outlook do share similarities that make the case for bracketing them in talks on climate change. The policy brief that has been taken here historically looks at the evolution of international environmental negotiations by centring SIDS. It tries to come up with newer mechanisms to address the issues that are faced by SIDS. The influence of great powers in shaping issues at the international level makes it difficult for the voice from the margins, like those of SIDS, to be heard easily. Despite this, we find SIDS countries being successful in negotiating on the different international environmental forums. The 1972 Stockholm conference, for the first time, recognised the global nature of climate change issues. However, it was not until the 1992 UN Conference on Environment and Development (Earth Summit) that the international community recognised SIDS requiring special intervention. Lobbying by SIDS led to the recognition of their vulnerability in Agenda 21, the programme of action that was adopted at the Earth Summit. The special need for international cooperation in the areas of finance, technology transfer, capacity building, and information sharing was highlighted in the Barbados Declaration and Programme of Action for the Sustainable Development (BPOA) adopted at the conference in 1994 aimed at prescribing actions needed to help SIDS achieve sustainable development. The role of the Alliance of Small Island States (AOSIS), a coalition of SIDS, created in 1990, has been very crucial in lobbying at the international environmental negotiations.

Copenhagen Accord and role of leadership- In international climate negotiations, despite having a low bargaining chip, SIDS have managed to make space for their views. Mol and Corneloup look at the role of moral leadership in the negotiation process. For this, they examine events since the establishment of the Bali Action Plan in December 2007, leading up to and including the 2-week fifteenth Conference of Parties (COP 15) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) at Copenhagen in 2009. Mol and Corneloup do an in-depth content analysis of primary, secondary sources and corroborate them with interviews of climate change experts and negotiators to come up with a more accurate analysis of three important dossiers for SIDS: limits to temperature rise, additional funding needed for adaptation in developing countries, and the constant tussle for establishing a legally binding negotiation outcome. They start by analysing the crucial role of setting up the discourse which they define as ideas, concepts, and categorisations that inherently produce, reproduce, and transform practices as well as physical and social reality. They see a direct link between discourses, strategies, and outcomes.

To examine the details of negotiations at Copenhagen, they look at the placing of discourses by AOSIS and the role played by leadership in making strategies that were to be employed by SIDS. Several authors have written on the idea that leaders need to strategise. Mol and Corneloup state three forms of leadership that hold significance for SIDS. The first type is entrepreneurial leadership that refers to the special diplomatic and negotiating tactics, and skills that give the leader an advantage in setting the negotiation agenda and prioritising issues. Second, intellectual leadership which emphasises leaders' knowledge of sciences to help sway the scientific community in their favour. The last one, environmental leadership or directional leadership that focuses on leaders implementing domestic policies and practices to legitimise their stand on climate change negotiation. The prime role of different types of leadership here is to get support in favour of their conception of reality which they try to do by shaping the discourse. Different leadership types use different strategies to get their desired outcome. However, leadership may not always give the desired outcome and thus, Mol and Corneloup warn against the establishment of a false causal link between leadership strategies and outcomes.

1.5 Degrees Celsius Limit- To dwell further on strategies employed and the negotiation outcome, Mol and Corneloup analyse each of the three issues that were mentioned earlier and were part of the SIDS dossier. The issue of a temperature rise limit of 1.5 degrees Celsius was proposed for the first time in 2008 by AOSIS, one year before COP 15. SIDS promoted this goal using all three forms of leadership. AOSIS used the slogan, "1.5 to stay live". AOSIS made sure that their view about temperature rise was presented at every conference, speech, demonstration, and publication. Along with the demand of 350 ppm advocated by certain civil society groups that included renowned scientists and research institutes, a discourse was created that favoured SIDS. They together advocated both the demands on various platforms widening the reach. Apart from using public forums, SIDS also promoted their position by bringing in scientific arguments and intellectual leadership in favour of their stand. The main pivot around which they pushed their demand was the scientific nature of demand as opposed to the commonly political one. It was also backed by two regional research centres, international scientific institutes, and renowned researchers. Most of the studies agreed that the 2 degrees Celsius limit was old and would be obsolete, needing a replacement by the 1.5-degree Celsius target put forward by SIDS. Apart from this, with regards to leadership. some of the SIDS countries framed their domestic initiatives which were in line with the demand put forward by SIDS. The Maldives, for example, announced that it plans to become carbon neutral by 2020 and also emphasised other countries to become carbon neutral at the Climate Vulnerable Forum in November 2009. In the heydays of the conference, the SIDS Dock Initiative, a platform for transferring technology and finance to SIDS was launched by several small islands for investing in clean forms of energy and reducing greenhouse gas emissions.

Despite the effort by AOSIS and SIDS, the Copenhagen summit did not accept the 1.5-degree Celsius demand and increased the limit to a maximum of 2 degrees Celsius. Mol and Corneloup in their article give several reasons for this. First, they point out that 2 degrees Celsius was politically and scientifically agreed upon a long while back before the demand for 1.5 degrees Celsius came up. EU had fixed the goal as 2 degrees Celsius back in 1996. The IPCC Fourth Assessment report that came out in 2007 adopted 2 degrees Celsius as a reference for scientific studies gave it the much-needed legitimacy. Further, due to the politicisation of the debate, it became even more difficult to have a more scientific argument. The SIDS proposal of a 1.5 degrees limit was opposed by both the global south and global north. However, we do find that due to the constant pressure of AOSIS and SIDS, the proposal of 1.5 degrees Celsius limit found mention in the IPCC report of 2013. Later, Tony de Brum under the umbrella of the High Action Coalition brought the rich and the poor countries together leading to the successful inclusion of the 1.5 degrees Celsius limit in the Paris Climate Change Agreement.

Adaptation Fund- The second goal of AOSIS was obtaining additional funds for addressing climate change issues. As opposed to the conventional norm of stressing upon concrete finances, SIDS focussed on an adequate fund, immediately delivered, was stable, and could be provided over a long period. They followed the strategy which they used earlier in the case of their 1.5 degrees Celsius proposal. They used intellectual, entrepreneurial, and environmental leadership strategies. Instead of relying upon research to strengthen their demands, they stuck to what the Prime Minister of Samoa said during COP 15, "we see and experience it every day". At the same time, they used the estimations by World Bank and UNDP to give the audience an idea about what an "acceptable' and "sufficient" range of financial help means in the context of extremely vulnerable SIDS. There was a special focus on narrating the experiences of their vulnerability due to climate change on every platform. They made sure that it did not seem like just another climate change issue but one about the survival of Islanders. The Environment Minister of Tonga in speech reflected this when he said in COP 15, "We speak from our heart". At the same time, we see this discourse being carried forward even after the Copenhagen Summit. The fact that SIDS control around 30% of all oceans and seas was strategically used by their leaders. They projected the ocean and its resources as a reservoir having the potential to tap into the "blue economy" which stresses upon a sustainable idea of using oceans for human needs and economic growth. Danny Faure, the former president of Seychelles, emphasised the blue economy as the "next frontier of our development". Further, a High-Level Panel for a Sustainable Ocean Economy highlighted that an investment of a dollar would give five dollars in return. Mauritius in 2013, came out with a plan to tap into Exclusive Economic Zones (EEZ) by bringing together the different existing sectors, like seaports, tourism, marine biotechnology, and renewable energy. Seychelles later went forward with the world's first sovereign blue bond with 15

million USD in 2018. The bond will help expand the marine protected areas (MPAs) and further improve governance.

The role of entrepreneurial leadership strategy was crucial in mobilising support for creating adaptation funds under the convention and also as availability of special finance for SIDS countries compared to other countries that receive the fund. AOSIS used the idea of polluter pays principle and state responsibility under international law to advocate their request for adaptation finance. However, the environmental leadership lacked strength. Till December 2009, very few countries had submitted their National Adaptation Programs of Action for the LDC Fund. But at the same time, it did provide support in building the discourse on the vulnerability of SIDS and how it could be addressed through financial support. The Copenhagen summit did not however turn out to be an ideal outcome for SIDS. It only provided a short-term provision of 10 billion USD for 2010-2012. While the proposition of establishing a Green Climate Fund by 2020 was made, nothing concrete in terms of its governance, structure, and operationalisation was laid out. The one positive side for SIDS was the acceptance by the larger international community of the idea of adaptation funding. Most of the powerful countries recognised the special needs of SIDS countries. The Copenhagen Accord made available to SIDS and other vulnerable states, special window access to the annual 10 billion USD financial flow. Thus, while the idea of adaptation fund was ignored at Copenhagen Accord, SIDS were able to achieve smaller goals and move the discourse forward.

Legally Binding Outcome- The third, and final outcome that AOSIS advocated at COP15 was a legally binding obligation that would entail compliance and ensure repercussions in cases of non-compliance. UNFCCC negotiations went on two different tracks. The first called the Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol (AWG-KP), essentially looked at the continuity from the Kyoto Protocol while considering new commitments and new emission reduction targets for Annex I states. The second group, Ad Hoc Working Group on Long-Term Cooperative Action under the Convention (AWG-LCA) had a much wider scope and looked at the improvements that could be done to the existing climate change policy for better implementation of the objectives of the convention. AOSIS wanted both the tracks and thus, focusses on two separate agreements from the Copenhagen summit. The leadership strategy of AOSIS here was an entrepreneurial one and relied on procedural initiatives along with the negotiation process. Tuvalu presented proposals at the Bonn Talk of 2009 that targeted both tracks: amending the Kyoto Protocol and establishing a new Copenhagen Protocol. However, despite the effort of the AOSIS coalition, the two negotiation tracks did not produce any legally binding treaty due to the United States refusal to be part of a renewed Kyoto Protocol and the opposition from large economies (BASIC) to be part of a new climate change treaty. Thus, we find that structural leadership strategy proved vital in deciding the outcome that was the product of setting up the discourse, thereby rendering the entrepreneurial strategy ineffective.

Analysing the Strategies- SIDS discourse developed around being the victims of climate change linking it with the vulnerability that they were exposed to. This gave them the moral right of voicing their concerns at the Copenhagen Summit. Despite being less powerful, SIDS did play a role in shaping the discourse. For instance, SIDS promoted the issue of climate change as one of international peace and security which led to the discussion of climate change issue at the UN security council for the first time in 2007. They also linked it to the idea of human rights. The initiatives led by AOSIS found coalition partners in the form of least developed countries, African Countries, and Civil Society actors. Several NGOs raised slogans and activities that also included the initiatives pushed forward by SIDS. This was visible when the civil society raised the slogans, "Listen to the Islands" inside the conference centre when Tuvalu called for the suspension of COP.

Mol and Corneloup point out how the analysis of the three cases give us insights into the role of leadership in negotiations. Despite limited structural power, SIDS along with AOSIS were an active part of the UNFCCC negotiations, managing to make their discourse audible to the world, and in the process also influencing the discourse and achieving smaller victories. In the events leading up to the Copenhagen Summit, the leaders proved effective in reaching out to the larger international community, conveying their concerns while also getting support. However, all this was not possible once the summit moved towards closed-door agreements. Thus, AOSIS and SIDS are in favour of formal procedures and legal outcomes as they the structural power needed for closed-door meetings.

As opposed to most countries that already have some kind of legitimacy and normativity in international environmental negotiations, SIDS rely to a great extent on morality to build discourse and get support while delegitimising and shaming other states for being climate change offenders. Thus, Mol and Corneloup state that this needs to be seen as a strategy that is mobilised by SIDS paving the way to another kind of leadership vis-à-vis moral leadership apart from the four-leadership mentioned earlier. He construes it "as an ideal-typical fifth category of leadership" that needs to be added to the prevalent conceptions of leadership to understand how SIDS made use of their short stature in international relations to the best use. They constantly framed issues by linking them to the discourse of morality trying to get their war around. Thus, Mol and Corneloup point out that it is not environmental but moral leadership which was the reason SIDS had so much influence on affecting the discourse in Copenhagen summit.

Conclusion- The uneven pressure that SIDS countries are exposed to need to be taken into consideration whenever we talk of climate change and its repercussions. While giving the baton to these countries for voicing their vulnerability, the global world leaders need to consider the effect of climate change on human freedom. While the policy brief and the research article by Mol and Corneloup highlight the ill effects that SIDS have to face and how they have tried to tackle it, there needs to be a collective effort aimed at addressing the challenges posed in the Anthropocene to the global earth system. As highlighted by the Human Development Report 2020, there needs to be an

effort where we see problems as not something external to us but as an inherent part of the complex system where each unit is connected to the other. While stressing international cooperation and innovative financial approaches, we need a shift in the value system. The conception of human freedom and the role of social imbalances in exacerbating climate change and its impact needs to be highlighted. A collective effort would entail here focussing on the orthodox sites of power in ameliorating inequality and restructuring human values while being culturally sensitive and aware.

We need to shift towards sustainable practices, cutting down the dependence of SIDS countries and the world at large on fossil fuels paving way for a more ecologically sensitive means of fuel. Apart from technological assistance and financial assistance, we need to develop a negotiation platform that negates structural anomalies which exist due to the preponderance of power and provide a platform to vulnerable SIDS, other weaker countries, and communities. The solutions that we are looking for need to be grounded in both lived experience and sciences.

References

1. AOSIS. (2009). Proposal by the Alliance of Small Island States (AOSIS) for the Survival of the Kyoto Protocol and a Copenhagen Protocol to Enhance the implementation of the United Nations Framework Convention on Climate Change: AOSIS.
2. Barmett, J., & Adger, W. N. (2003). Climate dangers and atoll countries. Climate Change, 61, 321–337.
3. Clark, D. (2009). Maldives first to go carbon neutral. The Observer. The Guardian. 15 March.
4. COP15. (2009b). Alliance of small islands states: Status of negotiations. 10th December. AOSIS. On-demand webcast. Press conferences: COP15 Webcast.
5. Davis, J. W. (1996). The Alliance of Small Island States (AOSIS): The international conscience. Asia-Pacific Magazine, 2, 17–22.
6. IISD. (2009a). Summary of the Barcelona climate change talks: 2–6 November 2009. Earth Negotiations Bulletin (Vol. 12, pp. 17). New York: International Institute for Sustainable Development (IISD).

.

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2023 SHISRRJ | Volume 6 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

बिहार में महिलाओं के आर्थिक उन्नयन में मनरेगा की भूमिकाः नवादा जिला के विषेष संदर्भ में।

संजीव कुमार

शोध प्रज्ञ, अर्थशास्त्र विभाग, मगध विश्वविद्यालय , बोधगया (बिहार)

Article Info

Publication Issue :
May-June-2023
Volume 6, Issue 3
Page Number : 20-24
Article History
Received : 07 May 2023
Published : 29 June 2023

प्रस्तावनाः– गाँव में अदृश्य अकुशल बेरोजगारी को दूर करने के गाँव से शहर की ओर पलायन रोकने तथा स्थानीय जरूरतों के अनुरूप विकास कार्यों में रोजगार मुहैया कराकर ग्रामीण विकास व खासकर पिछड़े व गरीब वर्ग की महिलाओं के आर्थिक उन्नयन में यह महत्वकांक्षी योजना मनरेगा 2 फरवरी 2006 से भारत के 200 जिलों में आरम्भ किया गया। वर्त्तमान में यह भारत के सभी 600 जिलों में क्रियान्वित है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान कर गरीब तबके व बेसहारों, वृद्वए निःशक्त महिला–पुरूषों की आय में वृद्धि कर ही रहा है। साथ ही गाँव में स्थाई परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ हैं। जिससे कर ग्राम्य अर्थव्यवस्था की संरचना मजबूत होती जा रही है। और भारतीय अर्थव्यवस्था को व्यापक आधार मिला है।

समस्या का चयनः– यद्पि मनरेगा कार्यक्रम 2006 से क्रियान्वित हुआ है। लेकिन इसके क्रियान्वयन के बावजूद भी ग्रामीण महिलाओं की स्थिति आज भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाकर स्वावलंबी कैसे बनाया जाय? हमारा उद्देश्य यह भी देखना है कि मनरेगा योजना के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक स्थिति किस प्रकार से बेहतर हो सकेगी?

अध्ययन का उद्देश्यः– ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के साथ–साथ ग्रामीण महिला रोजगार रोजगार सृजन के माध्यम से स्वावलंबी आत्मनिर्भर महिला के जीवन में क्या–क्या बदलाव मनरेगा योजना ला रहा है।

कार्य प्रणालीः– प्रस्तावित अध्ययन में मुख्य रूप से प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों का सहारा लिया गया है। वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक तौर से समस्या को सामने प्रकट करने का प्रयास किया गया है। उद्देश्यपूर्ण चयन पद्धति के तहत खुले प्रश्नों के साथ प्रश्नावली का प्रयोग किया जा सकता है। उचित उपयोग सामग्री के तहत साहित्य की समीक्षा के लिए महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में शामिल किया जाएगा।

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बिहार सरकार द्वारा अनेकों महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। बिहार शायद देश का पहला राज्य होगा जहाँ शिक्षा, रोजगार एवं पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। जिसका जीता जागता प्रमाण नवादा जिला अंतर्गत लोहरपुरा पंचायत की मुखिया बीना देवी अपने अतुलनीय कार्यों के कारण राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी है। इसके अलावा बिहार राज्य की दो महिला पंचायत समिति सदस्य को प्रशिक्षण के लिए यूएनओ भेजा गया। बिहार में यद्यपि महिला साक्षरता दर बढ़ने से भ्रूण हत्या, बलात्कार, दहेज उत्पीड़न इत्यादि घृणित कुकृतियों में कमी आई है। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण की दशा और दिशा में परिवर्तन की जरूरत है। इस क्षेत्रों में आरक्षण के बल पर पंचायती राज के पदों पर एवं रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं की संख्या में आमूलचूल परिवर्तन के साथ वृद्वि हुआ है। किन्तु जागरूकता एवं इच्छाशक्ति के आभाव में इनके अधिकारें का निष्पादन इनके प्रतिनिधि के द्वारा किया जाता रहा है। समाज राज्य एवं राष्ट्र के विकास के लिए महिलाओं को विशेष कर गाँव देहात की महिलाओं को हर हाल में आगे आना होगा, इसके लिए सरकार के प्रयासों के साथ–साथ हमें स्वयं की

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

परंपरावादी मानसिकता में बदलाव लाना होगा। और हम सकते हैं कि ग्रामीण महिलाओं के सर्वागीण विकास के क्षेत्र में मनरेगा योजना एक महती भूमिका निभा रहा है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित कर दिया है। मनरेगा के माध्यम से दलितों, पिछड़ों, गरीब तबकों, कमजोर ग्रामीण में विशेषकर महिलाओं को देश के विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया है। जिससे उनमें आत्मविश्वास, रोजगार की उपलब्धता से आत्मनिर्भरता का भाव आया है, जिससे महिलाओं की क्रय क्षमता में इजाफा हुआ है। जागरूकता बढ़ी है परिवार भी सुरक्षित हुए है, सामाजिक समस्याएँ भी कम हुई है।

साहित्यावलोकनः– पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र के कारण उत्पन्न हुए संकट से निपटने का एक सैद्वांतिक समाधान था। अमित भादुरी (2005) ने रोजगार कार्यक्रम के माध्यम से संर्पूण विकास की रूपरेखा को सैद्वांतिक तौर पर स्थापित करने की कोशिश किया है। (1997) ने ट्रांसफर इफेक्ट तथा स्टेबलाइजेशन इफेक्ट के रूप में वार्णित किया है। ट्रासफर इफेक्ट का अर्थ आमदनी में विशुद्व वृद्वि से है, तथा स्टेबलाईजशन इफेक्ट का अर्थ विपरीत परिस्थितियों में अतिरिक्त आमदनी से मिले लाभ से है। विभिन्न सर्वेक्षण एवं अध्ययनों से पता चलता है कि ग्रामीण सड़कों तथा कृषि उत्पादकता में वृद्वि का गरीबी उन्मूलन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। लोक निर्माण के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का पुनः निर्माण किया जा सकता है। और जिसका कृषि एवं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। नारायण, पारिख एवं श्रीनिवासन, (1999) एडुआर्डो जपेदा (2012) ने दोनों अपने आलेखो में मनरेगा कार्यक्रम के फायदे तथा गरीबी उन्मूलन पर सीधा प्रभाव के असर का तुलनात्मक मूल्यांकन करते हुए इस निष्कर्ष निकाला हैं कि रोगार सृजन करने का एक बेहतर कार्यक्रम है।

भारत एक कल्याकारी देश है जो सामान्य रूप से अपने सभी नागरिकों और विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण के प्रति प्रतिबद्व है। इसी वजह से सरकार देश के सभी वर्गों व सभी क्षेत्रों में विशेष रूप से निर्धन एवं ग्रामीण क्षेत्रों, गंदी बस्तियों एवं पिछड़े क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के आर्थिक उत्थान के लिए योजनाओं का निर्माण कर उन्हें क्रियान्वित कर रही है। मनरेगा मनरेगा उन्ही विभिन्न योतनाओं में महत्वकांक्षी योजना है। यह अपने लक्ष्य एवं उद्देश्य में कितनी सफल रही? क्या उनका अपेक्षित प्रभाव हुआ है? यह उनकी क्रियान्वित में क्या समस्याएं आ रही है? उनमें क्या सुधार किए जाने चाहिए? यह शोध का विषय है।

इस लेख में बिहार तथा नवादा जिले में मनरेगा के अंतर्गत हुई प्रगति एवं महिलाओं की स्थिति का अध्ययन किया गया है अध्ययन की अवधि योजना मार्च से 2018 से दिसम्बर 2022 तक ली गई है। आंकड़े मुख्यतः पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जिला पंचायत बिहार प्रदेश की आर्थिक सर्वेक्षण पत्रिकाओं तथा मनरेगा की वेबसाइट **www.nrega.nic.in** द्वारा एकत्रित किए गए हैं।

मनरेगा योजना के मुख्य बिन्दुः– मनरेगा अधिनियम 2005 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक परिवार के व्यस्क सदस्य जो अकुशल श्रम करने का इच्छा रखता है। उनहें रोजगार उपलब्ध कराना है। इसमें आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस के रोजगार की कानूनी गारंटी दिया गया है। इसके अधीन पंजीकृत परिवार का व्यस्क सदस्य अकुशल मानव श्रम के लिए आवेदन करने का पात्र है। इसके जॉब कार्ड जारी होने पर रोजगार के लिए आवेदन ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया जाता है। मजदूरी श्रम आयुक्त द्वारा कृषि श्रमिकों के लिए निर्धारित दर से अथवा केन्द्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के निर्धारित दर से देने का प्राधान है। रोजगार की मांग की तारीख से 15 दिनों में रोजगार पाने का अधिकारी हो जाता है। और यह भत्ता राज्य सरकार को वहन करना होता है। योजना के क्रियान्वयन में ठेकेदारी प्रथा प्रतिबंधित है। मानव श्रम के स्थान पर कार्य करने वाली मशीनों का प्रयोग भी प्रतिबंधित है। कार्यस्थल पर तात्कालिक उपचार की सुविधा, पेयजल, छांव के लिए शेड, शिशु के लिए पालना आदि उपलब्ध कराए जाने का भी प्रावधान है। योजना के अंतर्गत कार्यरत व्यक्ति की मृत्यु अथवा स्थाई अपंगता की स्थिति में 25000 बतौर मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है। योजना में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए किसी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।

मनरेगा में वित्तीय प्रबंधनः– मनरेगा योजना में वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत केन्द्र सरकार के द्वारा मजदूरी की पूरी राषि, सामग्री की लागत की तीन चौथाई राषि तथा प्रषासनिक खर्चों के लिए कुल लागत का तय किया गया प्रतिषत उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता सामग्री लागत की एक चौथाई राषि और राज्य परिषद का प्रषासकीय खर्च उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

बिहार में मनरेगा की प्रगतिः– मनरेगा एक माँग आधारित योजना है जिसके अन्तर्गत जल संरक्षण, सूखाग्रस्त क्षेत्रों का उद्धार, वानिकी वृक्षारोपन, भूमि विकास, सड़कों का निर्माण, बाढ़ नियंत्रण व संरक्षण अपनाए जाने की व्यवस्था है। विभिन्न वर्षों में मनरेगा की रिर्पोट दर्शाया गया है।

मनरेगा योजना के अन्तर्गत बिहार में सन् 2018–19 में जॉबकार्ड जारी किए गए कुल परिवारों की संख्या 15775888 थी जो सन् 2021–22 में बढ़कर 20755994 हो गई। पुनः 2018–19 में रोजगार उपलब्ध कराए गए महिलाओं की संख्या 1727888 थी जो 2021–22 में बढ़कर 2856343 हो गई।

2018–19 में कुल सृजित रोजगार मानव विकास दिवस में कुल 123180192 था जिसमें महिला मानव दिवस 63735312 था जो 2021–22 में बढ़कर कुल रोजगार मानव दिवस 180848012 हुआ जिसमें महिला मानव दिवस 963182097 हुआ। 2018–19 में 100 दिवस पूरा करने वाले कुल परिवारों की संख्या 24548 था जो 2021–22 में घटकर 21807 हो गई ।

बिहार में मनरेगा में रोजगार स्थिति

वर्ष	जारी किए गए जॉबकार्ड की कुल सं०	रोजगार उपलब्ध कराये गए परिवारो की सं०		कार्य दिवस		100 दिवस पूरा किए गए परिवारों की सं०
		कुल	महिला	कुल	महिला	
2018-19	15775888	2919078	1727888	123180192	63735312	24548
2019-20	17105052	3363507	2104323	1413363980	78952691	20366
2020-21	19317696	5087969	3046568	207217796	124125914	35047
2021-22	20755994	4791331	2856343	180848012	96182097	21809

स्त्रोतः– MIS Report

ग्रामीण विकास विभाग, 11 मार्च 2023

www.narega.nic.in

नवादा जिले में मनरेगा योजना की प्रगतिः– नवादा जिले में मनरेगा योजना की प्रगति को दर्शाता है। नवादा जिले में मनरेगा के अन्तर्गत जारी किए गए जॉबकार्ड परिवारों की संख्या 462192 था जो 2021–22 में बढ़कर 549223 हो गया है।

2018–19 में रोजगार प्राप्त कुल परिवार की संख्या 98208 था जिसमें 61151 थी जो 2021–22 में क्रमशः 117707 व 68791 हो गया है। नवादा जिले में वर्ष 2018–19 में कुल रोजगार मानव दिवस 4734123 था जिसमें महिला मानव दिवस 2652968 था जो वर्ष 2021–22 में घटकर क्रमशः 4506149 व 242411 हो गया। नवादा जिले में वर्ष 2018–19 में 100 दिवस रोजगार प्राप्त करने वाले परिवार की कुल संख्या 1540 था जो 2021–22 में घटकर 950 हो गया।

नवादा जिला में मनरेगा में रोजगार स्थिति

वर्ष	जारी किए गए जॉबकार्ड की कुल सं०	रोजगार उपलब्ध कराये गए परिवारो की सं०		कार्य दिवस		100 दिवस पूरा किए गए परिवारों की सं०
		कुल	महिला	कुल	महिला	
2018-19	462192	98208	61151	4734123	2652968	1540
2019-20	483459	86031	52467	3593079	1924461	869
2020-21	523759	101190	59119	4636939	2454718	1585
2021-22	549223	117707	68791	4506149	2424118	950

स्त्रोतः– MIS Report

ग्रामीण विकास विभाग, 11 मार्च 2023

www.narega.nic.in

नवादा जिले में मनरेगा में कार्य निष्पादन स्थिति का विवरणः– वित्तीय वर्ष 2019–20 में मनरेगा के अन्तर्गत कुल प्रगतिरत 91580 कार्य था जिसमें से कुल 85425 कार्य का पूर्ण किये गये जो कुल कार्य का 93.28 प्रतिशत था। और 2021–22 में घटकर प्रगतिरत कुल कार्य 10978 हो गया जिसमें से कुल 6465 कार्य पूर्ण हुए जो कुल कार्य का 58.89 प्रतिशत था। आंकड़े इस बात का साक्षी है कि मनरेगा में जो कार्य चल रहे है उसमें निरंतर कमी हो रही है।

नवादा में मनरेगा में रोजगार स्थिति विवरणी

वर्ष	शुरू किये गए कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गये कार्यों की सं०	अभी तक पूरा नही हुए कार्यों की सं०	कार्य पूर्ण होने की दर प्रतिशत में
2019-20	91580	85425	6155	93.28
2020-21	10978	6465	4513	58.89
2021-22	12778	6486	6292	50.76

स्त्रोतः– MIS Report

ग्रामीण विकास विभाग, 11 मार्च 2023

www.narega.nic.in

निष्कर्ष एवं चुनौतियाँः– अदृश्य मौसमी और ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने, क्षेत्र का विकास करने की अद्भुत महत्वकांक्षी व्यापक वित्तीय योजना मनरेगा अपने अद्देश्य को प्राप्त करने में आंशिक रूप से सफल रही है। जैसा कि संपूर्ण अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारत में इस योजना में उपलब्धियों का ग्राफ ऊपर की ओर गया हैं वहीं बिहार राज्य में उपलब्धियों का ग्राफ नीचे की ओर गया है। इस योजना में पूर्ण पारदर्शिता एवं ईमानदारी रखना आवश्यक है। और यह योजना अपने स्वर्णिम लक्ष्यों को हासिल कर सकेगी। अंत में हम कहना चाहते हैं कि समाज राज्य एवं राष्ट्र के विकास के लिए महिलाओं को विशेषकर गाँव देहात की महिलाओं को हर हाल में आगे आना होगा, इसके लिए सरकार के प्रयासों के साथ–साथ हमें स्वयं की परंपरावादी मानसिकता में बदलाव लाना होगा। महिला

सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित कर दिया है। मनरेगा के माध्यम से दलितों, पिछड़ों, गरीब तबकों, कमजोर ग्रामीण में विशेषकर महिलाओं को देश के विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया है। जिससे उनमें आत्मविश्वास, रोजगार की उपलब्धता से आत्मनिर्भरता का भाव आ सके। महिला लाभार्थी के सभी उत्तरदाताओं ने दावा किया है कि मनरेगा कार्यक्रम के तहत काम करके उनकी आय में वृद्वि हुई है एवं महिलाओं की क्रय क्षमता में वृद्वि हुई है। इससे समाज के लोगों में जागरूकता बढ़ी है परिवार भी सुरक्षित हुए हैं, सामाजिक समस्याएं भी कम हुई है।

संदर्भ सूचीः–

1. डांडेकर एवं रथ (1971) पावर्टी इन इंडियाः डाइमेंशन एंड ट्रेड्स
2. कीन्स जान मेएनार्ड (1951) द जनरल थ्योरी ऑफ एंप्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी मैकमिलन एंड कंपनी लि० लंदन
3. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना दिशानिर्देश 2008 ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली पृष्ठ संख्या–1
4. कुरूक्षेत्र मासिक पत्रिका रोजगार स्थिति नवम्बर 2013
5. भादुरी, अमित (2005) डेवलपमेंट विथ डिग्निटी नेशनल बुक ट्रष्ट नई दिल्ली
6. अमर्त्य सेन आर्थिक विषमताएँ राजपाल प्रकाशन नई दिल्ली (2008)

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2023 SHISRRJ | Volume 6 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

महिला उद्यमिता - समस्याएं और संभावनाएं

Rajesh Kumar

Assistant Professor, Govt. College Bhattu Kalan, Fatehabad

Article Info

Publication Issue :
May-June-2023
Volume 6, Issue 3

Page Number : 25-37

Article History
Received : 07 May 2023
Published : 30 June 2023

परिचय

पढ़ी-लिखी महिलाएँ घर की चार दीवारी में अपने जीवन को सीमित नहीं रखना चाहतीं। वे अपने सहयोगियों से समान सम्मान की मांग करती हैं । हालांकि, भारतीय महिलाओं को समान अधिकार और स्थिति हासिल करने के लिए अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना हैक्योंकि भारतीय समाज लम्बे समय से एक पुरुष प्रधान रहा समाज है जिसमे रुढ़िवादी परम्पराओं की जड़ें बहुत गहराई तक फैली हुयी है । भारतीय समाज में महिलाओं को कमजोर माना जाता है क्योंकि उनके पास उन अधिकारों कि कमी होती है जो एक पुरुष को प्राप्त होते है और उन्हें हमेशा अपने पूरे जीवन में पुरुषों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है । हमारी संस्कृति ने उन्हें बुनियादी परिवार संरचना से सम्बन्धित पुरुषों द्वारा लिए गए निर्णयों का केवल अधीनस्थ और निष्पादक बनाकर रख दिया है । एक तरफ तो महिलायों को समाज में शक्ति का रू।माना जाता है और दूसरी और उनकी अवहेलना भी की जाती है । महिलायें शायद दुनिया का ऐसा मानवीय संशाधन जिसकी शक्तियों का अभी तक पूर्ण प्रयोग नहीं किया गया है । सभी प्रकार की सामाजिक बाधाओं के बावजूद भारत महिलाओं की सफलता की कहानियों के साथ काम कर रहा है। बहुत सी महिलायों ने अपने कार्य और प्रतिभा के दम पर भारत देश में अपनी एक अद्भुत छवि का निर्माण किया है और संबंधित क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए पुरे विश्व में उनकी सराहना की जाती है। सामाजिक सरंचना में अमूल चूल परिवर्तन, महिलाओं की बढ़ती शैक्षिक स्थिति और विविधताओं के संदर्भ में बेहतर जीवन जीने की आकांक्षाओं के कारण भारतीय महिलाओं की जीवन शैली में बदलाव आया। इस पुरुष प्रधान समाज में उन्होंने डटकर हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ प्रतिस्पर्धा की और सफलतापूर्वक जीवन के हर क्षेत्र में उसके साथ खड़ा होने कि अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया , व्यवसाय भी इससे अछुता नहीं रहा है । अब भारतीय महिला नेता मुखर, प्रेरक और जोखिम उठाने को तैयार हैं। वे अपनी मेहनत,लगन और दृढ़ता से इस गलाकाट प्रतियोगिता में अपने अस्तित्व को बनाये रखने और सफल होने में कामयाब रहीं । निर्णयों में दृढ़ता, खुली शैली , जल्दी सीखने की क्षमता,समस्या को आसानी से हल करना, जोखिम उठाने और संभावनायें खोजने की इच्छा, लोगों को प्रेरित करने की क्षमता, सफलता प्राप्त करने कि इच्छा , सबके साथ मिलकर कार्य करना आदि भारतीय महिला उधमियो कि विशेषताएँ है ।

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

अवधारणा

महिला उद्यमी से आशय महिला जनसंख्या के उस भाग से है जो औद्योगिक क्रियाओं में साहसिक कार्य में संलग्न। "महिला उद्यमी उस उद्यमी को कहा जाता है जो किसी उपक्रम की स्वामी होते हुए उसका नियंत्रण करती है तथा उपक्रम की पूंजी में 51 प्रतिशत का अंश धारण किए हुए है तथा उपक्रम में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या न्यूनतम 51 प्रतिशत हो" । महिला मानवीय संशाधन का अल्प्रयोग, निर्णयों में भागीदारी का ना होना,पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार एवं व्यवसाय स्थापना कि इच्छा आदि कुछ ऐसे कारक हैं जो महिलाओं को एक स्वतंत्र पेशा रखने और अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रोत्साहित करते है। एक उद्यम स्थापना के पीछे उनके अपने जीवन और करियर से सम्बंधित स्वतंत्र निर्णय लेने कि भावना भी एक प्रेरक कारक है । घरेलू कामों और घरेलू ज़िम्मेदारियों से घिरी महिलाएँ थोड़ी स्वतन्त्रता चाहती हैं। इन कारकों के प्रभाव में महिला उद्यमी एक चुनौती के रूप में और कुछ नया करने के लिए एक आग्रह के रूप में एक पेशे का चुनाव करती है । ऐसी स्थिति को पुल कारकों के रूप में वर्णित किया जाता है।जबकि पुश कारकों में पारिवारिक मजबूरी, रोजगार का न होना आदि को वर्णित किया जाता है। अतः एक महिला उद्यमी व्यवसाय को आरम्भ करती है तथा उसका गठन एवं संचालन करती है।

महिला उद्यमियों के अहम योगदान के निम्नलिखित कारण रहे है:

- वे स्व-विकास के लिए नयी चुनौतियों तथा अवसरों को ज्यादा पसंद करती हैं।
- वे नव-प्रवर्तक तथा प्रतिस्पर्धी जॉब्स में अपनी योग्यता सिद्ध करना चाहती हैं।
- वे अपनी घरेलू जिम्मेदारी तथा व्यावसायिक जीवन में संतुलन के द्वारा नियंत्रण को बदलना चाहती हैं।

महिला उद्यमिता के कारण

भारत में महिलाओं के व्यवसाय में प्रवेश को उनकी परम्परागत रसोई गतिविधियों मुख्य रूप से 3P (Pickle, Powder and Pappad) अचार, पाउडर और पापड़ के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है। परम्परागत जिम्मेदारियों की बेड़ियों को त्यागने के बाद महिलायों ने उन बेड़ियों को ही अपना सुरक्षा कवच बना लिया और हर प्रकार के व्यवसायों में अपना वर्चस्व स्थापित किया। लेकिन शिक्षा के प्रसार और समय बीतने के साथ महिलाओं ने 3P को आधुनिक 3E यानी एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग में बदलना शुरू कर दिया। व्यवसाय में कौशल, ज्ञान और अनुकूलनशीलता महिलाओं के व्यवसाय के उपक्रम में उभरने के मुख्य कारण हैं। महिला उद्यमी एक ऐसा व्यक्ति है जो उसकी व्यक्तिगत जरूरतें और आर्थिक रूप से स्वतंत्रता के लिए मिलने वाली चुनौतीपूर्ण भूमिका स्वीकार करता है। कुछ सकारात्मक करने की तीव्र इच्छा उद्यमी महिलाओं की आंतरिक विशेषता है, जो उन्हें पारिवारिक और सामाजिक जीवन, दोनों में अपना सम्पूर्ण योगदान देने में सक्षम बनाती है। मीडिया के आगमन के कारण महिलाओं को अपने स्वयं के लक्षणों, अधिकारों और काम की स्थितियों के बारे में पता चला है। डिजिटल युग में नौकरी चाहने वाले नौकरी निर्माताओं में बदल रहे हैं जिस कारण डिजिटल युग की महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियाँ और अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं । कई महिलाएं कुछ दर्दनाक घटना के कारण व्यवसाय शुरू करती हैं, जैसे कि तलाक, गर्भावस्था के कारण भेदभाव या कॉरपोरेट ग्लास सीलिंग, परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य या छंटनी जैसे आर्थिक कारण। परंतु आज महिला उद्यमियों का एक नया प्रतिभाशाली संघ बन रहा है, क्योंकि अधिकतर महिलाएं कॉर्पोरेट दुनिया में अपने स्वयं के भाग्य का निर्माण और अपने लक्ष्य स्वयम निर्धारित करने के लिए घर कि चारदीवारी से बाहर निकलने का विकल्प चुनती हैं। वे डिजाइनर, इंटीरियर, सज्जाकार, निर्यातक, प्रकाशक, परिधान निर्माता के रूप में फल-फूल रहीं हैं और अभी भी आर्थिक भागीदारी के नए रास्ते तलाश रहीं हैं।

निम्न चार्ट महिलाओं के सफल उद्यमी बनने के कारणों को दर्शाता है:-

भारतीय समाज में महिला उद्यमियों के विकास को बाधित करने वाले तत्व:-

महिला उद्यमियों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं और बाधाओं के परिणामस्वरूप महिला उद्यमिता का विस्तार सीमित हो गया है। महिला उद्यमियों के सामने आने वाली प्रमुख बाधाएँ हैं: -

- महिला उद्यमियों के लिए सबसे बड़ी बाधा यह है कि वे महिलाएं हैं। एक तरह की पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था उनके व्यवसाय की सफलता के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी बाधा है । पुरुष सदस्यों को लगता है कि महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे उपक्रमों का वित्तपोषण करना एक बड़ा जोखिम है।
- देश के कई हिस्सों में अभी भी पुरुषवाद का प्रचलन है। महिलाओं को अबला के रूप में देखा जाता है यानी सभी प्रकार से कमजोर। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को पुरुषों के बराबर नहीं माना जाता हैं जो व्यवसाय में महिला के प्रवेश के लिए सबसे बड़ा बाधक तत्व हैं।

- महिला उद्यमियों को उन पुरुष उद्यमियों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है जो अपने उत्पाद एवं सेवाओं का प्रचार, प्रसार , विकास और विपणन आसानी से दोनों, संगठित क्षेत्र और उनके पुरुष समकक्ष क्षेत्त्रों में आसानी करते है ।इस प्रकार कि प्रतियोगिता अंत में महिला उद्यमों के समापन का कारण बनता है।
- आत्मविश्वास, इच्छा-शक्ति, मजबूत मानसिक दृष्टिकोण और आशावादी रवैये का अभाव महिलाओं के बीच अपने काम के दौरान गलतियाँ करने का कारण बनता है । ऐसे में परिवार के सदस्य और समाज महिला उद्यमशीलता के साथ खड़े होने में रूचि नहीं लेता हैं।
- भारत में महिलाएं संरक्षित जीवन जीती हैं। वे आर्थिक रू।से कमजोर और पुरुषों कि तुलना में शिक्षित भी कम होती हैं ।इसके अतिरिक्त आत्म-निर्भरता कि कमी भी व्यवसायिक जोखिम और अनिश्चितताओं को सहन करने की उनकी क्षमता को कम करता हैं
- महिलाओं के व्यवसायिक क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने के लिए पुराना और आउटडेटिड सामाजिक दृष्टिकोण बाधक बनता है । उन पर हमेशा एक सामाजिक दबाव रहता हैं जो उन्हें उद्यमशीलता के क्षेत्र में समृद्धि और सफलता प्राप्त करने से रोकता है।
- पुरुषों के विपरीत, भारत में महिलाओं की गतिशीलता कई कारणों से अत्यधिक सीमित है। अपने लिए अलग कमरे तक की मांग करने वाली महिलाओं को अभी भी संदेह की दृष्टि से देखा जाता है।महिलाओं के प्रति अपमानजनक रवैया रखने वाले अधिकारियों के साथ मिलकर एक उद्यम शुरू करना उन्हें पूरी तरह से उद्यम में जीवित रहने की अपनी भावना को छोड़ने के लिए मजबूर करता है।
- दोनों, विकसित और विकासशील राष्ट्र की महिलाओं के पारिवारिक दायित्व भी उन्हें सफल उद्यमी बनने से रोकते हैं। वित्तीय संस्थान भी इस विश्वास पर कि वे किसी भी समय अपना व्यवसाय छोडकर फिर से गृहिणियां बन सकती है, महिलाओं को हतोत्साहित करते हैं।
- भारतीय महिलाएं पारिवारिक संबंधों पर अधिक बल देती हैं। विवाहित महिलाओं को अपने व्यवसाय और परिवार के बीच एक अच्छा संतुलन बनाना पड़ता है । इसके अतिरिक्त उनकी व्यावसायिक सफलता भी परिवार के सदस्यों के सहयोग और समर्थनभी भी निर्भर करती है ।
- महिलाओं के पारिवारिक और व्यक्तिगत दायित्व कभी-कभी व्यापार और कैरियर के सफल होने के लिए एक बड़ी बाधा होते हैं। केवल कुछ महिलाएं ही घर और व्यवसाय दोनों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में सक्षम हैं,अपनी सभी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता से निभाने के लिए पर्याप्त समय देना,पतियों का शैक्षिक स्तर और पारिवारिक पृष्ठभूमि भी महिलाओं कि उद्यम के क्षेत्र में भागीदारी को प्रभावित करती है।
- अपने स्वयं के परिवार द्वारा महिलाओं के लिए उचित समर्थन, सहयोग और बैक-अप की अनुपस्थिति और बाहरी दुनिया के लोग उन्हे उतम से उतम विचार और उद्यम क्षेत्र को छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं वे हमेशा उनके दिमाग में कई निराशावादी भावनाओं को में पैदा करते रहते हैं। और उन्हें यह महसूस करवाया जाता है कि व्यवसाय नहीं उनके लिये नहीं है।
- कुछ व्यावसायिक कार्यों की उच्च उत्पादन लागत का महिला उद्यमी के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नई मशीनरी की स्थापना उत्पादक क्षमता के विस्तार जैसे कारक महिला उद्यमियों की नए क्षेत्रों में पहुंच को हतोत्साहित करते हैं।
- महिलाओं द्वारा नियंत्रित व्यवसाय अक्सर छोटा होता है और महिलाओं के लिए इस से सम्बन्धित प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण, नवीन योजनाओं, रियायतें, वैकल्पिक बाजार आदि तक एक्सेस करना हमेशा आसान नहीं होता है ।

महिला उद्यमियों का बस एक छोटा सा प्रतिशत प्रौद्योगिकी की सहायता का लाभ उठा पा रहा है और वे भी कंप्यूटर में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर तक ही सीमित है । वे बड़ी मुश्किल से उपलब्ध उन्नत सॉफ़्टवेयर सांख्यिकीय , लेखा पैकेज जैसे TALLY, 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर , इंटरनेट, आदि का उपयोग करते हैं ।

- वित्तीय क्षेत्र में संस्थानों द्वारा प्रोत्साहन, ऋण, योजनाओं के रू।में वित्तीय सहायता के बारे में जागरूकता की कमी आदि भी महिलायों के पिछड़ेपन का कारण बनते है ।

महिला उद्यमियों को अनुचित ढांचागत सुविधाओं, उच्च उत्पादन लागत, महिलाओं के प्रति आधुनिक समाज के लोगों का दृष्टिकोण, उद्यम की कम जरूरतें आदि के रूप में समस्याओं का सामना करना पड़ता है।पुरुषों की तुलना में महिलाएं भी औसतन दस साल बाद व्यवसाय शुरू करती हैं,। मातृत्व, प्रबंधन अनुभव की कमी, और पारंपरिक समाजीकरण आदि को उद्यमी करियर में महिलायों के देरी से प्रवेश के कारणों के रूप में उद्धृत किया जा सकता है।

महिला उद्यमियों के विकास के लिए उपाय

महिला उद्यमियों के विकास और उद्यमशीलता की गतिविधियों में उनकी अधिक भागीदारी के लिए सभी क्षेत्रों से सही प्रयासों की आवश्यकता है। उद्यमिता मूल रूप से एक के जीवन और गतिविधियों के नियंत्रण में होने का तात्पर्य है और महिला उद्यमियों को अपने विरोधाभास से बाहर आने के लिए आत्मविश्वास, स्वतंत्रता और गतिशीलता प्रदान करने की आवश्यकता है। विभिन्न अवसरों को जब्त करने और व्यापार में चुनौतियों का सामना करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाए गए हैं

- महिला उद्यमियों को प्रेरित करने, प्रोत्साहित करने, प्रेरित करने और सहयोग करने के लिए निरंतर प्रयास होना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों के बारे में व्यवसाय संचालित करने के इरादे के साथ एक जागरूकता कार्यक्रम बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाना चाहिए ।
- महिलाओं में शिक्षा ,सामान्य रू।से उनके प्रशिक्षण, व्यावहारिक अनुभव के लिए प्रभावी प्रावधान करना और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम, अपने पूरे व्यक्तित्व को सुधारने के के मानकों को बढ़ाने के प्रयास होने चाहिए।
- पेशेवर दक्षता, प्रबंधकीय, नेतृत्व, विपणन, वित्तीय, उत्पादन प्रक्रिया, लाभ योजना और अन्य कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। इससे महिलाओं को प्रोत्साहन मिलेगा ।
- महिला समुदाय को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना जो उन्हें व्यवसाय करने में सक्षम बनाता है और उत्पादन प्रक्रिया और उत्पादन प्रबंधन को समझने में मदद करेगा ।
- महिलाओं के पॉलिटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कौशल विकास किया जाना चाहिए ।
- शैक्षिक संस्थानों को विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों के साथ गठजोड़ करना चाहिए ताकि व्यवसाय की योजना बनाने के लिए मुख्य रूप से उद्यमिता विकास में सहायता करने वाली परियोजनायों को बल प्रदान किया जा सके ।
- अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, स्थानीय व्यापार मेलों, औद्योगिक प्रदर्शनियों, सेमिनारों और महिलाओं को अन्य महिला उद्यमियों के साथ बातचीत की सुविधा प्रदान करने के लिए सम्मेलनों का आयोजन किया जाना चाहिए।
- व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लिए सॉफ्ट लोन और अनुदान की पेशकश की जानी चाहिए । छोटे और बड़े पैमाने पर उद्यम स्थापित करने के लिए पूंजी सहायता देने के लिए वित्तीय संस्थानों को अधिक प्रयास करना चाहिए।

- स्थानीय स्तर पर महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए सूक्ष्म ऋण प्रणाली और उद्यम ऋण प्रणाली विकसित कि जानी चाहिए । कमजोर वर्ग विभिन्न योजनाओं और प्रोत्साहनों जैसे प्रधानमंत्री रोज़गार योजना, खादी और ग्रामीण ग्रामोद्योग योजना इत्यादि के माध्यम से धन जुटा सकता है।
- शुरुआती चरणों में महिला उद्यमियों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है लेकिन उन्हें अपने निर्णय पर दृढ रहना चाहिए और स्वयं पर विश्वास करना चाहिए तथा स्थापित उद्यम को बंद नहीं करना चाहिए ।
- विभिन्न गैर सरकारी संगठनों और सरकारी संगठनों द्वारा उद्योग, व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में महिलाओं के विकास पर नीतियों, योजनाओं और रणनीतियों के बारे में सूचना फैलाने के लिए प्रयास चाहिए। महिला उद्यमियों को सरकार द्वारा प्रदान की गई विभिन्न योजनाएं का उपयोग करना चाहिए। महिलाओं को बदलते समय के साथ खुद को उन्नत बनाने की कोशिश करनी चाहिए।
- महिलाओं को शिक्षित और लगातार प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।व्यवसाय के सभी कार्यात्मक क्षेत्रों में कौशल और प्रबंधन ज्ञान प्राप्त करें।इससे महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है और एक अच्छा व्यापार नेटवर्क विकसित करने में भी सहायता प्राप्त होती है ।
- उद्योग, व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में महिलाओं की मदद करने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह महिलाओं के संसाधन और पूंजी जुटाने के लिए एक सकारात्मक भूमिका निभा सकता है।
- महिला उद्यमियों का प्रगति पथ पर आने वाली समस्याओं, शिकायतों, मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अखिल भारतीय मंचों की स्थापना करना और इस सम्बन्ध में उपयुक्त निर्णय देना।

महिला उद्यमियों को प्राप्त होने वाली सुविधाएँ

वूमेन इंटरप्रेन्योशिप को देश के आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। इकनोमिक ग्रोथ के लिए महिलाओं का योगदान बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजना बनाई हैं, जिससे वूमेन इंटरप्रेन्योशिप में इजाफा हो।इकनोमिक ग्रोथ में महिलाओं का योगदान बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजना बनाई हैं, जिससे वीमेन आंत्रप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिले। इन योजनाओं के तहत सरकार उन महिलाओं को कई तरह के प्रोत्साहन दे रही है, जो कि खुद अपना कारोबार कर रही हैं।

MSME मंत्रालय ने महिला उद्यमियों की मुश्किलों को सुलझाने और उन्हें हर संभव मदद उपलब्ध कराने के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की हैं । सरकार आंत्रप्रेन्योरशिप डिवेलपमेंट प्रोग्राम के तहत महिलाओं को शिक्षित करने के साथ उनकी स्किल्स बढ़ाने पर फोकस कर रही है। सरकार ने महिला उद्यमियों को उनके कारोबार से होने वाले फायदे पर तीन साल तक 100% टैक्स छूट दी है ।

इसके अलावा, केंद्र और राज्य सरकारों की कई अन्य योजनाएं भी हैं, जो कि गरीब महिलाओं को रोजगार का जरिया उपलब्ध कराती हैं ।

महिला उद्यमियों के लिए स्कीमें-

अन्नपूर्णा योजना (Annapurna Scheme)

भारत सरकार द्वारा अन्नपूर्णा योजना को 31 अक्टूबर 2015 को जयपुर जिले के बमोरी गांव से शुरू किया गया। अन्नपूर्णा योजना के तहत वे महिला उद्यमी जो पैक किए गए भोजन, नाश्ते आदि खाद्य वस्तुओं को बेचने के लिए खाद्य खानपान उद्योग स्थापित करना चाहती हैं। इस योजना के भीतर स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के द्वारा उन महिला उद्यमियों को पचास हजार रुपए की ऋण राशि दी जाएगी और जिसे 36 महीनों की मासिक किस्तों पर भुगतान करना होगा। यह ऋण महिला उद्यमी की प्राथमिक जरूरतों को पूर्ण करने के लिए दिया जाएगा, यानी कि बर्तन और अन्य उपकरणों को खरीदने के लिए। इस ऋण की ब्याज दर बाजार दर के हिसाब से लगाई जाएगी और यह ऋण प्राप्त करने के लिए महिला उद्यमी को एक गारंटर की आवश्यकता होती हैं, क्योंकि बिना गारंटर महिला उद्यमी को यह ऋण नहीं दिया जाएगा। भारत सरकार द्वारा उठाया गया महिला उद्यमीयों के लिए काफी अच्छा कदम है।

ओरिएंटल महिला विकास योजना (Orient Mahila Vikas Yojana Scheme)-

वे महिलाएं जो व्यक्तिगत रूप से या फिर संयुक्त रूप से एक मालिकाना चिंता के चलते 51% शेयर पूंजी रखती हैं, उन्हें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत लघु उद्योगों में महिला उद्यमी को 10 लाख से लेकर ₹2500000 तक का ऋण दिया जाता है और इस ऋण को लेने के लिए किसी भी प्रकार के गारंटर की आवश्यकता नहीं होती हैं। अगर महिला उद्यमी अपने ऋण को पुनरभुगतान करना चाहता है तो उसकी अवधि 7 वर्ष है। इसके तहत 2% ऋण ब्याज दर की महिला उद्यमी को रियायत भी दी जाती हैं।

मुद्रा योजना महिला उद्यमी (Mudra Yojana Scheme For Women)–

भारत सरकार द्वारा संचालित इस योजना के तहत वे महिलाएं जो, अपना व्यवसाय छोटे उद्यमों से शुरू करना चाहती हैं, जैसे ट्यूशन सेंटर, टेलरिंग यूनिट या फिर ब्यूटी पार्लर तो उन्हें किसी सम पार्श्विक गारंटर की आवश्यकता के बिना ऋण दिया जाता है। ऋण प्रदान करते समय आपको एक मुद्रा कार्ड भी दिया जाएगा और यह मुद्रा कार्ड आपके क्रेडिट कार्ड के समान ही कार्य करेगा और इस पर ऋण राशि के 10% तक सीमित धनराशि जमा होगी। मुद्रा योजना का लाभ आप तीन जनों के द्वारा उठा सकते हैं, जो कि इस प्रकार है –

- शिशु – इसमें ऋण राशि 50000 तक सीमित हैं।
- किशोर – इसमें ऋण राशि 50000 से लेकर 5 लाख रुपए के बीच होती हैं। इसका लाभ स्थापित उद्यम वाले लोगों द्वारा उठाया जा सकता है।
- तरुण – इसमें ऋण राशि 1000000 रुपए तक की होती हैं।

इन तीन चरणों के द्वारा महिला उद्यमी इस मुद्रा योजना का लाभ बड़ी ही आसानी से उठा सकती हैं और अपने व्यवसाय को अच्छा कर सकती है।

भारतीय महिला बैंक व्यवसायिक ऋण (Bharatiya Mahila Bank Business Loan)

भारतीय महिला बैंक व्यवसायीक ऋण को उन महिला उद्यमियों के लिए लघु किया गया है, जो अपना नया उद्यम खुदरा क्षेत्र में संपत्ति, और SME खिलाफ शुरू करना चाहती है। महिला उद्यमी को इस योजना के तहत अधिकतम ऋण राशि 200000000 तक दी जाती हैं और जिस पर 0।25% की छूट भी दी जाती है। इसे ऋण राशि पर ब्याज दर आमतौर पर 10।15% या फिर उससे अधिक की होती है। भारतीय महिला बैंक व्यवसायीकरण योजना की सबसे अच्छी बात यह है, कि यह लघु और सूक्ष्म उद्यम के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के तहत एक करोड़ तक के ऋण के लिए सवपार्श्विक सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती हैं।

देना शक्ति योजना (Dena Shakti Scheme) –

अगर महिला उद्यमी कृषि, विनिर्माण ,सूक्ष्म-ऋण,खुदरा स्टोर या फिर सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र में अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहती हैं और जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती हैं उन्हें इस प्रकार के ऋण देना शक्ति योजना के तहत प्रदान किए जाते हैं। महिला उद्यमी को खुदरा व्यापार के लिए इस योजना के तहत अधिकतम ऋण राशि 2000000 दी जाती है, जिस पर ब्याज दर जीरो प्वाइंट 25% होती हैं। ऋण में प्रदान की गई बैंक द्वारा इस राशि को महिला उद्यमी किस्तों के मासिक भुगतान के द्वारा बड़ी ही आसानी से चुका सकती हैं।

उद्योगिनी योजना (Udyogini Scheme)–

इसी योजना के तहत वह महिला उद्यमी जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष है और जो अपना व्यवसाय कृषि, खुदरा और छोटे उद्यमी क्षेत्र में कर रही हैं, उन्हें एक लाख रुपए तक ऋण दिया जाता है। अगर महिला उद्यमी के परिवार की वार्षिक आय ₹45000 से कम है, तभी वह इस योजना के द्वारा ऋण ले सकते हैं अन्यथा नहीं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है, कि एससी और एसटी श्रेणियों की विधवा, निराशत्र या विकलांग महिलाओं को ₹10000 तक के ऋण पर 30% की सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। उद्योगिनी योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी के द्वारा महिला उद्यमी अपने स्टार्टअप को काफी अच्छा ग्रो कर सकती हैं।

सेण्ट कल्याणी योजना (Cent Kalyani Scheme) –

अगर महिला अपना नया उद्यम शुरू करना चाहती हैं या फिर उसे संशोधित करना चाहती हैं, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा उन्हें ऋण की डीएचएस योजना का लाभ दिया जाता है। इस योजना के तहत यह ऋण उन महिला उद्यमियों द्वारा लिया जा सकता है जो गांव, लघु , और मध्यम उद्योगों, स्वरोजगार, कृषि खुदरा व्यापार जैसे व्यवसायिक उद्यमों में शामिल होती हैं। इसी योजना के तहत महिला उद्यमी को ऋण लेते समय किसी भी गारंटर की आवश्यकता नहीं पड़ती हैं और इस योजना के तहत दी जाने वाले अधिकतम ऋण राशि 1 लाख हैं।

महिला उद्यम निधि योजना (Mahila Udyam Nidhi Scheme)

महिला उद्यम निधि योजना को पंजाब नेशनल बैंक द्वारा शुरू किया गया है और इस योजना का उद्देश्य लघु उद्योग में शामिल महिला उद्यमों को ऋण देकर उनका समर्थन करना है। महिला उद्यम निधि योजना के तहत दी जाने वाली ऋण राशि को महिला उद्यमी द्वारा 10 वर्षों की अवधि में बड़ी ही आसानी से चुकाया जा सकता है। महिला निधि योजना के तहत ब्यूटी पार्लर, डे केयर सेंटर, ऑटो रिक्शा दो पहिया वाहन का राधे खरीदने की अलग-अलग ऋण योजनाएं भी शामिल हैं और इसी योजना के तहत दी जाने वाली अधिकतम ऋण राशि 1000000 रुपए हैं।

स्त्री शक्ति योजना (Stree Shakti Package For Women Entrepreneurs)-

यह योजना महिला उद्यमियों को ऋण राशि में छूट की दर प्रधान करवाती हैं। इसी योजना के तहत अगर महिला उद्यमी की ऋण की राशि 200000 से अधिक होती हैं, तो यह 0।50% की छूट उस ब्याज दर पर प्रदान करवाती है। सरकार द्वारा इसी योजना को एसबीआई बैंक की अधिकांश शाखाओं द्वारा संचालित की गई है।

इसके अतिरिक्त भी भारत सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं महिला आन्त्रप्रेंयूर्शिप को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है जिनसे कुछ इस प्रकार है।

- Integrated Rural Development Programme (IRDP)
- Khadi And Village Industries Commission (KVIC)
- Training of Rural Youth for Self-Employment (TRYSEM)
- Prime Minister‘s Rojgar Yojana (PMRY)
- Entrepreneurial Development programme (EDPs)
- Management Development progammes
- Women‘s Development Corporations (WDCs)
- Marketing of Non-Farm Products of Rural Women (MAHIMA)
- Assistance to Rural Women in Non-Farm Development (ARWIND) schemes
- Trade Related Entrepreneurship Assistance and Development (TREAD)
- Working Women‘s Forum
- Indira Mahila Yojana
- Indira Mahila Kendra
- Mahila Samiti Yojana
- Mahila Vikas Nidhi
- Micro Credit Scheme
- Rashtriya Mahila Kosh
- SIDBI‘s Mahila Udyam Nidhi
- Mahila Vikas Nidhi
- SBI‘s Stree Shakti Scheme
- NGO‘s Credit Schemes

- Micro & Small Enterprises Cluster Development Programmes (MSE-CDP)।
- National Banks for Agriculture and Rural Development's Schemes
- Rajiv Gandhi Mahila Vikas Pariyojana (RGMVP)
- Priyadarshini Project
- NABARD SEWA Bank project

सरकार और उसकी विभिन्न एजेंसियों के प्रयासों को गैर-सरकारी संगठनों द्वारा पूरक किया जाता है जो महिला सशक्तिकरण को सुविधाजनक बनाने में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सरकारों और गैर सरकारी संगठनों के ठोस प्रयासों के बावजूद कुछ कमियां बाकी हैं। निश्चित रूप से हम महिलाओं को सशक्त बनाने में एक लंबा सफर तय कर चुके हैं, फिर भी भविष्य की यात्रा कठिन और लम्बी है।

कुछ सफल महिला उद्यमी जो भारतीय समाज में अपना नाम रोशन कर रही है:-

भारतीय महिला उद्यमियों का नया समूह साहसी है, जोखिम उठाने के लिए तैयार है और हर दिन कुछ नया सीखता है। जबकि कुछ के पास अपने चुने हुए रास्ते की एक बैकग्राउंड है, तो कुछ अन्य हैं जिन्होंने अपने संबंधित क्षेत्रों में वर्षों तक ज्ञान प्राप्त किया है और आगे बढ़ने के लिए बाधाओं को दूर किया है। सामाजिक सेवा क्षेत्र में हों या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, महिलाएं नए रास्ते बना रही हैं और बेजोड़ निपुणता एवं आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन के सभी पहलुओं को संतुलित कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, हमने कुछ प्रेरणादायक भारतीय महिला उद्यमियों की कहानियों को लिया है, जो अपने चुने हुए क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं और बेंचमार्क स्थापित कर रही हैं।

वंदना लूथरा – वीएलसीसी की संस्थापक

वंदना लूथरा एक भारतीय व्यवसायी, परोपकारी और ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल (B&WSSC) की चेयरपर्सन हैं। 1989 में, उन्होंने वीएलसीसी नामक कंपनी को ब्यूटी एंड स्लिमिंग सर्विस सेंटर के रूप में देखा। बाद में, उन्होंने हेयर बिल्ड, फुल-बॉडी लेजर, ग्रूमिंग और डर्मेट सेवाओं जैसी और सेवाओं को जोड़ा। अप्रैल 2013 में, उन्हें भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वंदना लूथरा खुशी नामक एनजीओ चला रही हैं, जो वंचित और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को मुफ्त शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करती है।

किरन मजूमदार शॉ

किरण मजूमदार शॉ को भारत की सबसे धनी स्व-निर्मित महिला उद्यमी के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने 1978 में एक बायोफार्मास्युटिकल फर्म की स्थापना की थी। यह फर्म यूएस बायोसिमिलर बाजार में प्रवेश कर चुकी है और निवेशकों का ध्यान आकर्षित कर रही है। फोर्ब्स के अनुसार, यूएसएफडीए से मंजूरी पाने वाली यह पहली कंपनी है। उन्होंने गहन अनुसंधान एवं विकास-आधारित बायोटेक फर्म का निर्माण करने के लिए बड़ा भाग्य लगाया है। 2019 में उन्होंने भारत की 54 वीं सबसे अमीर व्यक्ति और दुनिया की 65 वीं शक्तिशाली महिला का खिताब अपने नाम किया। जहां तक उनकी योग्यता का सवाल है, उन्होंने क्रमशः बैंगलोर विश्वविद्यालय और मेलबर्न विश्वविद्यालय से स्नातक और मास्टर डिग्री प्राप्त की।

प्रिया पॉल- पार्क होटल की चेयरपर्सन

प्रिया पॉल एक भारतीय महिला उद्यमी हैं जो एपीजे सुरेंद्र पार्क होटलों की अध्यक्ष हैं। वेलेस्ली कॉलेज (यूएस) से अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद, उन्होंने अपने पिता के अधीन मार्केटिंग मैनेजर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। 51 साल की उम्र में उन्हें सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक माना जाता है। विकिपीडिया के अनुसार, 2012 में, पॉल ने प्रतिभा शिंग पाटिल (पूर्व भारतीय राष्ट्रपति) द्वारा भारत के सबसे सम्माननीय पुरस्कार पद्म श्री पुरस्कार को संशोधित किया।

रितु कुमार – फैशन डिजाइनर

रितु कुमार एक भारतीय फैशन डिजाइनर हैं जिन्होंने कोलकाता में अपने फैशन करियर की शुरुआत की। शुरुआत में वह दुल्हन के कपड़े और शाम के कपड़े बना रही थी। दशकों के बाद, उसने एक अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रवेश किया। वह कई अलग-अलग फोर्जिंग शहरों फ्रांस और न्यूयॉर्क में अपने व्यवसाय का संचालन कर रही है। 2013 में, उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया। अपनी शिक्षा के बारे में, उन्होंने लोरेटो कॉन्वेंट में स्कूली शिक्षा पूरी की और लेडी इरविन कॉलेज से कॉलेज किया है। बाद में उन्हें न्यूयॉर्क के ब्रियरक्लिफ कॉलेज में छात्रवृत्ति मिली, जहां उन्होंने कला इतिहास का अध्ययन किया।

सुची मुखर्जी – लाइमरोड के संस्थापक और सीईओ

2012 में, सुची मुखर्जी ने ऑनलाइन क्लोर्दिंग और लाइफस्टाइल एक्सेसरीज मार्केटप्लेस बनाया और इसका नाम लाइमरोड रखा। आज यह कंपनी पुरुषों और महिलाओं के लिए भारत की सबसे स्टाइलिश ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के रूप में जानी जाती है। उसने अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और मास्टर वित्त की डिग्री हासिल करने के लिए लंदन में आर्थिक स्कूल गई। अगर हम उनकी उपलब्धि के बारे में बात करते हैं, तो उन्हें साल के सबसे अच्छे स्टार्ट-अप (बिजनेस टुडे से), इन्फोकॉम वुमन ऑफ द ईयर- डिजिटल बिजनेस और यूनिकॉर्न स्टार्ट-अप अवार्ड जैसे कई पुरस्कार मिले।

इंद्रा नूयी – अमेज़न की बोर्ड सदस्य

इंदिरा नूयी पेप्सिको की पूर्व सीईओ हैं, जो अमेज़न के निदेशक मंडल में शामिल हो गई हैं। येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद, उन्होंने जॉनसन एंड जॉनसन में उत्पाद प्रबंधक के रूप में काम किया। बाद में वह एक रणनीति सलाहकार के रूप में बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में शामिल हो गईं। 1994 में, उन्होंने पेप्सिको में काम करना शुरू किया, बाद में उन्होंने 2006 से 2018 तक सीईओ के रूप में कंपनी का नेतृत्व किया। फरवरी 2019 में, उन्होंने अमेज़ॅन के निदेशक मंडल का सदस्य चुना। 2017 में, उन्होंने फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की 11 वीं शक्तिशाली महिला का खिताब अपने नाम किया।

अदिति गुप्ता – मेनस्ट्रूपीडिया की को-फाउंडर

अदिति गुप्ता मेनस्ट्रुपीडिया की लेखिका और सह-संस्थापक हैं। अदिति और उनके पति ने लड़कियों को मासिक धर्म के बारे में समझाने और शिक्षित करने के लिए एक कॉमिक बुक बनाई। बाद में उन्होंने menstrupedia।com नाम से एक वेबसाइट बनाई। 2014 में, मेनस्ट्रूपीडिया अपने स्कूल संपर्क कार्यक्रम के लिए व्हिस्पर इंडिया के साथ एक भागीदार बन गया और "टच द अचार" प्रस्तुत किया, यह आंदोलन चार अलग-अलग शहरों में हुआ। 2014 में, उसने एक कॉमिक बुक लॉन्च की और उसे काफी सफलता मिली, इस किताब का स्पेनिश और नेपाली में अनुवाद किया गया है। मेनस्ट्रूपीडिया कॉमिक्स का उपयोग ब्राइट इंग्लिश स्कूल अहमदाबाद, इकोल मोंडियाल वर्ल्ड स्कूल, जीएलएस प्राइमरी स्कूल और कई अन्य स्कूलों द्वारा किया जाता है।

फाल्गुनी नायर – नायका के संस्थापक

कोटक महिंद्रा के साथ एक निवेश बैंकर के रूप में 20 साल काम करने के बाद, उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए नौकरी छोड़ दी। 2012 में, उन्होंने कंपनी Nykaa को देखा, जो ऑनलाइन कॉस्मेटिक और वेलनेस उत्पाद बेचती है। आज, कंपनी भारतीय महिलाओं के बीच इतनी प्रसिद्ध हो गई है। कंपनी 850 से अधिक ब्रांडों की पेशकश करती है और 35 भौतिक स्टोर पेश कर चुकी है। 2017 में, उन्हें बिजनेस टुडे द्वारा "सबसे शक्तिशाली व्यवसाय" का खिताब मिला। उन्हें इकोनॉमिक टाइम्स में "वुमन अहेड" पुरस्कार भी मिला। 2014 से, कंपनी फेमिना के साथ भागीदार रही है।

वाणी कोला – संस्थापक, कलारी कैपिटल

वाणी कोला एक उद्यम पूंजीपति और कलारी कैपिटल के संस्थापक और प्रबंध निदेशक हैं। उन्होंने एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की है। सिलिकॉन वैली में अपने 22 वर्षों के दौरान, उन्होंने दो कंपनी राइटवोक और सर्टस सॉफ्टवेयर की स्थापना की। 2006 में, वह भारत लौट आई। भारत में, उन्होंने अपना करियर एक वेंचर कैपिटलिस्ट के रूप में शुरू किया, उन्होंने NEA (न्यू एंटरप्राइज एसोसिएट्स) के साथ साझेदारी की। सितंबर 2012 में, कलारी कैपिटल ने 150 मिलियन डॉलर के फंड के साथ काम करना शुरू किया। 2018 में, उन्होंने टीआईई दिल्ली-एनसीआर 5 वां संस्करण महिला उद्यमिता शिखर सम्मेलन पुरस्कार जीता। उन्हें उद्यमिता के लिए NDTV वूमेन ऑफ वर्थ पुरस्कार भी मिला।

राधिका घई – को-फाउंडर, Shopclues।com

फैशन और जीवन शैली, विज्ञापन और जनसंपर्क, और अन्य जैसे कई उद्योगों में 15 से अधिक वर्षों के विपणन अनुभव से लैस है। वह Shopclues।com की सह-संस्थापक बनीं। 2011 में, कंपनी की स्थापना सिलिकॉन वैली में हुई थी। आज, यह ई-कॉमर्स व्यवसाय भारत का सबसे बड़ा पूरी तरह से प्रबंधित बाज़ार बन गया है और हर महीने इसके 7 मिलियन से अधिक आगंतुक हैं। कंपनी 9 हजार से ज्यादा शहरों में सर्विस करती है। उन्होंने वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से MBA किया है। उनकी यह उपलब्धि उन्हें भारत में नवोन्मेषी तकनीकी महिला उद्यमी बनाती है।

REFERENCES

1. https://www.businessideashindi.com/work-caree-schemes-women-entrepreneurs-india-hindi/
2. https://leverageedu.com/blog/hi/
3. https://blog.ziploan.in/hi/top-10-business-women-in-india-in-hindi/
4. https://www.startupindia.gov.in/content/sih/en/women_entrepreneursıhtml
5. https://www.ashishcommerceclasses.com/2022/08/mahila-udyami-kise-kahte-hai-hindi.html
6. https://www.yourarticlelibrary.com/women/women-entrepreneurship/women-entrepreneurship/99813

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2023 SHISRRJ | Volume 6 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

Indian Short Stories and Their Development

Dr. Sonam Narayan
Assistant Professor, Department of English, Constituent Govt Degree College Richa Baheri U.P., India

Article Info

Publication Issue :
May-June-2023
Volume 6, Issue 3

Page Number : 38-46

Article History
Received : 07 May 2023
Published : 30 June 2023

Abstract - Stories are as old as civilization itself. They have served as a constant source of joy and wisdom for humanity, as the example illustrates. Since its outer manifestation, it has developed in an extended phase and been accepted in the early forms, such as story, fable, fairy tale, parable, allegory, myth, and ballad, and as a result, this has occurred. It is a quick piece of narrative literature. It has a fictitious tone. It is not as long as a novel. It is focused on a single impact. Its form and environment are economical. It is a succinct story. Characters are revealed through action. Its size and scope are constrained. The climax of the short story can be used to assess its quality. The short story's climax is typically unexpected, but it always comes quickly. A short tale is evaluated on its ability to treat its subject and/or characters in a satisfying or "complete" manner. It is a creative and unique manifestation of the author's personality. It appears to be the kind of writing that lends itself best to being read in one sitting. It is brief and tries to have just one consequence. It is a brief work of prose fiction known as the "short tale." It centres on a single occurrence or a string of connected incidents. It is meant to elicit just one feeling or impact. Short stories are often "a created prose tale shorter than a novel, usually dealing with a few characters and aiming at unity of effect, and often focusing on the construction of mood rather than plot," according to the dictionary definition. According to Edgar Allan Poe, reading a short story takes somewhere between 30 minutes and one or two hours. Thus, one of the important elements of the short narrative is brevity. It is not just a novel on a smaller scale, though. Its organisational framework is distinct and clearly established, unlike a narrative. In this paper, we will know that since when Indian short stories originated and which major English writers have helped in the development of short stories in India.

Keywords : Short Stories, Novels, Writers, Characters, History

Introduction- It is a brief work of prose fiction known as the "short tale." It centers on a single occurrence or a string of connected incidents. It is meant to elicit just one feeling or impact. Short stories are often "a created prose tale shorter than a novel, usually dealing with a few characters and aiming at unity of effect, and often focusing on the construction of mood rather than plot," according to the dictionary definition. According to Edgar Allan Poe, reading a short story takes somewhere between 30 minutes and one or two hours. Thus, one

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

of the important elements of the short narrative is brevity. It is not just a novel on a smaller scale, though. Its organisational framework is distinct and clearly established, unlike a narrative.

The six fundamental components of a short tale are the character, setting, storyline, conflict, theme, and point of view. Additionally, there are five components in the short story:

1. The exposition, which includes the opening sequence of events, the character introductions, and the start of the short story.
2. The increasing action, in which the events of the brief narrative become more entangled and the struggle becomes clear.
3. The climax, which is the most interesting part of the story and rarely can be predicted, comes quickly and with a twist.
4. The short story's events and conflict start to resolve themselves in what is known as the falling action.
5. Denouement: This is how the short story ends. Events and conflicts are clarified and dealt with.

Typically, a short fictional work takes the form of a short tale. Typically, prose is used to write it. The oral storytelling custom of folklore contains the earliest examples of the short story. Examples of short stories include parables, fables, fairy tales, and anecdotes. Along with several of the episodes in Homer's Iliad, Aesop's fables can be regarded as the earliest examples of short stories. The theme or plot of the short story can be a mundane issue, a daily task, a natural or supernatural occurrence, etc. It usually starts and ends quickly.

A brief narrative's principal goal is to amuse. A brief story is used to deviate as a result. A short story must, then, be appealing on top of everything else. It could convey a good deal of moral instruction and perhaps even make fun of people's mistakes, but it must do so in a way that is inspiring. It must draw the reader in and make him forget about his worries about the immediate mortal that his existence was supposed to alleviate. Even though it may possess more exceptional qualities, if it fails to do so, it cannot be regarded as a fine-mode.

The story hasn't developed entirely unexpectedly in its current form. It has taken a long time to develop into the process that is used today. The novella has been authorised through several steps in its present process. Below, certain key literary beginning practises are presumed. They are responsible for the modern story's influence.

“A short story can be a fable or a parable, real or fantasy a true presentation or a parody, sentimental or satirical serious in Intent or a light – hearted diversion.”(TRSTTMW)

To estimate certain of them, thought by Raja Rao: “I go back to the Sanskrit classics for inspiration, whether it is the Mahabharata, the Ramayana, or Shankara –these are the things that have inspired me most”. (Rao, Ambivalance)

R.K.Narayan thought: “After all, for any short story writer, the prototype still enviably remains to be our own epics and mythological stories”. (Naryan, an Indian Novelist)

Mulk Raj Anand thought that: “One of the oldest books of stories in India was entitled Ocean of stories.”(Anand, selected stories)

“I have always thought of this as a symbol of the highly finished art of storytelling in India”. (Selected stories page 5)

“We have had in Indian stories which lie embedded in the hymns ofthe Rigveda, or scattered in the Upanishads and the epics, the stories which constitute the panchtantra, the Hitopadesh, the Sukasapatati, the Rasakumaracharita and the Vetalapanchvimsati in Sanskrit, the Buddhist?Jatak Katha in pali and a host of similar stories in modern Indian languages.”(Rao, Modern Indian Literature-P-216)

It is difficult to categorise the common ways of telling stories because occasionally their categorization changes with the passage of time. The story's earlier embryonic modern method was approved for different periods at different times, indicating the resolve and period of its organisation. Numerous scholars believe that a legend loses the majority of its spectacular appearance as it becomes mythical throughout time and disintegrates with the passage of time. The passage of time is an important factor in the success of imaginative techniques.

Considering moving from a traditional story to an epic According to Franz Boas, this problem cannot be solved with the conceit that a legend was equally produced after a well-known story or the haughty assumption that a legend must be evaluated as a deteriorating legend. The same story, according to Boa, teaches distinct lessons at different points because it is both an epic and a folktale. It is possible for a certain story to be considered a legend at one point and a conventional narrative at another. Additionally, it depends on the level of authority that a particular culture has delegated to it. Since each thing is unique, the legend may be widely known, but it is not always a myth.

One of the oldest and most widely used forms of traditional storytelling is narrative in India. The Panchatantra is replete with stories that are still written in a style that is full of instructive micro-tales. It's believed that Khosry Anushirvan (531–579), a foreign monarch who ruled in mythical Persia in the sixth century A.D., translated the Panchantra into Pahlavi. Another extensively read text was the collection of Indian folktales known as Hitopadesa.

Origin and advancement of the short stories

In the history of the English language and literature, short stories and tales have been around for ages in one form or another. They take the form of works like Chaucer's The Canterbury Tales and Boccaccio's Decameron, as well as the Bible, sagas, novels, satires, pamphlets, narrative poems, essays, journalism, etc. The steady shift away from the religious towards the secular in Renaissance short fiction is best represented by Boccaccio. In the Decameron, he positions himself as a gatherer and narrator of codified traditional tales rather than as an observer and recorder of real life. The Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer, like Boccaccio's, are a collection of stories in verse that have been arranged into a general structure that keeps them all together. In contrast to Boccaccio, who recorded the details in his short narratives in a less skilled manner, Cervantes presents himself as the creator of fresh stories. His short narratives are based more on his firsthand observations than on conventional tales. All of these recounted fables, animal-themed epics, morality or religious stories, love or racy tales, and legends have been found in world literature.

The short story had always been an informal oral tradition, but only until the mass middle-class literacy of the 19th century arrived in the West and the magazine and periodical market were invented to meet the needs and preferences of the new reading public. As a result, the history of the published short story is only a few decades older than that of film. A short story between five and fifty pages long had never really found a home in the publishing world. Short stories were made possible by this new medium, and writers quickly realised they were in possession of a brand-new literary genre. The short narrative essentially emerges in its complete maturity in this manner, with no sluggish centuries of maturation.

In the 18th century, the English periodical The Spectator contributed to the rise in popularity of short stories. Joseph Addison and Sir Richard Steele, who produced a number of semi-fictional studies of modern character types, edited it. In their weekly essays, they invented the imaginary figure of Sir Roger de Caverly, and the short tale remained partially a product of journalism. The modern short tale continues to have its home in magazines. For instance, Washington Irving's stories first appeared in St. Nicholas's Magazine. However, it has been suggested that Walter Scott's short narrative "The Two Drovers," which appeared in the Canon Gate Chronicles in 1827, deserves the distinction of being the first modern short story.

The development of Short Story in India

The short story has to travel a great distance to get to the developed world. There are numerous story forms that recognise the short story. The short narrative has seen several stages and variations. In addition to these and many more sorts of stories, there are mythological stories, legendary stories, fairy tales, suspense stories, love stories, adventure stories, psychological stories, ballad stories, social stories, etc. The same pattern is followed when writing. In addition, a lot of authors have elevated the short story structure. India has been the home of mythology, legends, and old tales for at least 5000 years in recorded history. This oral tradition has evolved over time into formal short story writing, with some achieving international acclaim.

It is exceedingly difficult to dispute the mythical tales' original sources, which were penned in India during the time of the Mahabharata and the Ramayana. It is difficult to conclude that myth evolved from folktales because, according to critics, there may not be much of a distinction between the two. Changes in myth are consistent with societal shifts and the way people live now. Folktales cannot be myths, although it is almost certain that myths can be folktales. The Mahabharata, the Purana, the Ramayana, and other classic Indian mythological tales are among the most outstanding ones we find there. The names of famous heroes and different Gods are mentioned in Greek and Indian epics. Many authors use myth to represent their own beliefs.

A legend is similar to a short story. The word "legend" is derived from the Latin word "legenda," which refers to a conventional tale that is occasionally accepted as historical but has not been verified. However, in folktales and occasionally in myth, one can find stories about gods, goddesses, saints, and other figures, including serpents, animals, birds, and dogs. They converse verbally. Humanity honours birds and other creatures in these; the main character is from a higher social class and has unique qualities. He possesses heroic, brave, and fearless qualities. The main character is endowed with extraordinary abilities. After being influenced by a few evil people, the main character struggles with wickedness. The short story turns intricate and entertaining. In the legend, a few female characters also play important roles. The main character has a captivating love interest, the female characters might be abducted by monsters, and the main characters struggle to win; there might be a curse on both sides.

The most widely read stories during the ancient era were fairy tales. The Latin word "fata," which signifies goddess, is where the word "fairy" first appeared. Fairy tales were immensely popular in nearly every country. In these stories, fairies captivate kids with their appearance. All of the characters are heroic, mystical, and supernatural. These stories contain a wide range of different aspects, including supernaturalism, mystery, and romance. All fairy tales, though, are entertaining and offer sound moral lessons.

The ancient Indian tale is undoubtedly much more than just anecdotal evidence; Indian sagas and folklore are narratives. In his attempt to reach the root of a more profound and more analytical clarification of life, the Indian short story author in English tried to combine the notable highlights of both the tale and the story while avoiding the over-instruction of the tale and the unadulterated depiction of the mainstream story.

India has been the home of folklore, legendary tales, and magical fables for at least 5000 years, according to the historically significant Upanishads, Panchatantra, Hitopdesh, and Jatak Tales. India's rich oral tradition of narration has gradually crystallised into the formal short story as we understand it today. Among the well-known and renowned classics of world literature are the Panchatantra, the Jatak stories, and the Kathasaritsagar stories. Recently, a few English-language Indian authors have made fruitful attempts to include it in their writing, particularly in their novels and short stories.

The recollections of the Kathasaritsagar, the Aesop's Tales, the Panchatantra, and the Jataka Tales include examples of complex tale creation. According to the Indian authors, the English language does not have the same shade and colours as the native British English. The Indian authors of English language short stories drew heavily on their ancestors' knowledge for their narratives. No author, whether Raja Rao, K. A. Abbas, R. K.

Narayan, Mulk Raj Anand, or another, can deny the influence of telling traditional stories in the manner they have been done for generations. India's oral storytelling heritage is not acknowledged.

The Indian short story tradition is incredibly rich. Among the best literary works ever created are the Upanishads, Dashakumarcharita, Panchatantra, Kathasaritsagar, Jatakas, and Hitopadesh stories. Even now, both in India and around the world, they continue to be read and enjoyed. Indian regional dialects have produced a variety of traditional short stories.

Mulk Raj Anand praises old tales, citing the Kathasaritsagar (Ocean of Stories) as one of the country's oldest collections of folklore. He notices: "This book has always represented to me the highly developed Indian narrative arts. I first read it when I was young, and it encouraged me to read and hear many of the folktales in my country." (Anand).

"The history of the short story cannot be measured, through its phases of myth and legend, fables and parables, anecdote and graphic essay, sketch, and even down to what the most rudimentary provincial reporter calls ‘a good story’." (Bates).

Despite the fact that the short story originated in the West, certain prominent Indian authors, including Mulk Raj Anand and Raja Rao, who claim to have studied foreign authors extensively, don't seem to have been significantly influenced by those who have used the short story as a form. Although for more than a century, scepticism and a methodical approach to the exploration of objects and questions have emerged as the common strategy in each discipline of intellectual inquiry, the short story form as developed in England or America does not appear to be quiet. The upshot of the current state of uncertainty, scepticism, and freshly developed interest is this method in the Indian short story in English. When the Indian national movement was at its height, between the 1940s and 1950s, some of the best Indian short stories were written.

The Indian author of a short story in English was concentrating on the goal of creating a pleasing picture of a country and its people; as a result, his focus was on finding the appropriate idiom, which he had to create himself. Raja Rao declares, "Making the English language adapt to Indian needs seems to be something in which I am interested." "And that is a really difficult task in terms of both rhythm and related values" (Rao).

The Indian short story in English has, at various points throughout its history, served as a reflection on how society is distributed rather than how individuals are distributed, how categories are distributed rather than characters, and how popular social scenarios are distributed rather than peculiar personal issues. Thus, the success of the Indian short story writer in English has been genuinely unforgettable: even as he created tales of common interest, he only managed to paint an accurate portrait of his native country. According to H. E. Bates, Maupassant's method is as follows: "Except insofar as technique is another name for control, it has nothing to do with technique." "The laying down of the truth as you see and feel it, without tricks, shams, or fakes, so that it never appears out of date with fashion or taste but remains the truth for as long as the truth can matter, may be the source of this very old, very simple, yet not at all simple, achievement" (Bates).

It is supported by a short Indian narrative in English that follows historical precedent. It's fascinating how many tales were inspired by the Gandhian uprising and its triumph over the potent emotion of nationalism. The formation of a crucial social norm can also be described as occurring at the age of independence. In some ways, it could even be referred to as the "generation of disappointment." Even after a long period of independence, the status of a welfare state does not seem to be in the foreseeable future. At their deepest roots, corruption, hypocrisy, ignorance, exploitation, and red tape still need to grow. Social evils like communalism, class consciousness, and untouchability still exist despite excellent legislation. The Indian storyteller in English, on the other hand, typically took an unfinished aim and fully explained the current state of events in terms of its predecessor, while his counterpart in other languages packed his stories with strong emotions and convinced his readers to take a stand. According to Raja Rao, "it is not worthwhile to produce a book in

English if it cannot withstand the test of India in India" (Rao 11). With impartial encouragement rather than disappointment and annoyance, the Indian short story writer in English portrays his country in both its admirable and tragic aspects.

Stories from Indian Christian Life, compiled by Kamala Ratnam Satthianadan, was first collection of short stories published in English in 1898 by a Madras publisher. The writers initially made an effort to write in their native tongue, although they were nonetheless influenced by western authors. These authors hardly ever penetrated the characters' psyches in their short stories, which lacked style, method, and personality. In actuality, those Indian authors used to concentrate solely on social issues in their short tales, but after the 20th century, the stories' settings altered. Numerous early Indian stories translated into English lack any clear indication of an inherent superiority, either in narrative style or temperament. The simplest among them approached the short story as a work of art. Pioneers like K. Nagarajan and K. S. Venkataramani are prominent among them. Rabindranath Tagore is one of the first short story authors in English, if not the earliest. At first, Tagore didn't write any stories in English; instead, he wrote them all in Bengali, his native tongue, and later, he and other renowned authors translated them into English. The Post Master, The Castaway, Master Mashai, The Kabuliwalah, and Subha are some of his best-known tales.

The Indian English short story has only been around for about 100 years. Shoshee Chunder Dutt's Realities of Indian Life: Stories Collected from the Criminal Reports of India, Sourinder Mohan Tagore and Shoshee Chunder Dutt's The Times of Yore: Tales from Indian History were the first short story collections by Indian authors to appear in London in 1885. The Tales of Sixty Mandarins (1886) and Indian Fables (1187), two collections of stories by P. V. Ramaswami Raju), Hingana and Kshetrapal Chakravarti Sarata's, Tales Descriptive of Indian life (1895). Kamala Sattiandhan's Stories of Indian Christian life (1898), B.R.Rajam Iyer's Miscellaneous Stories and Rambles in the Vedanta (1905) were published in the Prabuddha Bharata during 1896-98, they may be termed as collections of traditional and parabolic stories.

The early Indian English short story with a massive output emerged with the sunrise of the twentieth century. The first woman advocate Comella Sorabji of Calcutta published four collections of short stories they are: Love and Life behind the Purdah (1901); Sunbabies: Studies in the Child Life of India (1904); Between the Twilight: Being Studies of Indian Women by one of themselves (1908); and Indian Tales of the Great Ones among Men, Women and Bird-People (1916). These stories examine mainly Hindu and sometimes Parsi lifestyles in both glorious and routine circles are a combined collection of memories, anecdotes and personality sketches. The various remarkable short story collections of the age are: Indian Folk Tales (1908) by S. M. Nastesa Sastri; Sacred Tales of India (1916) by Dwijendra Nath Neogi; Short Stories by Musical (1916) by A. Madhaviah; Bengal Dacoits and Tigers (1916) and The Beautiful Moghal Princesses (1918) by Sunity Devee.

The Indian English short story achieved great success at the time of the Gandhian period (1920-1947). Firstly T. L. Natesan whoes works appear in the name of Sankar Ram. His important works are: The Children of Kaveri (1926) and Creatures All (1933). These works were published under the title of The Ways of Man (1968). A. S. P. Ayyar is another famous leading short story writer and novelist of Ghandian age. He published three collections of books India After Dinner Stories (1927); Sense in Sex and Other Stories (1929) and The Finger of Destiny and Other Stories (1932), apart from these stories, he retold legendary stories of India under the title of Tales of India (1944) and Famous Tales of India (1954). In his works, Ayyar's continues the theme of social refine and mostly the situation of woman in typical Hindu community, in which a personality represents 'female-eating monster'. His females include young widows, who effectively remarry against the society; younger women married by their mother and father to the aged bridegroom for money.

Another important name appeared in the history of Indian English short story is S. K. Chettur. He contributed four short stories Muffled Drums and Other Stories (1917), The Cobras of Dhermashevi and Other Stories

(1937), The Spell of Aphrodite and Other Stories (1957) and Mango and Other Stories (1974). These tales seem to be based on material accrued throughout his respectable excursions as a member of the Indian civil service. The principal issues of these stories are murders, ghosts, omen and serpents. He created to his readers 'a willing suspension of disbelief.' He used a number of narrative strategies; sometimes epistolary structure, sometimes observer narrator and at other times autobiographical technique.

Another acclaimed short story author from India, K. S. Venkataramani, wrote Paper Boats in 1921 and Jatadharan and Other Stories in 1937. He is a sensitive writer who described a variety of social situations; in the tale The Bride Waits, he highlights the most important societal problems. As seen in his character Jatadharan, who becomes an instructor after a distinguished academic career in order to educate the uneducated farmer, Venkataramani's narratives in Jatadharan and other stories demonstrate appreciation of the social alternative explored by Gandhi.

The English storytelling craft underwent a comparable advance with the advent of the 1940s. The writers were fully exposed to the rich atmosphere of Indian sentiments and informed about the political, economic, and social conditions of the country.

A.V. Rao is a well-known Indian short story writer whose works frequently echo Gandhi's call for rural rehabilitation as well as the tension between fidelity to the British empire and a country's desire for independence. Manjeri Isvaran is another renowned short story author. The Naked Shingles (1941), Siva Rating (1943), Angry Dust (1944), Rickshawallah (1946), Fancy Tales (1947), No Anklet Bells for Her (1949), Immersion (1951), Painted Tigers (1956), and A Madras Admiral (1956) are only a few of the 10 volumes of short stories he is credited with having written (1959).

Another well-known Indian author of English-language short stories is Raja Rao. He has written primarily about more regional political and social issues. Nine stories from the beginning of his career, beginning in 1930, are included in the earliest collection of his short stories, The Cow of the Barricades (1947). The book titled "The Policeman and the Rose and Other Works" contains the stories that were written after 1947 (1978). Raja Rao usually writes on topics including Indian mythologies, the freedom movement, and rural life.

The best and most innovative Indian author of English-language short stories is Mulk Raj Anand. A total of six collections, including The Lost Child and Other Stories (1934), The Barber's Trade Union and Other Stories (1944), The Tractor and the Corn Goddess and Other Stories (1947), Reflections on the Golden Bed and Other Stories (1953), The Power of Darkness and Other Stories (1959), Lajwanti and Other Stories (1966), and Between Tears and Laughter (1973), contain his approximately seventy short storiess (1966), and Between Tears and Laughter (1973), contain his approximately seventy short stories. Along with them, he has also retold two collections of old Indian short stories: Indian Fairy Tales (1946) and More Indian Fairy Tales (1961). In their childhood, the oral narration from memory and the fairy tales have inspired and motivated him. He attempted to reconcile the traditional Indian short story style with the sophisticated, western intellectual approach to it when he started writing. His craft of the short story mixes the traditional folktale format with a sense of the people and circumstances of contemporary life.

R. K. Narayan is a prolific short story writer as well. After the death of his loving wife in 1938, a seven-year span, he only authored short stories. It appears that early in his life, an emotionally sensitive Narayan was affected by loss and the horror of World War II, which prevented him from putting forth a consistent creative effort in his writing. But even during this depressing period of his life, he stopped being completely idle and began to write short stories.

He wrote some short stories for the publications "The Hindu" and "Indian Thought." The best examples of Indo-Anglian short stories can be found in these tales. In seven collections, including Malgudi Days (1941), Dodu and Other Stories (1943), Cyclone and Other Stories (1944), An Astrologer's Day and Other Stories

(1947), Lawly Road and Other Stories (1956), A Horse and Two Goats (1970), and God, Demons, and Other Stories (1964), he has approximately eighty-two short stories to his name. Malgudi serves as the setting for both the short tales and the fiction. This creates a sort of link between Narayan's novels and short tales. Some critics assert that the well-known Russian short story writer Anton Chekov served as Narayan's inspiration.
Arun Joshi, GD Khosla, Manohar Malgaonkar, Murli Das Melwani, Chaman Nahal, D.R. Sharma, K. Srinivasan, K. Subramanian, Vernon Thomas, Shinny Antony, Anjana Basu, Kunal Basu, Neelam Saxena Chandra, Vikram Chandra, Amit Chowdhary, Nisha da Cunha, Shashi Deshpande, Shruti etc are other Indian short story writers. The first story by Ruskin Bond, "Untouchable," appears to have been profoundly affected by Anand's humanism and realism. As seen in R.K. Narayan's short stories, Ruskin Bond unconsciously uses the same approach and structure.
Ruskin Bond has transferred a larger portion of his personality onto his stories and novels in order to make them seem genuine and compelling. Even the book's blurb declares that his many collections of short stories, particularly the one titled Our Trees Still Grow in Debra, are semi-autobiographical in nature. In "Maplewood: An Introduction," Bond reflects on the time when he moved to Maplewood Cottage, Mussoorie, after impulsively quitting his job in Delhi. The majority of his stories feature characters he takes from the real world and fictionalises for his stories, which contrast with the views, sounds, and smells of the mountainous surroundings.Mountains have a central position in his works, and he frequently utters the phrase "Once you have lived with mountains, there is no escape; you belong to them." He loves mountains because they are steadfast and unchanging.
Khushwant Singh's stories have already been collected in four volumes, the first of which, The Mark of Vishnu, was released in 1950 and the latest, Bride for the Sahib and Other Stories, in 1971. A compilation of all of Khushwant Singh's short story collections is available as The Collected Short Stories of Khushwant Singh (1989). Singh's short stories are more rooted in Punjabi culture than his previous works.Many of his tales appear to be elaborated versions of Punjabi jokes and anecdotes. Because the majority of his stories are based on his own experiences, which he obscures with a thin layer of fiction, they can only be described as autobiographical.

What Khushwant Singh values in a short tale is quite obvious in his foreword to the Collected Stories. In his opinion, it ought to have a beginning, middle, and end, as well as a "ring of truth," "a message to transmit," and "a sting in its tail." It is well known for him to poke fun at the social issues brought on by corruption and superstition.

Conclusion- Thus we saw that the beginning of Indian English short stories is considered to be from the 19th century. Many Indian writers wrote short stories on contemporary events. Later, educative, entertaining short stories of other languages also started being translated into English, which have been changing from time to time according to the interest of the readers.

References

1. Amur, G. S. "Preface", The Legacy and Other stories, Calcutta: The Writers Workshop, 1973. Print.
2. Cowasjee and Kumar. A History of Indian Literature. Bareilly: Prakash Book Depot, 1985. Print.
3. Iyenger, K. R. Srinivasa. P.E.N. All – India Centre Writers in Free India. New Delhi: Sterling Publishers Private Ltd., 1949. Print.

4. Kumar, Das Sisir. A History of Indian Literature. New Delhi: 1956- 1971, Sahitya Akademi, 1991. Print.
5. Manto, Sadat Hasan. Toba Tek Singh, Short Story, Four Courners, 1955. Print.
6. May, Charles E. The Short Story: The Reality of Artifice. London: Routledge paperback. 2001. Print.
7. Melwani, Murli Das. Themes in Indo – Anglican Literature, Bareiley: Prakash Book Depot, 1977. Print.
8. Narsimhaiah, C.D., Raja Rao – The short stories – 'An Afterward', in the Policeman and the Rose. Delhi: OUP, 1978. Print.
9. Rao, A.V. Arun Joshi, Studies in Contemporary Indian English Short Story, ed. in Dwivedi. Delhi: OUP, 1973. Print.
10. Rees, R.J. English Literature: An Introduction for foreign Readers. New Delhi: Macmillan India Ltd., 2007. Print.
11. Shahne, V. A. Ruth P. Jhabvala, Studies in Contemporary Indian English Short Story, ed. A. N. Dwivedi. Delhi: OUP, 1973. Print.

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2023 SHISRRJ | Volume 6 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

भारतीयसंस्कृतौ शब्दप्रयोगवैशिष्ट्यम्

Dr. Ganeshwar NathJha
Eklavya Campus, Agartala, Central Sanskrit University

Article Info

Publication Issue :
May-June-2023
Volume 6, Issue 3

Page Number : 47-51

Article History
Received : 20 May 2023
Published : 30 June 2023

शोधसारांशः- भारतीयज्ञानपरम्परायामस्माकमाचार्यैस्तादृशानां शब्दानां प्रयोगः कृतो वर्तते ये शब्दास्तात्पर्यविषयीभूतानर्थान् न व्यभिचरन्ति किञ्च व्यञ्जनया लोकोपकारकान् अन्यान् अपि अर्थान् प्रतिपादयन्ति। तादृशाः शब्दाः साहित्यव्याकरणन्यायादिषु शास्त्रेषु कुत्र प्रयुक्ता इति अस्मिन् निबन्धे सोदाहरणं मया प्रत्यपादि। किञ्च उत्तरोत्तराचार्याभिप्रेते अर्थे पूर्वपूर्वाचार्याणां तात्पर्यं भवतीत्यपि सदृष्टान्तं मया प्रस्तुतं वर्तते । विशेषतः लक्षणग्रन्थेषु आचार्यैः प्रयुक्तानां शब्दानां वैज्ञानिकरीत्या सन्निवेशो वर्तते। शब्दसन्निवेशस्य एतादृशी पद्धतिरस्माकं भारतीयज्ञानपरम्परायामेवोपलभ्यते। अस्माकमाचार्याणामिमाम्पद्धतिमवलोक्याधुनिकवैज्ञानिकाः विशेषतः संगणकविदः संगणकस्य कृते महान्तमुपयोगमावीक्ष्य इमां रीतिमनुसर्तुम्प्रयासरताः वर्तन्ते ।

मुख्यशब्दाः– संगणकविदः, शब्दः, संस्कृतिः, व्याकरणम्, शास्त्रम्, साहित्यम्, व्यञ्जना, लक्षणग्रन्थः।

प्रवृत्तित्वावच्छिन्नं प्रतीष्टसाधनत्वप्रकारककृतिसाध्यत्वप्रकारकज्ञानयोः समुदितयोः कारणत्वं सुविदितमेव विदुषामत एव चन्द्रानयनं मदिष्टसाधकमितीष्टसाधकत्वप्रकारकज्ञानसत्वे अपि कृतिसाध्यत्वप्रकारकज्ञानस्याभावाच्चन्द्रानयने न प्रवृत्तिर्दृश्यते एवमेव विषसम्पृक्तान्नभोजने न प्रवृत्तिस्तत्र कृतिसाध्यत्वप्रकारकज्ञानस्य सत्वे अपीष्टसाधनत्वप्रकारकज्ञानस्याभावात्। एतन्मूलकमेव **"लोके प्रयोजनमनुद्दिश्य मन्दोपि न प्रवर्तत"** इति प्रवादः। भारतीयसंस्कृतौ इष्टे प्रवृत्तिरनिष्टान्निवृत्तिरित्येषो हि प्राणिनां नैसर्गिकस्स्वभावः।सर्वेषामिष्टं सुखमेव अतः सर्वे अपि प्राणिनः सुखमेव कामयन्ते न दुःखम्। किन्तु स्वकल्पितस्य सर्वस्याप्युपायस्य दुःखजनकत्वादन्तोगत्वा दुःखमेवावाप्नुवन्ति। यदि केनचिल्लौकिकोपायेन किञ्चित्सुखं प्राप्तं चेत् तत्सुखं न शाश्वतम्, अपितु क्षणिकमेवातो नानादुःखेभ्यः प्राणिन उद्धर्तुं परमकारुणिकाः महर्षयः शास्त्राणि रचयामासुः। तेषु शास्त्रेषु सुखप्राप्तये अनेकानुपायान् प्रादर्शयन्। ते उपाया एव लोकान् आश्रित्य संस्कृतिरूपेण प्रसिद्धिं गताः।अतः भारतीयसंस्कृतेः शास्त्रमूलकत्वात् प्रामाणिकत्वं नित्यत्वं सदा श्रेयस्करत्वाद् वैज्ञानिकत्वाच्च सनातनत्वमन्यसंस्कृत्यपेक्षया प्रचीनत्वञ्च वर्तते। अनेके पाश्चात्यविद्वांसः भारतीयसंस्कृतेः वैशिष्ट्यं मुक्तकण्ठेन प्रतिपादिवन्तः सन्तीति भवन्तो विदन्त्येव अतः अस्मिन् विषये इह शोधनिबन्धे पिष्टपेषणनं कर्तुमहं नेच्छामि। अथेदानीं प्रकृतमनुसरामि। लोककल्याणायास्माकं महर्षयः उपायबोधकवाक्यप्रयोगे येषां येषां शब्दानां प्रयोगमकुर्वन् ते शब्दाः तात्पर्यविषयीभूतानर्थान् बोधयन्तः अपि भृशं वैशिष्ट्यमादधते। तथाहि परेषामर्थप्रतिपत्तिर्हि शब्दप्रयोगस्य मुख्यं प्रयोजनम्। स्वात्मस्थान् विचारान् परान् बोधयितुं वक्ता

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

शब्दानुपादत्ते। विश्वस्मिन् विश्वे यावान्नपि व्यवहारो ज्ञानगोचरः स सर्वोऽपि शब्दाश्रित एव भवति। लोके सर्वमपि ज्ञानं शब्दं विषयी करोत्येव। अत एवोक्तं भर्तृहरिणा –

न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यश्शब्दानुगमादृते।

अनुविद्धमिव ज्ञानं, सर्वं शब्देन भासते।।

किम्बहुना व्यवहारसमर्थचेष्टादिकमपि शब्द एवान्तर्भवति। वयं हि तादृशचेष्टया तदर्थबोधकान् शब्दाननुमाय व्यवहारे प्रवर्तामहे। चेष्टाशब्दयोरस्ति कश्चन अव्यभिचारसम्बन्धः, अतएव यदा चेष्टया प्रतिपादयिषितोऽर्थो नावबुध्यते तदा शब्दा उपादीयन्ते। यत्र च प्रयुक्तैश्शब्दैरर्थो नावगम्यते तत्र चेष्टया संकेतेन वार्थोवगम्यते। इन्द्रियातीतोप्यर्थः शब्देन प्रकाशयितुं शक्यः। एवञ्च शब्दस्य प्रत्यक्षपरोक्षातीतानागतसकलपदार्थबोधकत्वात् सर्वप्रमाणातिशयितत्वं वर्तते। आप्तोपदेशभूतशब्द एव प्रमाणम्। स च शब्दः साधुरेव। अतः साधुभिश्शब्दैरेवार्थो ज्ञातव्यो नाऽसाधुभिः। शब्दापशब्दयोरर्थवाचकत्वाविशेषेऽपि प्रक्रियाज्ञानपूर्वकशब्दप्रयोगेणैव धर्मप्राप्तेः सिद्धान्तितत्वात् शब्दानां साधुत्वज्ञानमावश्यकम्, अतो दिव्यदृष्टयो योगिनः पाणिन्यादयः योगदृशा सकलशास्त्रलोकस्थशब्दान्, किम्बहुना परमात्मस्वरूपमपि साक्षात्कृत्य साधुशब्दान् परमात्मस्वरूपञ्च परिचाययितुं कांश्चन शब्दान् शब्दसमूहात्मकानि वाक्यानि वा प्रयुञ्जते। तानि वाक्यानि तत्तत्पदार्थानुगतधर्मबोधकत्वात् लक्षणानि इत्युच्यन्ते।तदाधारेण वयं साधुशब्दस्वरूपं परिचिनुमः। अत एव वयं लक्षणैकचक्षुष्काः स्मः। लक्ष्यमभिव्यप्यैव लक्षणम्भवेदिति नियमःकिन्त्वलक्ष्यं नातिव्याप्नुयादिति त्वावश्यकमेव। अत एव लक्षणप्रवर्तनात् प्राग् यावल्लक्ष्यस्वरूपज्ञानमपेक्षितम्।परिमितमतीनामस्माकं तन्न सम्भवति, लक्ष्याणामनन्तत्वात् विष्कृष्टत्वाच्च। अस्माभिस्तु पुरतः स्थितानि कानिचिल्लक्ष्याणि साक्षात्कृत्य तत्सादृश्येनान्यान्यपि सम्भाव्य तदनुगततया लक्षणानि क्रियन्ते। यथा मुनित्रयातिरिक्तैः दीक्षितनागेशप्रभृतिभिः प्रकृतिप्रत्ययार्थवत्वादीनां लक्षणानि कृतानि। अत एव तत्तल्लक्षणे अव्याप्त्यतिव्याप्ती अपि सम्भाव्येते। तन्निवृत्तये परिष्काराः क्रियन्ते पुनस्तत्र दोषशंकायां परिष्कारान्तरमित्येवं रीत्या वस्तुनः(लक्ष्यस्य) निष्कृष्टं स्वरूपं लभ्यते। परिष्काराणामियं पद्धतिः भारतीयचिन्तनधारायाः विश्वस्य कृते अत्युत्तममवदानमस्ति। इयं परिष्कारपद्धतिरनादिकालतो वर्तते इति भारतीयवाङ्मयपरिशीलनेन ज्ञायते। तद्यथा शब्दसाधुत्वज्ञानाय पाणिनिना प्रायः चतुःसहस्रं सूत्राणि प्रणीतानि तेष्वन्यतमं येन विधिस्तदन्तस्येति सूत्रम् इदं च समासप्रत्ययविधौ अतिव्याप्तमतस्तन्निवृत्तये वार्तिककृता समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधःइत्यनेन येन विधिस्तदन्तस्य इति लक्षणस्य परिष्कारः कृतः। पुनः वार्तिककारकृतपरिष्कारे अपि उगिद्वर्णग्रहणे अतिव्याप्तिसम्भवात् तत्र दोषवारणाय स्वयमेव उगिद्वर्णग्रहणवर्जमिति परिष्कारान्तरं कृतम्। विचाराणामियमेव परम्परा शतकोटिः इत्यभिधीयते। अत्र हि विचारपराकाष्ठा द्रष्टुं शक्यते। वस्तुनो निष्कृष्टं निर्दोषं स्वरूपमवगन्तुं केन क्रमेण विचारः करणीय इति अस्यामेव पद्धतौ ज्ञातुं शक्यते। अस्माकमाचार्यैस्तादृशीयं पद्धतिराविष्कृता यया विषये परिशील्यमाने मनागपि अर्थसन्देहस्याजायमानत्वात् असन्देहार्थं चाऽध्येयं व्याकरणमिति सन्देहप्राग्भावरूपस्य प्रयोजनस्य सिद्धिर्जायते। इयं परिष्कारपद्धतिः काश्यामाविर्भूता महामहोपाध्यायबालशास्त्रिचरणानामध्यापनपरम्परायाम्।अत्र पद्धतौ तादृशशब्दानां सन्निवेशो भवति ये अर्थान् न व्यभिचरन्ति।तत्रत्यैः स्वनामधन्यैः पदवाक्यप्रमाणपारावारीणैरस्मद्विद्यागुरुभि श्रीपुरुषोत्तमत्रिपाठिचरणैरियं पद्धतिःपोषिता पालिता परिवर्धिता च। अनयैव पद्धत्या शतशः छात्रान् अध्यापितवन्तः। अस्याःविचारपरम्परायाःवैशिष्ट्यमावीक्ष्याधुनातनैः वैज्ञानिकैःसंगणकविज्ञैः संगणकक्षत्रेऽपि इमामाश्रयितुं प्रयत्यते, किन्तु सार्थकस्य संवादस्याऽभावात् साफल्यमितो प्रतीक्षमाणमस्ति। अत्र क्रमशः शास्त्राणां शब्दप्रयोगवैशिष्ट्यविषये कानिचिदुदाहराणि प्रस्तूयन्ते –

व्याकरणशास्त्रे - भगवता पाणिना प्रातिपदिकसंज्ञाविधायकम्

"अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्" चतुष्पदात्मकमिदं सूत्रं विरचितम्। प्रातिपदिकमिति संज्ञाबोधकं पदम् इतराणि च संज्ञिबोधकानि पदानि। अस्य सूत्रस्यार्थं प्रतिपदयद्भिराचार्यैः भट्टोजिदीक्षितैः सिद्धान्तकौमुद्यामुक्तं यत् "धातुं प्रत्ययं प्रत्ययान्तं च वर्जयित्वा अर्थवच्छब्दस्वरूपं प्रातिपदिकसंज्ञं स्यात्" इति। अत्र प्रत्ययान्तमित्यस्य प्रत्ययान्ततदादीत्यर्थः। धातुभिन्नप्रत्ययभिन्नप्रत्ययान्ततदादिभिन्नार्थवच्छब्दस्वरूपस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवतीति सूत्रार्थो निष्पद्यते। अत्रेयं जिज्ञासा जायते यत् प्रकृतसूत्रे अप्रत्ययपदस्य प्रत्ययभिन्नं प्रत्ययान्ततदादिभिन्नमित्यर्थद्वयम् अभिप्रेतम्। तत्र प्रत्ययस्य प्रातिपदिकसंज्ञानिषेधार्थं प्रत्ययभिन्नमित्यंशस्याऽऽवश्यकत्वेऽपि प्रत्ययान्ततदादिपर्युदासस्य किं प्रयोजनमिति चेदत्रोच्यते – प्रत्ययान्ततदादिपर्युदासाऽभावे रामाभ्यामित्यादीनां प्रत्ययान्ततदादीनामपि प्रातिपदिकत्वापत्तौ सुपो धातुप्रातिपदिकयोरिति सूत्रेण सुपो लुगापत्तिः स्यात्, तस्मात् रामाभ्यामित्यादीनां प्रातिपदिकत्वं वारयितुम् अस्मिन् सूत्रे प्रत्ययान्ततदादिपर्युदासोऽपि स्वीकार्यः। स्वीकृते च प्रत्ययान्ततदादिपर्युदासे रामाभ्यामित्यादीनां प्रत्ययान्ततदादित्वेन प्रत्ययान्ततदादिभिन्नत्वाभावेन प्रातिपदिकसंज्ञा न भवति। अत्रेयं जिज्ञासा जायते यत् अर्थवत्सूत्रे प्रत्यान्ततदादिपर्युदासस्वीकारे किं प्रमाणम् ?प्रौढमनोरमायामाचार्यैरुक्तं प्रत्ययस्यैव पर्युदासे 'कृत्तद्धितसमासाश्च' इति सूत्रेण तद्धितान्तस्य संज्ञाविधानं व्यर्थं स्यात्। अयम्भावः-अर्थवत्सूत्रे प्रत्ययान्तपर्युदासाभावे तद्धितान्ततदादेरपि धातुभिन्नप्रत्ययभिन्नार्थवच्छब्दस्वरूपत्वात् पूर्वसूत्रेणैव प्रातिपदिकत्वे सिद्धे उत्तरसूत्रे तद्धितान्ततदादेः प्रातिपदिकसंज्ञाविधानार्थं कृतं तद्धितग्रहणं व्यर्थं स्यात् । एतदेव तद्धितग्रहणं व्यर्थीभूय पूर्वसूत्रे प्रत्ययान्तपर्युदासे भवति प्रमाणम्। स्वीकृते तु प्रत्ययान्तपर्युदासे "उपगु ङस् अण्" इत्यादितद्धितान्ततदादेः प्रत्ययान्ततदादिभिन्नत्वाभावात् पूर्वसूत्रेणाऽप्राप्तायां प्रातिपदिकसंज्ञायां तद्विधानार्थम् उत्तरसूत्रे कृतम् तद्धितग्रहणमावश्यकं भवति। नन्वत्रेदमाशङ्क्यते यत् उत्तरसूत्रे तद्धितग्रहणसार्थक्याय प्रत्ययान्तपर्युदास एव स्वीक्रियतां किमर्थं प्रत्ययान्ततदादिपर्युदासः स्वीक्रियते। किञ्च प्रत्ययान्तपर्युदासस्वीकारे समासग्रहणमपि विध्यर्थं भविष्यतीत्यपरमनुकूलम्। तथाहि प्रत्ययान्तपर्युदासाङ्गीकारे राजन् ङस पुरुष सु इति समुदायस्य प्रत्ययान्तत्वेन प्रत्ययान्तभिन्नत्वाभावात् पूर्वसूत्रेण अप्राप्तायां प्रातिपदिकसंज्ञायामुत्तरसूत्रे कृतं समासग्रहणं विध्यर्थमेव भवति । तथा च विधिनियमसम्भवे विधिरेव ज्यायानिति परिभाषया समासग्रहणस्य अनया रीत्या विध्यर्थत्वसम्भवे प्रत्ययान्ततदादिपर्युदासं स्वीकृत्य नियमार्थत्वस्वीकारो न युक्तः। किञ्च समासग्रहणस्य नियमार्थत्वे व्याकरणशास्त्रे नियमशब्देन परिसंख्यायाः ग्रहणात् तस्याश्च प्राप्तबाधानुवादाश्रुतकल्पनेति दोषत्रययुक्तत्वेन गौरवमपि स्यात्। तदपेक्षया समासग्रहणेन पूर्वसूत्रे "यस्मात्प्रत्ययविहितस्तदादेस्तदन्तस्य च ग्रहणमि"ति परिभाषया तदादिरित्यंशस्यानुपस्थितिं स्वीकृत्य समासग्रहणस्य विध्यर्थत्वकल्पनमेवोचितमिति चेदत्रोच्यते परमगार्ग्यायणः इति भाष्यकारोक्तप्रामाणिकप्रयोगसिद्ध्यर्थं प्रत्ययान्ततदादिप्रर्युदासः आवश्यकः। तथाहि परमगार्ग्यस्यापत्यमित्यर्थे परमगार्ग्यशब्दघटकगार्ग्यशब्दात् 'यञिञोश्चे'ति सूत्रेण फकि तस्य आयनादेशे परमगार्ग्यायणेति समुदायस्य प्रत्ययान्तत्वेन प्रत्ययान्तभिन्नत्वाभावात् प्रातिपदिकसंज्ञा न पूर्वसूत्रेण स्यात्, न वा उत्तरसूत्रेण। उत्तरसूत्रे देवदत्तो गार्ग्य इत्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञावारणाय तद्धितान्ततदादेरित्यर्थस्यावश्यकत्वात्। तदादिरित्यंशस्योपस्थितिस्वीकारे तु गार्ग्य इस फक् इत्यस्यैव प्रत्ययान्ततदादित्वात् परमगार्ग्यायण इत्यस्यप्रत्ययान्ततदादिभिन्नत्वेन पूर्वसूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्ध्यति। तथा च परमगार्ग्यायणेत्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञासिद्ध्यर्थं पूर्वसूत्रे तदाद्यंशोपस्थितिरवश्यं कर्तव्येति चेदत्रोच्यते परमगार्ग्यायणः इति प्रयोगसिद्ध्यर्थं प्रत्ययान्ततदादिपर्युदासः नावश्यकः प्रत्ययान्तपर्युदास एवास्तु । कथं परमगाययणः इति प्रयोगस्य सिद्धिरिति चेदुच्यते कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यनेन गार्ग्य ङस् फक् इति तद्धितान्ततदादेः प्रातिपदिकसंज्ञायां सुब्लुकि परमगार्ग्यायण इति रूपं सेत्स्यतीति चेदुच्यते- गार्ग्य ङस् फक् इति समुदायस्य प्रातिपदिकसंज्ञायां "सुपो

धातुप्रातिपदिकयो"रिति ङसि लुकि कृतेऽपि परमगार्ग्यायणपदस्यअप्रातिपदिकत्वाद् विभक्तेःउत्पत्तिः न स्यात् । अतः परमगार्ग्यायणशब्दस्यैव प्रातिपदिकसंज्ञा अपेक्षिता। सा पूर्वसूत्रे तदाद्यंशोपस्थितिमन्तरा न सम्भवतीति पूर्वसूत्रे प्रत्ययान्ततदादिपर्युदासोऽवश्यमङ्गीकार्यः, न च राजपुरुषस्य अपत्यमित्यर्थे राजपुरुषशब्दघटकपुरुषशब्दादपि अत इञ इत्यनेन इञ्प्रत्यये कृते राजपौरुषिरित्याद्यनिष्टानामपि प्रयोगाणां साधुत्वं राजपौरुषिरित्याद्यनिष्टप्रयोगवारणाय तु स्वार्थान्वयिताच्छेदकधर्मावच्छिन्नवाचकतापर्यात्यधिकरणात् तद्धितप्रत्ययो भवति इति नियमोऽङ्गीक्रियते। तथाहि स्वं तद्धितसंज्ञकः इञ्प्रत्ययः तस्यार्थः अपत्यं तदन्वयिता राजपुरुषपदार्थनिष्ठा, तदवच्छेदकधर्मः राजपुरुषत्वं तदविच्छिन्नवाचकता राजपुरुषशब्दनिष्ठा, तस्याः वाचकतायाः पर्याप्त्यधिकरणं राजपुरुष इति शब्दः तस्मात् राजपुरुषशब्दात् तद्धितप्रत्ययः सिद्ध्यति,न तु राजपुरुषशब्दघटकपुरुषशब्दात्। इत्थमेव परमगार्ग्यस्य युवापत्यं परमगार्ग्यायण इत्यत्र स्वं तद्धितसंज्ञकः फक्प्रत्ययः तदर्थः युवापत्यं तदन्वयिता परमगार्ग्यनिष्ठा (परमत्वविशिष्टगर्गसम्बन्ध्यपत्यनिष्ठा), तदवच्छेदकधर्मः परमगार्ग्यत्वं तदवच्छिन्नवाचकता परमगार्ग्यशब्दनिष्ठा, तस्याः वाचकतायाः पर्याप्त्यधिकरणं परमगार्ग्य इति शब्दः, तस्मात् परमगार्ग्यशब्दात् तद्धितप्रत्ययः स्यात्, न तु परमगार्ग्यायणशब्दघटकगार्ग्यशब्दात्। परमगार्ग्यशब्दघटकाद्गार्ग्यशब्दात्फक्प्रत्ययं कृत्वा परमगार्ग्यायण इति प्रयोगः न सम्पादनीयः, किन्तु पूर्वं गार्ग्यशब्दादेव फक्प्रत्ययं कृत्वा गार्ग्यायण इति प्रयोगः सम्पादनीयः। तदनन्तरं परमशब्देन कर्मधारयं कृत्वा परमगार्ग्यायण इति प्रयोगो निष्पादनीयः, एवञ्च तदाद्यंशस्योपस्थित्यभावेऽपि भाष्योक्तप्रयोगस्य सिद्ध्या तदाद्युपस्थितिः, न कार्येति चेदत्रोच्यते परमत्वस्य गर्गसम्बन्धियुवाऽपत्यविशेषणत्वे तादृशप्रयोगसम्भवेऽपि परमत्वस्य गार्ग्यविशेषणत्वे तादृशप्रयोगाऽसम्भवात्। किञ्च यञिञोश्च इति सूत्रे तदादिविधेः प्रवृत्तौ यञन्ततदादेः इञन्ततदादेश्च फक् भवतीत्यर्थस्वीकारे परमगार्ग्यशब्दघटक गार्ग्यशब्दादेव फक्प्रत्ययो भाष्यकाराणामभिप्रेतः, न तु स्वतन्त्रगार्ग्यशब्दात् । तथा च पूर्वसूत्रे तदाद्यंशस्यानुपस्थितौ पूर्वोक्तरीत्या परमगार्ग्यायण इत्यस्य प्रातिपदिकत्वं न स्यात् । अतस्तदर्थं पूर्वसूत्रे तदाद्युपस्थितिरवश्यं स्वीकार्या । नन्वेवं चेत्कथं राजपौरुषिरित्याद्यनिष्टप्रयोगाणां वारणमिति चेदत्र ब्रूमः –

एतद्भाष्यप्रामाण्यात् स्वार्थान्वयिताच्छेदकधर्मावच्छिन्नवाचकतापर्याप्त्यधिकरणात् तद्धितप्रत्ययो भवति इति नियमस्वरूपं किञ्चित्परिष्क्रियते। तथाहि प्रत्ययान्तत्वावच्छिन्नोद्देश्यताकः तद्धितप्रत्ययः स्वार्थान्वयिताच्छेदकधर्मावच्छिन्नवाचकतायाः अपर्याप्त्या यदधिकरणं तस्मादपि भवति इति। परमगार्ग्यायण इत्यत्र स्वार्थान्वयिताच्छेदकधर्मः परमगार्ग्यत्वं तदवच्छिन्नवाचकता परमगार्ग्यनिष्ठा अपर्याप्त्या यदधिकरण गार्ग्यशब्दः तस्मादपि यञन्ततदादित्वरूपप्रत्ययान्तत्वावच्छिन्नोद्देश्यताकः तद्धितप्रत्ययो भवति। राजपुरुषस्यापत्यम् इत्यत्र तु अपर्याप्त्या यदधिकरणं तस्याः वाचकतायाः पुरुषशब्दः तस्मात् अत इञ इत्यनेन विहितः तद्धितप्रत्ययो न भवति इञ्प्रत्ययस्य प्रत्ययान्तत्वावच्छिन्नोद्देश्यकत्वाभावात्। नन्वेवमपि सुबन्तात्तद्धितोत्पत्तिरितिसिद्धान्तात् दक्षस्यापत्यं दाक्षिरित्यत्र अदन्तप्रातिपदिकप्रकृतिकपष्ठ्यन्तात् सुबन्तादेव

तद्धितोत्पत्तौ अदन्तप्रातिपदिकप्रकृतिकषष्ठ्यन्तत्वस्य प्रत्ययान्तत्वस्य उद्देश्यतावच्छेदकत्वात् राजपुरुषस्यापत्यम् इत्यत्र अपर्याप्त्या – यदधिकरणं पुरुषशब्दः तस्मादपि तद्धितप्रत्ययः स्यादेवेति चेदत्रोच्यते ज्ञापकसाजात्यात् तद्धितान्तत्वव्याप्यधर्मावच्छिन्नोद्देश्यताकत्वम् इति तद्धितविशेषणं दीयते। तथा च नियमस्वरूपमित्थं निष्पद्यते तद्धितान्तत्वव्याप्यधर्मावच्छिन्नोद्देश्यताकः तद्धितप्रत्ययः स्वार्थान्वयिताच्छेदकधर्मावच्छिन्नवाचकतायाः अपर्याप्त्या यदधिकरणं तस्मादपि भवति। यञन्तत्वस्य तद्धितान्तत्वव्याप्यधर्मत्वात् तदवच्छिन्नोद्देश्यताकः यञिञोश्च इत्यनेन विधीयमानो यः फक्प्रत्ययः न सः स्वार्थान्वयिताच्छेदकधर्मावच्छिन्नवाचकतायाः अपर्याप्त्या यदधिकरणं गार्ग्यशब्दः तस्मादपि भवति। किन्तु अदन्तप्रातिपदिकप्रकृतिकषष्ठ्यन्तत्वं तद्धितान्तव्याप्यत्वधर्मः अतस्तद्धर्मावच्छिन्नोद्देश्यताकः

तद्धितेञ्प्रत्यय: स्वार्थान्वयिताच्छेदकधर्मावच्छिन्नवाचकताया: अपर्याप्त्या यदधिकरणं पुरुषशब्द: तस्मात् न भवति। तथा च भाष्यप्रामाण्यात् एवंनियमाङ्गीकारे राजपौरुषिरित्याद्यनिष्टप्रयोगाणां वारणसम्भवे प्रत्ययान्ततदादिपर्युदासोऽवश्यमङ्गीकार्य:। किञ्च प्रत्ययान्तदादिपर्युदासाभावे बहुपटुशब्दस्य प्रातिपदिकसंज्ञा न स्यात्। तथाहि – ईषदूना: पटव: इत्यर्थे बहुपटव: इति प्रयोगस्य सिद्ध्यर्थं प्रत्ययान्ततदादिपर्युदास: अपेक्ष्यत एव। प्रत्ययान्तपर्युदासस्वीकारे बहु पटु जस् इत्यस्य प्रत्ययान्तत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा न स्यात्। तेन चित: इत्यनेन जस: अकारस्य उदात्तस्वर: स्यात्। इष्टं चात्र अनुदात्तत्वं। अत: प्रत्ययान्ततदादिपर्युदास: क्रियते। तेन बहु पटु जस् इत्यस्य समुदायस्य प्रत्ययान्ततदादित्वाभावात् अर्थवत्सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां सुब्लुकि चित: इत्यनेन उदात्तस्वरे प्राप्ते तं प्रबाध्य बहुपटुशब्दात् जसि अनुदात्तौ सुप्पितौ इत्यनेन अकारस्य अनुदात्तत्वं सिद्ध्यतीत्यपरमनुकूलम्। अत: पूर्वसूत्रे तदादीत्यंशोपस्थितिं स्वीकृत्य प्रत्ययान्ततदादिपर्युदास एव भाष्याद्यारूढ: पक्ष इति एवं च एकस्यैव प्रत्ययपर्युदासस्य वैशिष्ट्यमस्माभि: दृष्टम्।

एवमेव "सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे" इति वार्तिके सिद्धशब्दोपादानस्य वैशिष्ट्यं वर्तते मंगलार्थप्रतिपादकत्वं विस्तरभयान्नेह प्रतिपाद्यते।

साहित्यशास्त्रे रमणीयार्थप्रतिपादक: शब्द: काव्यम् अत्र प्रातिपादकशब्दस्य दोषवारकत्वेन वैशिष्ट्यम्।
न्यायशास्त्रे यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वह्नि: इति साहचार्यो नियमो व्याप्ति: अत्र वाद्वयं यत्रशब्दस्य प्रयोग: व्यापकत्वरूपार्थलाभाय, एवं भारतीयसंस्कृतौ संस्कृतवाङ्मये आचार्यै: प्रयुक्तानां शब्दानां महत्वैशिष्ट्यं वर्तते।

सन्दर्भग्रन्थसूची –

1. पाणिन्यष्टाध्यायी, प्रकाशक: चौखम्भा–सुरभारती, वाराणसी ।
2. वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी, प्रकाशक: मोतीलाल–बनारसी, वाराणसी ।
3. प्रौढमनोरमा, प्रकाशक: चौखम्भा–सुरभारती, वाराणसी ।
4. महाभाष्यम्, प्रकाशक: चौखम्भा–सुरभारती, वाराणसी ।
5. रसगंगाधर:, प्रकाशक: चौखम्भा–सुरभारती, वाराणसी ।
6. तर्कसंग्रह:, प्रकाशक: शारदा पब्लिकेशन, वाराणसी ।

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2023 SHISRRJ | Volume 6 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन

नीरज कुमार मौर्य
शोध छात्र, शिक्षाशास्त्र विभाग,
तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, उत्तर प्रदेश।

डॉ. कुसुमलता पटेल
शोध निर्देशिका,
असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विभाग,
तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, उत्तर प्रदेश।

Article Info

Publication Issue :
May-June-2023
Volume 6, Issue 3

Page Number : 52-59

Article History
Received : 20 May 2023
Published : 30 June 2023

सारांश– शिक्षा का अधिकार अधिनियम– 2009 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत पर लागू कर दिया गया था। केंद्र सरकार ने इस अधिनियम को लागू जरुर कर दिया पर इसे पूरी तरह से क्रियान्वित करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों की है। क्योंकि इस अधिनियम में बनाए गए लगभग सभी नियमों का अनुपालन सबसे पहले शिक्षकों को करना होता है और कोई भी शिक्षक अधिनियम के क्रियान्वयन में अपना पूरा योगदान देने में तभी सफल होगा जब वह शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के अंतर्गत निर्धारित विभिन्न नियमों, अधिनियम एवं कानूनों को अच्छी तरह से समझने में सफल होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में शिक्षकों की जानकारी उसकी जागरूकता को बढ़ाने में उसकी मदद करेगा।

मुख्य शब्द– प्राथमिक, विद्यालय, शिक्षक, शिक्षा, अधिकार, अधिनियम–2009।

प्रस्तावना– शिक्षा का पहला स्तर प्राथमिक स्तर होता हैं, अतः इस नीव को सुदृढ़ करना इसके उद्देश्यो तथा भागीदारी को समझना शिक्षा से जुड़े हर व्यक्ति का कतर्व्य है। भारतवर्ष में इस शिक्षा के अन्तर्गत 6–14 आयु वर्ग की शिक्षा आती हैं, कोठारी आयोग ने प्राथमिक शिक्षा को दो भागो में विभाजित किया। 6–11 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निम्न प्राथमिक स्तर तथा 11–14 आयु वर्ग के लिए उच्च प्राथमिक अथवा मिडिल स्तर होता हैं। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का विचार वस्तुतः मानवतावादी प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की देन माना जा सकता है। मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने एंव प्रजातंत्र को सफलतापूर्वक व प्रभावशाली ढंग से चलाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी नागरिक कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य प्राप्त करें। जिससे वे राजनैतिक क्षेत्रो में प्रबुद्ध नागरिको के रूप में विचार कर सके। इसी विचारधारा को मूर्त रूप प्रदान करने के उद्देश्य से सन् 1882 में दादाभाई नौरोजी ने भारतीय शिक्षा आयोग (हंटर आयोग) के सामने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क बनाने की माँग रखी थी। परन्तु इस दिशा में प्रथम आंशिक रूप से सफल प्रयास सर इब्राहिम रहीमतुल्ला व सर चिमन लाल सीतवाड़ का रहा।

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

जिनके प्रयास से बम्बई सरकार ने सन् 1906 में प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता की सम्भावना पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया। परन्तु यह सफल नही हुआ। बड़ौदा के महाराज सियाजीराव गायकवाड ने सन् 1893 में अमरेली ताल्लुके तथा बाद में 1906 में अपनी सम्पूर्ण रियासत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की। यद्यपि गोपालकृष्ण गोखले द्वारा सन् 1910 में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल में प्रस्तुत अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रस्ताव पारित नही हो सका लेकिन इस प्रस्ताव ने ब्रिटिस सरकार तथा जनता दोनो का ध्यान शिक्षा की ओर आकर्षित किया। परन्तु पहला सफल प्रयास 1918 ई0 में बिठ्ठल भाई पटेल ने बम्बई सरकार के नगर–निगम के स्कूलों में इसे लागू कराकर किया। इसके बाद 1919 में बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश व उड़ीसा में सन् 1920 में मध्य प्रदेश व मद्रास में सन् 1926 में आसाम में, 1930 में बंगाल व कश्मीर तथा सन् 1931 में मैसूर में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के अधिनियम बनाये गये।

सन् 1937 में वर्धा शिक्षा सम्मेलन में प्राथमिक शिक्षा का मापदण्ड तैयार तो हुआ, परन्तु यह पूर्ण रूपेण सफल न हो पाया। इसके पश्चात् सन् 1950 में भारतीय संविधान को जब स्वीकार किया गया, तो अगले 10 वर्षों में प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्यो की प्राप्ति की बात कही गयी। भारतीय संविधान में 86वें संशोधन के तहत अनुच्छेद 21 (1) में प्राथमिक स्तर के शिक्षा को बच्चो के मूल अधिकार से जोड़ा गया। 45वें अनुच्छेद में कहा गया कि प्रत्येक राज्य अपने राज्य के 6–14 आयु वर्ग के बच्चो के लिए प्राथमिक स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करेगा। साथ ही बच्चो के माता–पिता व अभिभावको के कर्तव्यों को अनुच्छेद 51(1) मे जोड़ा गया। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए विश्व व राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रयास किये गये। सन् 1990 में थाईलैण्ड में 'सब के लिए शिक्षा' पर कान्फ्रेंस हुआ जिसमें 'सबके लिए शिक्षा' पर विश्व घोषणा हुआ। भारतीय सरकार द्वारा सार्वभौमिकरण के लिए 'आपरेसन ब्लैकबोर्ड' की शुरूआत 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हुआ। सन् 1994 ई0 में शैक्षिक रूप से पिछडे जिलो के लिए 'जिला प्राथमिक शिक्षा योजना' की शुरूआत किया। सन् 2001 में 'सर्व शिक्षा अभियान' की शुरूआत किया और इन सभी कार्यक्रमो को जोड़कर 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 को बनाया गया। जिसे 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। जिसके तहत प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया।

सम्बन्धित साहित्य – हचांग (2021) ने अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे जिले के स्कूली शिक्षकों के बीच शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के बारे में जागरूकता का अध्ययन करके पाया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रति जागरूकता में 10 प्रतिशत शिक्षक निम्न जागरूकता रखते हैं। 56.6 प्रतिशत शिक्षक औसत जागरूकता रखते हैं। 20 प्रतिशत शिक्षक उच्च जागरूकता रखते हैं। 13.3 प्रतिशत शिक्षक अति उच्च जागरूकता रखते हैं अर्थात कुल मिलाकर पापुमपारे जिले के स्कूलों के शिक्षक शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति औसत जागरूकता रखते हैं। तथा शहरी एवं ग्रामीण शिक्षकों के मध्य भी अंतर पाया गया जिसमें शहरी शिक्षा ग्रामीण शिक्षकों की तुलना में शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति अधिक जागरूक पाए गए हैं।

सेठी (2021) ने केंदुझार जिले के जोड़ा प्रखंड में अनुसूचित जनजाति के अभिभावकों और शिक्षकों में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के संबंध में जागरूकता पर अध्ययन करके पाया कि जिले के अधिकतर क्षेत्रों में आज भी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के बारे में जागरूकता का अभाव है। तथा इन क्षेत्रों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम

2009 के प्रति जागरूकता का अभाव सिर्फ सामान्य जनमानस में ही नहीं है बल्कि इस अधिनियम के संचालन में लगे पदाधिकारियों में भी जागरूकता की कमी है।

सिंह और सागर (2019) ने 'ए स्टडी आफ एवेयरनेस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ आर.टी.ई. एक्ट–2009 एमंग बेसिक, माध्यमिक एंड सी.बी.ए.स.ई बोर्ड अपर प्राइमरी स्कूल टीचर्स इन रिलेशन टू दियर जेंडर' पर अध्ययन कार्य किया और पाया कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की जागरूकता माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की जागरूकता से अधिक है। साथ ही यह भी ज्ञात हुआ कि उच्च प्राथमिक विद्यालय के महिला और पुरुष अध्यापकों में जागरूकता का समान स्तर पाया गया है।

त्रिपाठी और डूंगरवाल (2019) ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के संबंध में अशासकीय शिक्षकों के जागरूकता के स्तर का आकलन करके पाया कि गैर सरकारी शिक्षकों की शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के संबंध में जागरूकता का स्तर अधिक है परंतु वे छात्रों और शिक्षकों से संबंधित प्रावधानों के संबंध में औसत जागरूकता रखते हैं। साथ ही यह भी निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के संबंध में गैर सरकारी शिक्षक सरकारी शिक्षकों की तुलना में अधिक जागरूकता रखते हैं।

मिश्रा (2019) ने उड़ीसा के जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की जागरूकता का अध्ययन करके पाया कि उड़ीसा के कालाहांडी, नवरंगपुर, मयूरभंज और कोरापुट जिलों के आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के बीच शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के बारे में जागरूकता में महत्त्वपूर्ण अंतर है। कालाहांडी जिले के शिक्षक कोरापुट जिले के शिक्षकों की तुलना में शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति अधिक जागरूक हैं। उड़ीसा के जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के बारे में प्राथमिक विद्यालयों के पुरुष और महिला शिक्षकों की जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

अस्थालिन और रत्नाकर (2018) ने प्राथमिक शिक्षकों के बीच शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रति जागरूकता का एक तुलनात्मक अध्ययन किया और पाया कि सामान्य श्रेणी के शिक्षक अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शिक्षकों की तुलना में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रति अधिक जागरूक हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के शिक्षक सामान्य वर्ग के शिक्षकों से कम तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति की शिक्षकों की तुलना में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रति अधिक जागरूक हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शिक्षक सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के शिक्षकों की तुलना में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रति कम जागरूक हैं। साथ ही कुल मिलाकर महिला शिक्षिका पूर्व शिक्षिका की तुलना में शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति जागरूकता रखती हैं।

कुमार (2018) ने अल्पसंख्यक समुदाय के माता–पिता के बीच निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की जागरूकता पर एक अध्ययन करके पाया कि एकल माता–पिता निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के संबंध में औसत से कम जागरूकता रखते हैं। अध्ययन में पुरुष अभिभावक का औसत स्कोर 10.23 है और महिला अभिभावक का औसत स्कोर 7.29 है जिससे यह पता चलता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के संबंध में पुरुष अभिभावक महिला अभिभावक से अधिक जागरूकता रखते हैं। ग्रामीण माता–पिता का औसत स्कोर 8.51 और शहरी

माता–पिता का 9.82 है जिससे यह पता चलता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के संबंध में ग्रामीण माता–पिता की तुलना में शहरी माता–पिता अधिक जागरूक हैं।

शर्मा एवं सैनी (2018) ने विभिन्न आरक्षित वर्ग के बी.एड. विद्यार्थियों की शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया और पाया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बी.एड. विद्यार्थियों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर है।

स्नेह (2018) ने " अभिभावक ,अध्यापक और विद्यार्थियों की शिक्षा के अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति जागरूकता एवं राजस्थान के चुरु और झुंझुनू जिलों में इसकी क्रियान्विति एवं प्रभावशीलता का अध्ययन" करके पाया कि निजी विद्यालयों के शिक्षक सरकारी विद्यालयों के शिक्षको से कम जागरूक हैं , सरकारी स्कूलों के छात्र निजी स्कूलों के छात्रो कि तुलना में शिक्षा के अधिकार अधिनियम–2009 के बारे में ज्यादा जागरूकता रखते हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के माता–पिता या अभिभावक निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रो के माता–पिता या अभिभावक से कम जागरूकता रखते हैं।

सोफी (2017) ने 'श्रीनगर के मुस्लिम समुदाय के माता–पिता का शिक्षा के अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति जागरूकता का अध्ययन करते हुए पाया कि शहरी मुस्लिम माता–पिता ग्रामीण मुस्लिम माता–पिता की तुलना में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रति अधिक जागरूक है तथा वे माता–पिता जिनके बच्चे निजी विद्यालयों में जाते हैं वह सरकारी स्कूलों में जाने वाले बच्चों के माता–पिता की तुलना में अधिक जागरूक हैं।

समस्या कथन – "प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन"

शोध में प्रयुक्त पदों की संक्रियात्मक परिभाषा

प्राथमिक विद्यालय– प्रस्तुत शोध में प्राथमिक विद्यालय से तात्पर्य एक ऐसे विद्यालय से है जहां कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा प्रदान की जाती है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 – प्रस्तुत शोध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का तात्पर्य है कि भारत में लागू ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके तहत 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क रूप से शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

जागरूकता– प्रस्तुत शोध में जागरूकता से अभिप्राय शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के इतिहास, पृष्ठभूमि, वर्तमान परिदृश्य और क्रियान्वयन की जानकारी से है जिसका अनुपालन प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है।

अध्ययन का उद्देश्यः–

1-शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति प्राथमिक विद्यालय के महिला एवं पुरुष शिक्षकों की जागरूकता का अध्ययन करना।

2-शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थित प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की जागरूकता का अध्ययन करना।

शून्य परिकल्पना

1-शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति प्राथमिक विद्यालय के महिला एवं पुरुष शिक्षकों की जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

2-शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थित प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध में मुख्य रूप से वर्णनात्मक विधि के अंतर्गत सर्वेक्षण अनुसंधान विधि का प्रयोग किया गया हैं ।

शोध की जनसंख्या– प्रस्तुत शोध अध्ययन में वाराणसी मंडल के अंतर्गत समस्त जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत समस्त शिक्षकों कों जनसंख्या के रूप में चुना गया हैं ।

प्रतिदर्श एवं प्रतिर्शन विधि– प्रस्तुत शोध अध्ययन की जनसंख्या में साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि का प्रयोग करके 120 प्राथमिक विद्यालयों से 430 शिक्षकों को न्यादर्श के रूप में चुना गया हैं ।

शोध के उपकरण– प्रस्तुत शोध में प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति शिक्षकों की जागरूकता का मापन करने के लिए स्वनिर्मित अनुसूची का प्रयोग किया गया हैं।

शोध में प्रयुक्त सांख्यिकीय विधिया– प्रस्तुत शोध अध्ययन में एकत्रित आंकड़ों के विश्लेषण एवं व्याख्या के लिए मध्यमान , मानक विचलन एवं 'टी' परीक्षण का प्रयोग किया गया हैं ।

आंकड़ों का विश्लेषण

उद्देश्य 1- शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति प्राथमिक विद्यालय के महिला एवं पुरुष शिक्षकों की जागरूकता का अध्ययन करना।

H01- शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति प्राथमिक विद्यालय के महिला एवं पुरुष शिक्षकों की जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

तालिका 1- शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति प्राथमिक विद्यालय के महिला एवं पुरुष शिक्षकों की जागरूकता का मध्यमान, मानक विचलन और 'टी' मान

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	स्वतंत्रता मात्रा	'टी'मान	निष्कर्ष
महिला	200	160.34	19.651	428	1.39	0.05 स्तर पर कोई सार्थक अंतर नहीं है
पुरुष	230	160.60	20.218			

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति प्राथमिक विद्यालय के महिला एवं पुरुष शिक्षकों की जागरूकता का मध्यमान क्रमशः 160.34 और 160.60 तथा मानक विचलन का मान क्रमशः 19.651 और 20.218 हैं। इनका 'टी' मान 1.39 हैं जो की 0.05 स्तर पर सार्थक नहीं हैं अतः शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति प्राथमिक विद्यालय के महिला एवं पुरुष शिक्षकों की जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया

गया है। पुरुष तथा महिला शिक्षकों कि जागरुकता में यह परिणाम आने का संभावित कारण यह हो सकता हैं कि वर्तमान समय में शिक्षकों के प्रशिक्षण के समय महिला और पुरुष शिक्षकों को एक समान प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी प्रकार से शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति महिला एवं पुरुष शिक्षकों की जागरूकता के लिए दोनों को एक समान प्रशिक्षण एवं अवसर उपलब्ध होते हैं जिसका प्रभाव महिला और पुरुष दोनों शिक्षकों पर एक समान पड़ता है। अतः महिला और पुरुष शिक्षक की जागरूकता एक समान पायी गयी है। सिंह, और सागर (2019), मिश्रा (2019), ठाकुर (2014) ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति प्राथमिक स्तर पर शिक्षण करने वाले शिक्षकों की जागरूकता पर किए गये अध्ययन का परिणाम उपर्युक्त परिणाम का समर्थन करता है कि महिला और पुरुष शिक्षक की जागरूकता एक समान हैं । जबकि इसके विपरीत लाल (2014) ने अपने अध्ययन में पाया की भावी पुरुष शिक्षक शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रावधानों के बारे में महिला शिक्षक से अधिक जागरुक हैं ।

उद्देश्य 2- शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थित प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की जागरूकता का अध्ययन करना।

H02-शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थित प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

तालिका 2- शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थित प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की जागरूकता का मध्यमान, मानक विचलन और 'टी' मान

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	स्वतंत्रता मात्रा	'टी' मान	निष्कर्ष
शहरी	153	149.42	15.83	428	9.51	0.05 स्तर पर सार्थक अंतरं है
ग्रामीण	277	166.58	18.99			

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थित प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की जागरूकता का मध्यमान क्रमशः 149. 42 और 166.58 तथा मानक विचलन का मान क्रमशः 15.83 और 18.99 हैं। इनका 'टी' मान 9.5 हैं जो की 0.05 स्तर पर सार्थक नहीं हैं अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है अर्थात शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थित प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की जागरूकता में सार्थक अंतर है । वर्तमान समय में शहरी क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार बहुत तीव्र गति से हुआ है, संसाधनों की उपलब्धता के कारण अधिक से अधिक लोग शहर में रहकर के शिक्षा प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। पिछले कुछ वर्षों में शहरी क्षेत्र में सीबीएससी बोर्ड और आई.सी.एस.सी. बोर्ड ने भारत के प्रत्येक शहर कब्जा कर लिया है। इन विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। शहरी क्षेत्रों में ऐसे विद्यालयों की अधिकता और शासकीय विद्यालयों की कमी पाई गई है। अतः शहरी क्षेत्रों में स्थापित प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के

प्रति जागरूकता में कमी पाई गई है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को समय–समय पर दिए जाने वाले प्रशिक्षण की वजह से इनमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रति जागरूकता का स्तर अधिक पाई गई हैं। रामचंद्रन एवं सुब्रमण्यम (2015), ठाकुर (2014) ने अपने अध्ययन में समान निष्कर्ष पाया हैं जबकि हचांग (2021), लाल (2014) ने अपने अध्ययन में पाया की शहरी शिक्षक की जागरूकता ग्रामीण शिक्षक की जागरूकता से अधिक हैं

निष्कर्षः प्रस्तुत शोध कार्य से प्राप्त निष्कर्ष इस प्रकार से हैं–

1–शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति प्राथमिक विद्यालय के महिला एवं पुरुष शिक्षकों की जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

2–शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थित प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की जागरूकता में सार्थक अंतर है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. गुप्ता, डॉ. एस. पी. (2015): भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ , शारदा पुस्तक भवन इलाहाबाद।
2. त्रिपाठी, शालिकग्राम (2009):भारतीय शिक्षा का इतिहास, राधा पब्लिकेशन, दिल्ली ।
3. त्रिवेदी, राकेश (2021): भारतीय शिक्षा का इतिहास (स्वतन्त्रता पश्चात), ओमेगा पब्लिकेशन , नई दिल्ली
4. Hachang, P. (2021). A Study on Awareness about Right to Education (RTE) Act 2009 among School Teachers of Papumpare District, Arunachal Pradesh. Journal of Research in Humanities and Social Science, 9, 62-65.
5. SETHY, P. K. (2021). Awareness Regarding Right to Free and Compulsory Education Act among Scheduled Tribe Parents and Teacher in Joda Block of Kendujhar District. High Technology Letters, 27.
6. Singh, K. & Sagar, P. (2019). A study of awareness of the provision of RTE Act 2009 among Basic, Madhyamik and CBSE board upper primary school teachers in relation to their gender. Journal of Emerging Technologies and Innovation Research, 6 (4), 520-528.
7. Tripathi, M. and Dungarwal, M. (2019). Assessment of Awareness level of Non-Government Teachers regarding RTE. International Journal of Applied Research, 5(5), 16-21.
8. Mishra, S. (2019). Awareness of Elementary School Teachers in Tribal Area of Odisha, India About RTE Act-2009. Journal of Education and Practice,10(1),7-16.

9. Astalin, P.K. & Ratnakar, V. K. (2018). A Comparative Study of the Awareness Towards RTE Act 2009 Among the Primary Teachers. An International Journal of Educational Technology, 85-91
10. Kumar, R. (2018). A Study on Awareness of RTE Act 2009 Among the Parents of Minority Community. Ideal Research Review, 60(1), 35-40.
11. शर्मा, एस. और सैनी, आर. (2018). विभिन्न आरक्षित वर्गों के बी.एड. शिक्षार्थियों की आर.टी.ई.–2009 के प्रति जागरूकता का अध्ययन. चेतना इंटरनेशनल एजुकेशनल जनरल, 2,85–88
12. स्नेह, (2018). अभिभावक, अध्यापक एवं विद्यार्थियों की आर०टी०ई० 2009 के प्रति जागरूकता एवं राजस्थान के चूरू एवं झुंझुनू जिलों में इसकी क्रियान्वित ई एवं प्रभावशीलता का अध्ययन. पी– एच. डी., शिक्षाशास्त्र, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान मानिक विश्वविद्यालय, गांधी विद्या मंदिर, सरदारशहर, शुरू,राजस्थान।
13- Sofi, M. A. (2017). A Study on awareness of RTE Act-2009 among the parents of Muslim community of Srinagar. International Journal of Academic Research and Development, 2, 266-267

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2023 SHISRRJ | Volume 6 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

बाल श्रम - एक सामाजिक अपराध

कविता कनौजिया

असि. प्रो. समाजशास्त्र विभाग, उपाधि महाविद्यालय, पीलीभीत

Article Info

Publication Issue :
May-June-2023
Volume 6, Issue 3

Page Number : 60-63

Article History
Received : 20 May 2023
Published : 30 June 2023

शोध सारांश - वर्तमान समय मे बाल अपराध की समस्या समाज में एक चुनौती बन कर उभरी है। बाल अपराध एक ऐसी समस्या है जो मूल रूप से परिवार और समुदाय के विघटन का परिणाम है। बाल श्रम के (निषेध और विनियमन) अनेको अधिनियम जैसे- कारखाना अधिनियम (1998), किशोर - न्याय (देखभाल और संरक्षक) बाल अधिनियम (2000) आदि चलाये गये, जिससे बाल अपराध जैसी समस्या को कम किया जा सके। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अनेको कदम उठाए गए है। बच्चों की परीक्षा एवं उनकी बेहतरी के अनेक कार्यकम एवं नीतियाँ बनाई गयी है। जिससे बच्चे के भविष्य को कुछ हद तक सुरक्षित किया जा सकता है।

मुख्य शब्द:- बाल अपराध, बाल-श्रम, स्थिति,समाजशास्त्रीय।

प्रस्तावना

बाल श्रम- बालक से अभिप्राय है, कि वह जो 14 साल की उम्र का हो तथा श्रम का तात्पर्य है किसी आर्थिक उत्पाद न की क्रिया में प्रतिभागिता । अत: आर्थिक उत्पादित क्रियाओं में सशुल्क सहभागिता रखने वाले 14 वर्ष तक की आयु के बालक बाल-श्रम की श्रेणी में आते हैं । किन्तु चूंकि 5 वर्ष की आयु के बच्चे इतने बड़े नहीं होते कि वे भुगतान या लाभ के लिए आर्थिक गतिविधियों में लग सकें इसलिए सामान्यतया 5 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वर्ग के श्रमिकों को बाल-श्रम के अन्तर्गत माना जाता है। भारतीय कारखाना अधिनियम , 1948 की धारा 2 सी के अनुसार, जिस व्यक्ति ने अपनी आयु का 14वां वर्ष पूर्ण नहीं किया हो वह बाल क की श्रेणी में आयेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खनन या जोखिम पूर्ण कार्य में नहीं लगाया जा सकता और न ही उनसे कोई भी आर्थि क कार्य मानसिक व शारीरिक रूप से नहीं लिया जा सकता। भारत वर्ष में बाल-श्रम का उपयोग अर्थव्य वस्था के अनेक क्षेत्रों में किया जाता है किन्तु चिन्ताजनक यह है कि कुछ जोखिमपूर्ण तथा खतरनाक उद्यो गों में भी बाल-श्रम नियोजित है । इस कारण बाल- मजदूरों का नैसर्गिक, शारीरिक एवं मानसिक विका स नहीं हो पाता और परिणाम स्वरूप उनकी वर्तमान क्षमता का दुरूपयोग होता है।

भारत में बाल-श्रम के निम्न कारण है- निरक्षरता :- यह सबसे बड़े कारणों में से एक है। यदि कोई बच्चा वित्तीय या सामाजिक कारणों से शिक्षा प्राप्त करने

में असमर्थ है, तो उसके मजदूरी पर काम करने और परिवार की मदद करना ही एक विकल्प है।

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

गरीबी:– बाल–श्रम एक ऐसी समस्या है जो गरीबी से बहुत प्रभावित है, आर्थिक तगी और गरीबी से उबर ने के लिए माता–पिता अपने बच्चों से पैसों के लिए काम कराने को मजबूर हैं।

बंधुआ मजदूर:- पारिवारिक ऋण या दायित्व चुकाने के लिए बच्चो को इस प्रकार के बाल श्रम में का म करने के लिए मजबूर किया जाता है। बंधुआ मजदूरी के कारण गरीब बच्चों को ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में घरेलू नौकर के रूप में काम करने, छोटे निर्माण घरों आदि में कामकरायाजाताहै

भारतीय बाल श्रम अधिनियम 1986 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चो को किसी भी कारख नों में काम कराने पर प्रतिबंध है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चो को घरेलु मदद के रूप में भी काम नही कराया जा सकता है

"हर बच्चे को बच्चा बनने की आजादी दें।" - कैलाश सत्यार्थी

बाल अपराध- कोई बालक जन्म से अच्छा या बुरा नही होता, सामाजिक परिस्थितियां जैसे–निर्धनता, अशिक्षा, पर्यावरण । परिवार, मित्र– मण्डली एवं अन्य कुछ कारक बालक को समाज में समायोजित करते हैं। सामाजिक सम स्याओं में संस्कृति को निरन्तरता और वर्तमान समाज में हो रहे लगातार परिवर्तन दोनों का ही प्रभाव पड़ता है । यदि सामाजिक व्यवस्था में हो रहे परिवर्तनों की गति धीमी हो और यदि इन परिवर्तनों का समाज के प्रत्येक अंग के विकास में बराबर का प्रभाव पड़ता हो तब इन दशाओं में सामाजिक विघटन का प्रभाव बहु त कम परिलक्षित होता है। वास्तव में समस्याओं का जन्म मुख्य रूप से तेज या असामान्य परिवर्तनों से हो ता है, जिनके कारण समय के बदलते हुए परिवेश में पर्याप्त सामाजिक सामंजस्य नहीं रहा है। जिन बालकों का समाज के साथ सकारात्मक समायोजन हो जाता है वे श्रेष्ठ बन जाते हैं। इसके विपरीत वे बालक जो किन्हीं कारणों वश समाज से अपना उचित समायोजन नहीं कर पाते हैं वे ही असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं तथा अपराध करते हुए पकड़े जाने पर बाल अपराधी के रूप में चिन्हित हो जाते हैं । बार्नस (1939) के अनुसार "आवश्कता और लालच अधिकतर अपराधों की व्याख्या करते है । हीली ने परिभाषित किया कि एक बच्चा जो कि सामान्य व्यवहार के लिए निश्चित किये गये मानकों से विचलित होता है, उसे पथभ्रष्ट बालक कहा जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक अपराधी बच्चा असामाजिक गतिविधियों में संलग्न रहता है एवं सामाजिक मानकों का उल्लंघन करता है। और 12–18 वर्ष की आयु समूह का किशोर बच्चा है जो कि किशोर न्यायालय द्वारा उसके आपराधिक व्यवहार के लिए विविध दण्डसंहिता के अधीन दण्डित किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रम की वैश्विक सीमा और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कारवाई और उपायों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 12 जून को विश्व बाल श्रम विरोधी दिवसकाशुभारंभकिया। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस को मनाने का अभिप्राय पूरे विश्व को बाल श्रम के विरुद्ध जागृत करना एवं बच्चों को बाल मजदूरी से बचाना है

'यह बचपन का शोषण है जो बुराई का निर्माण करता है। मानव हृदय के लिए सबसे असहनीय हैं " । सामाजिक कानून में गंभीर काम हमेशा बच्चों की सुरक्षा के साथ शुरू होता है।" अल्बर्ट थामस

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण- समाज में रहने के लिए सामाजिक प्रतिबन्धों के अन्दर रहना अनिवार्य हैं, इस दृष्टिकोण के कारण ही युवाओं में असामाजिक घटनाओं को बल मिला है। आधुनिक युग बालकों का युग कहा जाता है, क्योंकि आज के बालक कल के नागरिक हैं। उन्हें भविष्य में नागरिक जीवन में प्रवेश कर देश तथा समाज की कमान सम्भालनी होती

है। प्रत्येक समाज में व्यक्ति के व्यवहार के निर्धारित माप होते हैं। इस समाज व्यवस्था से विपरीत कार्य करने को सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध माना जाता है। ठीक इसी प्रकार जो बालक सामाजिक हित के विरूद्ध कार्य करते हैं उसे समाज के कानून की दृष्टि से अपराधी घोषित किया जाता है तो इस प्रकार के बालक को अपराधी या असामाजिक के नाम से सम्बोधित किया गया। इस प्रकार बालकों अथवा प्रौढ़ों द्वारा किए गए समाज विरोधी अथवा अवैधानिक व्यवहार को जो सरकार को कुछ कार्यवाही करने के लिए बाध्य कर देता है, बाल अपराध कहा जाता है। 5 वर्ष की आयु से लेकर 18 वर्ष की आयु के बालकों को बाल अपराध की श्रेणी में रखा है। भारत में 1 897 में निर्मित रिफश्वरमेट्र स्कूल में 15 वर्ष की आयु तक के बालक के असामाजिक व्यवहार को बाल- अपराध कहा गया है।

गिलिन एवं गिलिन के अनुसार :- "समाजशास्त्र की दृष्टि से बाल अपराध एक ऐसा व्यक्ति है, जिस के व्यवहार को समाज अपने लिये हानिकारक समझता है और वह उसके द्वारा निषिद्ध है । "

न्यूमेयर के अनुसार- "एक बाल अपराधी निर्धारित आयु से कम का वह व्यक्ति है जो समाज-विरोधी क कार्य करने का दोषी है, और जिसका दुराचरण कानूनकाउल्लघनहै।"

मोवरर के 'अनुसार:- " वह व्यक्ति जो जान-बूझकर इरादे के साथ तथा समझते हुए उस समाज की रूढ़ि यो की उपेक्षा करता है, जिससे उसका सम्बन्ध है, बाल अपराधी कहलाता है।"

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है, कि बात - अपराध के अन्तर्गत बालूको के असमाजिक व्यवहारों को लिया जाता है। बालकों के ऐसे व्यवहार जिससे समाज के व्यवहार नियामक आदेशों एवं आदर्शों का उल्लंघन होता है और जिससे सामाजिक संगठन को क्षति पहुँचती है, इन व्यवहारों को बाल- अपराध की श्रेणी में रखा जाता है।

रोबिनसन के मत में आवारागर्दी, भीख मांगना, दुर्व्यहार, और उदण्डता, बाल- अपराधी के लक्षण है।

सेठना के अनुसार - " किसी बालक या तरूण के द्वारा किये गये गलत या अनुचित कार्य जो कि सम्बन्धित स्थान के कानून (जो उस समय लागू हो) के द्वारा निर्दिष्ट आयु-सीमा के अन्दर आते हो, बाल-अपराध की श्रेणी में आते है। "

सोल रूविन ने (1949) बाल - अपराध के कानूनी अर्थ को एक पंक्ति व्यक्त करते हुए लिखा है कि कानू न जिस कार्य को बाल अपराध मानता है, वहीं बाल अपराध है। "

हमारे भारत देश मे कस्बों और ग्रामों की तुलना नगरों और महानगरों में बाल- अपराध अधिक होते हैं। बड़े शहरो और महानगरों जैसे कोलकाता, दिल्ली, मुम्बई, लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद आदि मे बाल अपराध अधिक होते है । शहरी और महानगरों का भीड़-भाड़ युक्त वातावरण मादक द्रव्यों एवं नार्कोटिक ड्रग्स को उपलब्धता, गन्दी बस्तियाँ एवं नितान्त गरीबी, अपराधी उप-संस्कृति आदि बाल - अपराध को प्रोत्साहित करते है।

अध्ययन का उद्देश्य- बालकों का दक्षतापूर्ण पालन-पोषण एवं विकास किया जाना आर्थिक-सामाजिक विकास हेतु अपरिहार्य है। हमारे देश के संविधान में उल्लिखित नीति-निर्देशक तत्वों में भी व्यक्ति के बचपन को कुंठाओं तथा उत्पीड़न से बचाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये गए है। भारतीय संविधान की धारा 39 (च) में स्पष्ट उल्लेख है कि बच्चों का शोषण से संरक्षण हो । संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों में से एक शोषण के विरूद्ध अधिकार के अन्तर्गत अनुच्छेद 24 में व्यवस्था की गई है, कि 14 वर्ष तक की आयु वाले किसी बच्चे को किसी कारखाने, खान या अन्य किसी जोखिमपूर्ण नौकरी में न लगाया जाए। बाल श्रम एक्ट 1986 इत्यादि बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित रखने हेतु भारत सरकार की पहल को दर्शाते है।

भारतीय संविधान के-

अनुच्छेद - 19 बच्चो को सभी प्रकार की शारीरिक, मानसिक चोट पहुँचाने वाली हिंसा, लापरवाही, दुर्व्यवहार शोषण से बचाना चाहिए।

अनुच्छेद - 27 बच्चों के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक विकास के लिए पर्याप्त जीवन स्तर के प्रत्येक बच्चे को अधिकार है।

अनुच्छेद- 31 आर्थिक शोषण से बच्चे की सुरक्षा का अधिकार और ऐसा कोई भी काम करने से जो खतरनाक हो सकता है या बच्चे की शिक्षा में बाधा उत्पन्न कर सकता है, से बच्चों का बचाव करना ।

अनुच्छेद- 11 प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। बच्चे की शिक्षा को निर्देशित किया जाएगा।

अनुच्छेद- 45 राज्यो का कर्तव्य है, कि वे बच्चों हेतु आवश्यक एवं निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करें ।

निष्कर्ष:- बाल अपराध की बढ़ती घटनाओं को रोकने का भरसक प्रयत्न समय-2 पर हो रहा है । परन्तु इन तमाम कोशिशो के बावजूद बाल अपराध की गंभीर समस्या बनी हुई है 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कर देने और बालको के हित में तरह-2 के कानून बना देने के बाद भो बाल - अपराध की दर स्थिर बनी हुई हैं। बाल- अपराध की उत्पत्ति में बालक के पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियों को महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं। क्योंकि बालक को घर, पड़ोस, स्कूल आदि के द्वारा निरन्तर सहयोग और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। परिवार और समाज से इसके अभाव में बालक कुण्ठाग्रस्त और तनावग्रस्त होकर अपराधी गतिविधियों में सलग्न हो सकता है। अत: ऐसे बालकों के माता-पिता को बालकों को स्कूल मे भेजने तथा उन्हें पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा, जिससे ये बालक, कारखानों, दुकानों आदि पर बाल-श्रम न करे। परिवार, समाज और सरकार सबको अपनी-अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी होगी, तभी देश के इन नौनिहाल कर्णधारों को सफल और जिम्मेदार नागरिक बनाया जा सकता है।

संदर्भ -

[1]. Ahuja ram 1992 'Social Problems in India,' Rawat Publication,

[2]. Jaipur.

[3]. Bagulia, AM. 2006. 'Child and Crime, SBS.

[4]. Singh, R.S. 1948. Juvenile Delinquency in India.

[5]. www.devedunotes.com

[6]. https://Social-work.in

[7]. डा0 एस. पी. एल. श्रीवास्तव, श्री राम यादव, डा्. नमृता प्रसाद बाल-अपराध मुद्दे एवं चुनौतियां । वाल-श्रम एवं

[8]. rkrstudy.net बाल अपराध क्या है ?

[9]. BHAKHRY, SAVITA. 2006 'Children in India andtheirright.

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2023 SHISRRJ | Volume 6 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

अध्यापक शिक्षा : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में

डॉ कैलाश चन्द मीणा

सहायक आचार्य, शिक्षापीठ, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय , नई दिल्ली।

Article Info

Publication Issue :
May-June-2023
Volume 6, Issue 3

Page Number : 64-68

Article History
Received : 20 May 2023
Published : 30 June 2023

सारांश :- भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान बहुत पवित्र और ऊंचे दर्जे का माना गया है, गुरु माता पिता यहां तक कि ईश्वर से भी ज्यादा आदरणीय विश्वसनीय तथा सम्मानीय माना जाता है। गुरु श्रद्धा, आस्था और समर्पण का पर्याय है। 21वीं सदी के शिक्षार्थियों की नई पीढ़ी गूगल के गर्भ से निकली है। जो बहुत सी ऐसी सूचनाओं से सराबोर है जिनसे आज का टीचर भी शायद न हो। इस पीढ़ी को रूढ़ीवादी शिक्षक नहीं संभाल पायेगें। ये नए जमाने के नौजवान है। इस जनरेशन को अपना एक संवाद सहयोगी चाहिए। जो उनकी बाते सुन सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति –2020 में इन्ही सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई है।

बीज बिंदु :- अध्यापक , राष्ट्रीय , शिक्षानीति , समग्र विकास,दृष्टिकोण, रचनात्मकता इत्यादि ।

प्रस्तावना :- **गुरु** :-**पारंपरिक अर्थ में** :- जिसमें गांभीर्य हो ।

भागवत पुराण में :-कृष्ण ने उद्धव को तटस्थ तपस्वी (अवधूत) के चौबीस गुरुओं के बारे में बताया था । जिसके अनुसार गुरु वह है जो तपस्वी में अंतर्दृष्टि पैदा करता है ।

स्कंद पुराण में :-गुरु गीता में शिव ने पार्वती को बताया कि गुरु के बिना किसी व्यक्ति के लिए वेद समझना असंभव है ।

कृष्ण के अनुसार :-**जो** मनुष्य की स्वतंत्रता को स्वीकार कर उसे स्वतंत्र बनने में सक्षम बनाता है ।

शिव के अनुसार :-हमें गुरु पर निर्भर रहना आवश्यक है ।

गुरु गीता के अनुसार। :-गुरु पिता या माता यहां तक कि देवताओं के समान या उनसे भी श्रेष्ठ हैं ।

गीता के अनुसार :-**श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर: संयतेंद्रिय** --गुरु श्रद्धा, आस्था और समर्पण का पर्याय है।

पुराणों के अनुसार :-ब्रहस्पति के बिना देव युद्ध नहीं जीत सकते थे और शुक्र के बिना असुर पुनर्जीवित नही हो सकते थे ।

भारतीय संस्कृति में :-जिसे आत्मा और अविनाशी तत्त्व का बोध हो जाए ।गुरु प्रकाश स्तंभ है । गुरु पवित्रता का प्रवाह है नैतिकता का निर्वाह है ।

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

विश्वविख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार :-गुरु वह है जो रचनात्मक क्रियाओं में अपने ज्ञान से हमारे अंत:करण में आनंद उत्पन्न करता है । इस आनंद की अनुभूति में आत्मसात किए गए विषय को शिष्य जीवन पर्यंत नहीं भूलता ।

विश्व विजेता सिकंदर के अनुसार :-अच्छे रहन–सहन के लिए मैं अपने पिता का ऋणी हूं लेकिन अच्छी तरह से रह पाने के लिए अपने गुरु का ।

बोलचाल की भाषा में :-हम उस्ताद , अध्यापक , आचार्य, पंडित , ज्ञानी , साधु , मुनि , तपस्वी, पुरोहित ,शिक्षक या गुरु आदि कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं ।

आजकल :-अधिकतर भारतीय अध्यात्मिक नेता गुरु कहलाते हैं एक नई शब्द व्युत्पत्ति लोकप्रिय बन गई है जैसे – जो हमें अंधकार से प्रकाश तक ले जाता है ।

प्रौद्योगिकी का 21वीं सदी की शिक्षा में निर्णायक रोल है। टैक्नोलॉजी शैक्षिक क्षेत्र में क्रांतिकारी कारक बनकर उभरी है। प्रौद्योगिकी ने विषय शिक्षण से लेकर उसके उपयोग तक को नए आयाम दिए है। टैक्नोलॉजी न सिर्फ हमारी शक्ति और समय की सेविंग कर रही है। बल्कि क्षमता निर्माण में भी गुणात्मक इजाफा कर रही है।

गूगल के सुंदर पिचाई का यह कहना कि अगले 25 साल दो क्रांतिकारी तकनीक ही तय करेंगी। पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी क्वॉन्टम कंप्यूटिंग। ये दोनों मिलकर दुनियां को बदल देंगे। आर्टिफ़िशियल इंटेलीजेंस में पिचाई मानवता की बेहतरी देखते है कि यह भविष्य में इंसानों की तरह काम करने में हमारी सहयोगी बनेगी। विशेषत: समस्याओं के समाधान में यह दुनियां की हमसफर होगी। पर इसके दोनों ही पक्ष है।

टैक्नोलॉजी सबकी जरूरत :-टैक्नोलॉजी आज हर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की जरुरत बन गई है। दुनियां में टैक्नोलॉजी का बढ़ता साम्राज्य कई खतरनाक ख्यालों को भी बड़ी मासूमियत से दबाता दिख रहा है। मन हार–थक कर मान ही लेता है कि तकनीक अब मनुष्य को गवर्न करने की हैसियत हासिल कर चुकी है।

बड़ी चिंता :-ऐसे में प्राथमिकताओं का प्रण करना सरल नहीं है। समाज की अपनी जरुरतें है तो राजनीति के अपने तकाजे है और बाजार तो खनन के ख्याल से कभी बाहर आता ही नहीं। ऐसे में सार्वभौमिकताओं को सहेजने वाली मानवता का दिग्दर्शन कराने वाली नई शैक्षिक संस्कृति कैसे उभरे? यह बड़ी चिंता है।

21वीं सदी के शिक्षार्थियों की नई पीढ़ी गूगल के गर्भ से निकली है। जो बहुत सी ऐसी सूचनाओं से सराबोर है जिनसे आज का टीचर भी शायद न हो। इस पीढ़ी को रूढ़ीवादी शिक्षक नहीं संभाल पायेगें। ये नए जमाने के नौजवान है। इस जनरेशन को अपना एक संवाद सहयोगी चाहिए। जो उनकी बाते सुन सके।

सोशल मीडिया का दौर :-जिन तनावों से वे तार–तार हो रहे है, उन्हें उनके समाधान दे सके। सोशल मीडिया के इस भयावह दौर में उन्हें सही दिशा में संचार और संवाद करने के गुर सिखा सके। छात्रों और उनके अभिभावकों के बीच मजबूत ब्रिजिंग कर सके। इस सब के लिए नए शिक्षक को नवाचार का नायक बनना होगा। नई धारणाओं–अवधारणाओं के बीच समाज को नव–जीवन मूल्यों से समायोजन सिखाना होगा।

परम्परा और आधुननता के बीच सेतु बनाने की सृजनात्मकता के वातावरण का वाहक बनना होगा। टैक्नोलॉजी ने हमारे घर में रहने–सोने से लेकर सड़क सुरक्षा तक को और विकास के आधार शिक्षा–व्यवस्था तक को निर्देशित और संचालित करना तय कर लिया है। टैक्नोलॉजी को जीवन उपयोगी और जनोपयोगी बनाने की दिशा में विशेष रुप से काम करने की जरुरत है।

अब इसके सिवा कोई विकल्प नहीं है। टैक्नोलॉजी से लैस नया शिक्षक नए माहौल में नव–संस्कृति के विकास में नायक की भूमिका में अपने गुरुत्तर दायित्व का निर्वहन करे। तभी भारतीय शिक्षक अपने सनातन सिंहासन गुरु–गोविन्द दोऊ खड़े.....पर अपने प्रथम स्थान को कायम रख सकेगा। विश्व कल्याण के दायित्व बोध और विश्वास से भरा अपने स्थान पर विराजमान रहेगा।

विशेष :-राम के कुलगुरु वशिष्ठ व गुरु विश्वामित्र थे ।अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय को आदिगुरु मानते हैं। 2500 वर्ष पहले बुद्ध भी आदर्श गुरु थे इनके अनुसार छात्रों को स्वावलंबी होना चाहिए। गुरु शिक्षा और संस्कार दोनों का केंद्र बिंदु है भारतीय ज्ञान परंपरा के गुरु को पश्चिमी संस्कृति में गॉड इन ह्यूमन फॉर्म कहा गया है ।

गुरु के सानिध्य में जाने से जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है सच्चिदानंद स्वरूप गुरु को लोगों के हृदय परिवर्तन के लिए ज्यादा उपदेश नहीं देने पड़ते उनकी उपस्थिति मात्र से व्यक्तित्व का रूपांतरण हो जाता है उनकी छोटी सी प्रेरणा हृदय परिवर्तन करने में सक्षम होती है गौतम बुद्ध को पाटलिपुत्र की नगरवधू आम्रपाली में मगध साम्राज्य में आतंक का पर्याय बन चुके अंगुलिमाल राक्षस का हृदय परिवर्तन करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी जब तथागत भोजन ग्रहण करने के प्रयोजन के लिए आम्रपाली के द्वार पर पहुंचे तो उनके आभामंडल के प्रभाव से इतनी रोमांचित व भाव विभोर हो गई कि महल त्यागकर बौद्ध भिक्षुणी बन गई अंगुलिमाल के सामने जैसे ही गौतम बुध के मुखारविंद से यह वाक्य निकला जब पेड़ की शाखा से तोड़े गए 10 पत्तों को तुम यथास्थिति में वापस नहीं जोड़ सकते तब भी अपने आप को ताकतवर समझते हो निर्दोष लोगों की हत्या करके अपने आप को बलशाली मानते हो इतना सुनते ही अंगुलिमाल के हाथ कांप उठे तलवार हाथ से छूट कर जमीन पर गिर पड़ी यही वह अद्भुत क्षण था जब अंगुलीमाल के हृदय का रूपांतरण हुआ और वह राक्षस से भिक्षुक बन गया ।उसी समय उसने सन्नयास ले लिया सद्गुरु की कृपा से प्रगति सुनिश्चित है। आध्यात्मिक मार्ग हो या सांसारिक जीवन में सद्गुरु की कृपा से प्रगति सुनिश्चित है।

आखिर सच्चा गुरु कौन है ? :-

जो हमे आध्यात्मिक सहायता सहित निरंतर पॉजिटिव एनर्जी देता रहे और जादुई ढंग से समस्याए हल करता रहे ।तथा अन्य मानते हैं कि गुरु में गांभीर्य हो और उनमें वह अंतर्दृष्टि पैदा कर उन्हें स्वावलंबी बनाएं। वायुपुराण में बताया गया है कि जो हमें सद्बुद्धि दे, हमें संसार में जीना सिखाए , सामाजिक बाधाओं को सहजता से पार करने की कला सिखाएं। गूढ़ से गूढ़ बातों को सरलता से समझाएं तथा समझाने का तरीका ऐसा हो कि वह बात हृदय में उतर जाए वही सच्चा गुरु है , वही आचार्य है ।

परंतु संसार का कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसमें निपुणता प्राप्त करने के लिए हमें अध्यापक शिक्षक या गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती हो क्योंकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि

गुर बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि संकर सम होई । -

श्रीरामचरितमानस 7 . 92 (ख) 3

अर्थात साधारण व्यक्ति की कौन कहे कोई ब्रह्मा और शिव जी के समान क्यों न हो वह भी गुरु की शरण के बिना भवसागर को पार नहीं कर सकता तथा रामचरितमानस के प्रारंभ में कहते हैं कि

बंधऊ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि ।

- **– मानस 1 आदि सोरठा 5**

अर्थात गुरु को कृपा का समुद्र और मनुष्य रूप में परमात्मा कहकर उनके चरण कमलों की वंदना करते हैं ।

भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान बहुत पवित्र और ऊंचे दर्जे का माना गया है गुरु माता पिता यहां तक कि ईश्वर से भी ज्यादा आदरणीय विश्वसनीय तथा सम्मानीय माना जाता है गुरु संस्कारों का सृजन करके शिष्यों को विकारों के विसर्जन के लिए प्रेरित करता है और शिष्य को पवित्र शुद्ध तथा योग्य बनाता है । कबीर दास जी ने गुरु के दर्जे के सम्मान में स्वयं भगवान से भी बढ़कर विश्वास व श्रद्धा जाने की बात कही है :-

गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाय ।

बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताय ।

अर्थात महान अमेरिका मनोवैज्ञानिक **जी.बी वाटसन** ने अपनी कला कौशल का परिचय देते हुए कहा कि **तुम मुझे एक नवजात शिशु दे दो मैं उसे डॉक्टर बना सकता हूं** गुरु की कौशलता अनंत है, अतुलनीय है क्योंकि गुरु शब्द अपने आप में भारी होने की ओर इशारा करता है ज्ञान से संस्कारों से अनुभव से दोनों से समाज उसे बाहर लिए होते हैं तथा सब और से बाहरी बलवान नीतिज्ञ होते हैं गुरु हर सवाल का जवाब है आलोक का अवतरण शून्य से शिखर पर पहुंचाने वाला किंतु किमकर्तव्यविमुढ में दिशा प्रदान करने वाला भटकने पर अटकने न देने और शिष्य को डूबते हुए को तिनके का सहारा देने वाले ऐसा समर्थ सक्षम और अज्ञान का नाश करने वाला तेज रूप ब्रह्म गुरु होता है। सनातन धर्म में स्कंद पुराण के अंतर्गत गुरुगीता में गुरु को परिभाषित करके कहा गया है कि गु का अर्थ है अंधकार एवं रू का अर्थ है तेज प्रकाश अज्ञान का विनाश करने वाला तेज रूप ब्रह्म गुरु ही है।

इसी को आधार मानते हुए **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020** में भी अध्यापक शिक्षा गुणवत्ता विस्तार पर फोकस किया गया है यथा -

15 .1 अध्यापक शिक्षा से संबंधित अद्यतन प्रगति के साथ भारतीय मूल्यों भाषाओं ज्ञान लोकाचार और परंपराओं जनजाति परंपराओं के प्रति शिक्षक जागरूक रहें ।

15.2 सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित न्यायमूर्ति जेएस वर्मा आयोग(2012) के अनुसार अध्यापक शिक्षा के प्रति लेश मात्र गंभीरता से प्रयास नहीं कर रहे हैं , बल्कि ऊंचे दामों पर डिग्रियों को बेचा जा रहा है अत: इसी नियामक प्रणालियों में महत्वपूर्ण कार्रवाई के द्वारा पुनुरूधार की तत्काल आवश्यकता है जिससे शिक्षक शिक्षा प्रणाली में अखंडता विश्व नियता और उच्च गुणवत्ता को बहाल किया जा सके।

15.3 शिक्षण पैसे की प्रतिष्ठा बहाल करने के लिए निम्न स्तरीय और बेकार अध्यापक शिक्षा संस्थानों के खिलाफ उल्लंघन के लिए 1 वर्ष का समय दिए जाने के पश्चात कठोर कार्रवाई करने का अधिकार हो गया जो बुनियादी मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। 2030 तक केवल शैक्षिक रूप से सुदृढ़ और एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

15.4 बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों में शिक्षक विभाग की स्थापना की जाएगी । सभी एकल शिक्षक संस्थानों को बहु विषयक संस्थानों के रूप में बदलने की आवश्यकता है क्योंकि उन्हें भी 4 वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालित करने को कहा गया है।

15.5 2030 तक बहुविष्यक उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम स्कूली शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता बन जायेगा 1 आधुनिक शास्त्र इतिहास विज्ञान मनोविज्ञान भारत से जुड़े ज्ञान और इसके मूल्यों लोकाचार आदि शामिल होगा ।

15.7 पूर्व सेवा शिक्षा कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु एनटीए परीक्षा आयोजित होगी।

15.8. शिक्षा संकाय प्रोफाइल में विविधता आवश्यक होगी।

15.9 पीएचडी प्रवेश कर्ताओं द्वारा क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम।

15.10 स्वयं दीक्षा प्लेट फार्म का प्रयोग करें प्रशिक्षण हेतु।

15.11 मेंटरिंग के लिए राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक की भूमिका : -

समग्र विकास - छात्रों के संज्ञानात्मक भावात्मक सामाजिक शारारिक विकास कर सकें ।

फैसिलिटेशन और मेंटरशिप – लेक्चर की बजाय रचनात्मक जिज्ञासा सोच को बढ़ावा।

डिजिटल साक्षरता - प्रौद्योगिकी में कुशल हो ।

बहुविषयक दृष्टिकोण– विभिन्न विषयों का एकीकृत करना में कुशल हो ।

सतत व्यवसायिक विकास – खुद सीखते रहें ।

स्थानीय संदर्भ – स्थानीय संस्कृति से शिक्षक परिचित हो ।

निष्कर्ष :– राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा प्रणाली को बदलने में शिक्षकों की भूमिका पर महत्वपूर्ण जोर देती है जिससे अध्यापक का महत्त्व, प्रभाव तथा सम्मान पुन: लौट पाए और अध्यापक को राष्ट्र निर्माता कहा जा सके । जिससे वह अगली पीढ़ी को आकार दे सके ।

सन्दर्भ :-

01.भट्टाचार्य जी सी , अध्यापक शिक्षा, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा 2016

02. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार

03. राजस्थान पत्रिका , जयपुर, राजस्थान, जुलाई 2023

04. दैनिक भास्कर, जयपुर, राजस्थान, जुलाई 2023

05 कुमार नरेश (2016) अध्यापक शिक्षा , हिंदी बुक सेंटर दिल्ली

06. शर्मा एवं सत्संगी ,(2019) श्री विनोद पुस्तक मंदिर आगरा

07 Sharma R.A (2002) Teacher Education ,Royal Lal Book Depot , Merut , UP

08. Trivedi R.S (1969) Reading in Teacher Education , Sardar Patel University

09.Trbble J.W (1991) Future of Teacher Education, London , Roubledge and Kogan Paul.

10. Pandey B.N.(1975) Secondary Teacher Education Curriculum , Dept.of Education , NCERT ,New Delhi

शोधशौर्यम्

Publisher

Technoscience Academy
(The International open Access Publisher)
Website : www.technoscienceacademy.com

Email: editor@shisrrj.com